परिदृश्य

-542
370.78
UTT-P

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश

परिदृश्य

NIEPA DC
D05311

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश

६, माल एवन्यू , लखनऊ

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....D-5311.....
Date.....18.6.90.....

मुद्रक : सिंघल एजेन्सीज़, 117, फ़ैजाबाद रोड, लखनऊ

अनुक्रम

सन्देश	v
आपसे	viii
परिषद का गठन	1
परिषद के विभिन्न विभाग	6
शोध, परियोजना सारांश	56
प्रकाशन	148
हमारा भविष्य	178

सच्चिदानन्द बाजपेयी

शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

सन्देश

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का परिचय एवं उपलब्धियाँ "परिदृश्य" के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

सृजन, खोज और अनुसंधान परिषद की वह जीवनचर्या है जो समग्र रूप से बेहतर शिक्षा के रास्तों की तलाश कर शैक्षिक परिवेश को युगीन एवं प्रासंगिक बनाती है। शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री की सम्पन्नता एवं मूल्यांकन, खोज और अन्वेषण के वे क्षेत्र हैं, जिन पर परिषद में चिन्तन किया गया है, कुछ सृजन भी किया है।

आज की सब से बड़ी आवश्यकता शिक्षा के सार्वजनीकरण के साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार है, जिससे आने वाली सदी का मानव ज्ञान, कठिन परिश्रम और नैतिक आचरण में खोई हुई निष्ठा को पुनः स्थापित कर सकें, क्योंकि निश्चित रूप से अशिक्षा का स्थान घटिया दर्जे की शिक्षा नहीं ले सकती। आज जिस चुनौती भरे समय का सामना हम कर रहे हैं, उसमें शिक्षा ही नहीं वरन् "अच्छी शिक्षा" राष्ट्रीय विकास, एकता और सुरक्षा का साधन बन सकती है। परिषद की भूमिका इसमें निश्चय ही निर्णायक की होगी क्योंकि सक्षम नेतृत्व ही सही दिशा का निर्धारण करता है। आज इसी सही दिशा की खोज है।

परिषद इन्हीं शुभ संकल्पों को रूपान्तरित करे, यही मेरी शुभ कामना है।

दिनांक : 2 मई, 1990

सच्चिदानन्द बाजपेयी
शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश

श्रीमती रीता सिन्हा
आई०ए०एस०

सचिवत्र (२)
शिक्षा । विभाग

दिनांक, लखनऊ, मई 3,, 1990

सन्देश

शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके विभिन्न पहलुओं के संख्यात्मक प्रसार के साथ ही उसका गुणात्मक विकास भी वांछनीय है। आज शिक्षा का गुणात्मक विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश से शिक्षा के गुणात्मक विकास के दायित्व के निर्वहन की अपेक्षा है। आशा है इसकी एक झलक प्रस्तुत "परिदृश्य" में मिलेगी।

मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न कार्य कलापों तथा उसके द्वारा संचालित योजनाओं की सफलता की कामना करती हूं और यह आशा करती हूं कि यह परिषद समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल भूमिका अदा करेगा।

श्रीमती रीता सिन्हा
सचिव, शिक्षा (2)

डॉ० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

सन्देश

अनुसंधान और प्रशिक्षण हस्ताक्षर हैं परिषद के जो "अच्छी शिक्षा" को परिभाषित करते हैं, केवल परिभाषित ही नहीं करते वरन् प्रयोगों, अनुप्रयोगों द्वारा उसे प्रासंगिक बनाते हुए कार्यक्षेत्रों को भी इंगित करते हैं। अपने इसी दायित्व के प्रति जागरूक रहते हुए परिषद ने विभिन्न इकाइयों के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर तर्क सम्मत आधार प्रस्तुत किये हैं, जो शिक्षा के प्रसार एवं उसकी गुणात्मकता को रेखांकित करते हैं।

इन्हीं कार्यक्षेत्रों से परिचय कराने हेतु 'परिदृश्य' की रचना की गई, जिसके अन्तर्गत स्थापना की पृष्ठभूमि, गठन तथा विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया है, साथ ही शोध, अध्ययन, सर्वेक्षण तथा परियोजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।

परिदृश्य की रेखाएं उस समय बन चुकी थीं, जब मैं निदेशक परिषद के रूप में कार्य देख रहा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि परिषद के वर्तमान निदेशक, श्री हरि प्रसाद पाण्डेय उक्त रेखीय को शैक्षिक कैनवस पर उतारने में सफल हुए। मैं उनके इस प्रयास की प्रशंसा करता हूँ।

आशा है भविष्य में भी इस प्रकार के सार संग्रह देखने को मिलते रहेंगे।

दिनांक : 30 अप्रैल, 1990

डॉ० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, दिनांक, 1 मई 1990

आपसे

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सृजन ही शिक्षा में गुणात्मकता के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु किया गया है। युगीन सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा के आयामों में भी परिवर्तन वांछनीय है ताकि शिक्षा उपादेय एवं उपयोगितापरक रह सके। इन सामाजिक स्पन्दनों की अनुभूति के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रमों को स्वरूप देने के उद्देश्य की पूर्ति में परिषद कार्यरत है।

शैक्षिक शोध एवं अनुसंधान हमें वैज्ञानिक रीति से किसी कार्य में नवीन दिशा देने में सहायक होते हैं। प्रशिक्षण, विशेषकर अध्यापक होने वाले व्यक्तियों तथा कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इन व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक सर्वेक्षण, अध्ययन, नवाचार, परियोजनायें आदि कार्य परिषद् द्वारा निष्पादित किये जाते हैं। शिक्षा के विभिन्न निदेशालयों द्वारा अनुभूत समस्याओं के समाधान, विशिष्ट विषयों के शिक्षण में गुणवत्ता की स्थापना, नवीन कार्यक्रमों हेतु अध्यापकों एवं शैक्षिक आयोजकों को क्रियापरक दृष्टि प्रदान करना परिषद के विशिष्ट कार्यक्रम हैं। हम आपका इन कार्यों से परिचय इस "परिदृश्य" के माध्यम से करा रहे हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पूर्व निदेशक डॉ० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय ने इस प्रकाशन की प्रेरणा दी थी, आज इसके पूर्ण होने पर मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस प्रकाशन हेतु शुभकामनायें प्रेषित कर हमें उपकृत भी किया है।

हम अपने सभी सहकर्मियों के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं, जिनके परिश्रम एवं सहयोग से यह कार्य सम्भव हो सका है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के निदेशक श्री श्याम नारायण राय, राज्य शैक्षिक तकनीकी विभाग की प्रवक्ता उत्पादन, श्री मती रजनी रैना, डॉ० श्री कृष्ण पाठक, पाठ्य पुस्तक अधिकारी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने लेखन, सम्पादन एवं प्रकाशन में अनेक अवरोधों के बावजूद पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इस पुस्तिका के सम्बन्ध में आपके सुझाव का स्वागत है। आशा है शैक्षिक आयोजकों एवं जिज्ञासु प्रयोगधर्मियों को यह प्रयास संतुष्ट कर सकेगा।

1 मई 1990

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अध्याय–1

परिषद का गठन

परिषद की स्थापना :—

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के पूर्व यह अनुभव किया जा रहा था कि राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, मनोविज्ञान शाला, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य हिन्दी संस्थान, शिक्षा प्रसार विभाग, पाठ्य पुस्तक विभाग, शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ आदि संस्थाएँ एक सशक्त अभिकरण के शैक्षिक मार्ग दर्शन के अभाव में परस्पर तालमेल स्थापित करते हुए अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कर पा रही हैं। उधर भारत सरकार भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुरूप राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के गठन के लिए राज्य सरकारों से प्रभावी कदम उठाने हेतु अनुरोध कर रही थी। अतएव भारत सरकार की नीति और सुझाव के अनुसरण पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितम्बर, 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना लखनऊ में की गयी जो प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है।

परिषद कार्यालय

परिषद का गठन निम्नवत किया गया है :—

(1) शिक्षा मन्त्री — अध्यक्ष

(2) शिक्षा सचिव — उपाध्यक्ष

(3) वित सचिव या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(4) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(5) राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान	सदस्य
(6) शिक्षा निदेशक	सदस्य
(7) श्री श्रीनिवास शर्मा, सेवा निवृत्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, सी-46, निराला नगर, लखनऊ	सदस्य
(8) डा० श्रीमती हेम लता स्वरूप, भूतपूर्व कुलपति कानपुर विश्व विद्यालय, 111/98 ए, वाटर वर्क्स कालोनी, अशोकनगर, कानपुर	सदस्य
(9) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	सदस्य/सचिव

उद्देश्य कार्य क्षेत्र:—

परिषद के बहुआयामी कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की संकल्पना की गयी है :—

(1) भारतीय परिवेश की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर अनुसंधान करना, परिषद के विभागों द्वारा निष्पक्ष अनुसंधानों का समन्वय करना एव प्रदेश स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षकों और शिक्षकों को सैद्धान्तिक तथा क्रियात्मक अनुसंधान हेतु अभिप्रेरित करना।

(2) सेवा पूर्व और सेवारत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को शिक्षण कौशल एवं शैक्षिक तकनीकी से परिचित कराना।

(3) शिक्षा में गुणात्मक स्तरोन्नयन के उद्देश्य से अभिनव प्रयोगों का संचालन और संवर्द्धन, मेधावी छात्रों की शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव तथा मूल्यांकन की अभिनव विधियों से अवगत कराना।

(4) शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में रत संस्थाओं को समय-समय पर परामर्श तथा प्रोत्साहन देना।

(5) वर्ष पर्यन्त विचार गोष्ठी और कार्यशाला आयोजित कर प्रदेश के शैक्षिक आयोजनों और शिक्षकों को उन्नत शैक्षिक विधियों और उपलब्धियों से परिचित कराते हुए अपने-अपने क्षेत्र में नई-नई परियोजनाओं को क्रियान्वित कराने तथा परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना।

(6) प्रदेश के शैक्षिक वातावरण को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के अन्य अनुभागों, विश्व विद्यालयों तथा समान उद्देश्य से पोषित अन्य संस्थाओं के साथ विचार विमर्श कर तालमेल स्थापित करना तथा सहायता प्रदान करना।

(7) विभिन्न स्रोतों के उपलब्ध विद्यालय स्तरीय शिक्षा विषयक विचारों तथा सूचनाओं का संकलन, वर्गीकरण और प्रसारण करना।

(8) विद्यालयी शिक्षा के स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में राज्य प्रशासन तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं को परामर्श प्रदान करना।

(9) देश, काल और परिस्थिति–सापेक्ष्य पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण सामग्री, का प्रणयन, शिक्षण विधियों मूल्यांकन, प्रविधियों, किट्स तथा उपकरणों का विकास और शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना ।

(10) ऐसी पुस्तकों, सामग्री, पत्रिकाओं तथा साहित्य का सृजन और प्रकाशन जिनके माध्यम से शिक्षा की अभिनव विचारधाराओं, प्रविधियों, शोध निष्कर्षों, प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी एवं शिक्षा सम्बन्धी अन्य संकल्पनाओं को गति और प्रोत्साहन प्राप्त हो।

(11) राज्य सरकार को विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण में तकनीकी परामर्श देना तथा शिक्षा विभाग के उन अनुभागों को तदनुकूल निर्दिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग देना।

परिषद के कार्यों का विस्तार

परिषद का यह बट वृक्ष विभिन्न विभागों/विशिष्ट संस्थाओं का एक संश्लिष्ट रूप है जिसके कार्यक्षेत्र की परिधि में आंगनवाड़ी से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक की विद्यालयी शिक्षा तथा दीक्षा विद्यालय, एल०टी०/बी० एड०० आदि विशिष्ट शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएं समाहित हैं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संरक्षण में प्रत्येक विभाग-अपनी परिधि में राष्ट्रीय और प्रदेशीय स्तर के बहु आयामी शैक्षिक कार्यकलापों जैसे :—प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं के आयोजन अभिनव अनुसंधानों और परियोजनाओं के संचालन में सतत क्रियाशील रहता है।

परिषद के विभागों द्वारा जो नवीन क्षेत्र कार्यान्वियन हेतु चयनित किये गये हैं वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राज्य में शिक्षा की वर्तमान समस्याओं अथवा योजनाओं से सम्बन्धित हैं जैसे शिक्षा का सार्वजनीकरण, दस वर्षीय पाठ्यक्रम सामान्य केन्द्रिक कोर विज्ञान शिक्षा का स्तरोन्नयन, सामाजिक विज्ञान की नई संकल्पना और उसकी शिक्षण विधि, जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा-शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संशोधन, शिक्षा का व्यव्वसायीकरण, शैक्षिक तकनीकी, सपुस्तक परीक्षा, मानवीय मूल्यों और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास की शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में वृहत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम।

परिषद के विभागों द्वारा निष्पन्न शैक्षिक अनुसंधान, नीति निर्धारण, शैक्षिक प्रशासन, प्रशिक्षण और नियोजन में सुधार करने एवं गुणात्मक वृद्धि से ही सम्बन्धित होते हैं। अनुसंधानों में क्रियात्मक अनुसंधान को ही प्राथमिकता दी जाती है, जिसके अन्तर्गत निरीक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षक अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सम्बन्धित उना समस्याओं का चयन करते हैं जिनके समाधान की उन्हें आवश्यकता है तथा जिसके माध्यम से वे अपने-अपने कार्य्य क्षेत्र में गुणात्मकता की अपेक्षा करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में समस्याओं के समाधान के व्यावहारिक तरीके खोजने हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को पुनर्बोधित किया जाता है, वहीं शैक्षिक प्रशासकों और नियोजकों की भी नवीनतम संकल्पनाओं एवं उपलब्धियों से परिचित कराया जाता है।

परिषद के विभाग

परिषद के निम्नलिखित विभाग परिषद निदेशक, के जो इनके विभागाध्यक्ष भी हैं सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद में पदों की वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1	निदेशक	5700-6700	1	अस्थायी
2	लेखाधिकारी	2200-4000	1	स्थायी
3	वैयक्तिक सहायक	1640-2900	1	अस्थायी
4	अधीक्षक ग्रेड–1	1640-2900	1	,,
5	शिविर सहायक	1400-2600	1	,,
6	वरिष्ठ सहायक	1400-2300	2	,,
7	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	4	,,
8	ड्राइवर	950-1500	1	,,
9	परिचारक	750- 940	5	,,

(1)	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, तथा अनौपचारिक शिक्षा एकक	—	राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद।
(2)	भारतीय तथा हिन्दी भाषा विभाग	—	राज्य हिन्दी संस्थान, उ०प्र०, वाराणसी।
(3)	विदेशी तथा अंग्रेजी भाषा विभाग	—	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद।
(4)	मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग	—	राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।
(5)	विज्ञान और गणित विभाग	—	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उ० प्र०, इलाहाबाद।
(6)	मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग	—	मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद।
(7)	शैक्षिक तकनीकी विभाग	—	शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ।
[8)	दृश्य—श्रव्य और शिक्षा प्रसार विभाग	—	शिक्षा प्रसार अनुभाग, इलाहाबाद।
(9)	प्रकाशन विभाग	—	पाठ्य-पुस्तक विभाग, लखनऊ।

वेतन क्रम तथा पदों का विवरण :–

क्रम संख्या	वेतन क्रम	पद संख्या
1.	5900–6700	1
2.	3200–4875	4
3.	3000–4750	4
4.	3000–4500	20
5.	2200–4000	66
6.	2000–3500	39
7.	2000–3200	22
8.	1660–2660	56
9.	1640–2900	2
10.	1600–2600	42
11.	1400–2600	28
12.	1400–2300	12
13.	1400–2300	21
14.	1200–2040	44
15.	1200–2040	19
16.	1200–2040	41
17.	405–540 (पुराना)	1
18.	1600–2660	1
19.	975–1660	15
20.	975–1660	15
21.	950–1500	59
22.	940–1500	40
23.	950–1500	7
24.	1400–2300	1
25.	775–1025	11
26.	750–940	150
27.	1400–2300	2
28.	230–385 (पुराना)	1

योग– 724

अध्याय-2

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न विभाग

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न विभागों का इतिवृत्त :

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :—

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास की दिशा में निरन्तर सुनियोजित प्रयास होते रहे हैं। इलाहाबाद में राज्य शिक्षा संस्थान की 1 फरवरी 1964 में स्थापना इस क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अप्रैल सन् 1981 में प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के उद्भव के पश्चात् राज्य शिक्षा संस्थान सम्प्रति परिषद के तत्वावधान में 'प्रारम्भिक शिक्षा विभाग' के रूप में कार्यरत रहा है।

भवन का चित्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु स्थापित इस संस्थान के बहुआयामी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षकों एवं निरीक्षक वर्ग के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शोध कार्यक्रमों द्वारा शिक्षण विधाओं में उन्नयन, प्रसार कार्यक्रमों का संगठन, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन सम्बन्धी अनुशीलन कार्यक्रमों का संचालन, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण शैक्षिक साहित्य का सृजन तथा प्रकाशन

विशेषोल्लेखनीय हैं। सन् 1981 से यह संस्थान परिषद् के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के रूप में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन और विकास की दिशा में अपना महत्पूर्ण योगदान दे रहा है।

कार्य क्षेत्र :

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के बहुउद्देश्यीय कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शोध, प्रशिक्षण, प्रकाशन, प्रसार, पत्राधारित प्रशिक्षण, प्राविधिक प्रशिक्षण अनौपचारिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा तथा यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (पोषण स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, पाठ्यक्रम नवीनीकरण, सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता में विकासात्मक क्रियाकलाप, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम) समाहित हैं जिन्हें निष्पन्न करने के लिए मुख्य इकाई, प्राविधिक इकाई, पत्राचार प्रशिक्षण प्रकोष्ठ और यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्थापित/संचालित हैं।

प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद के प्रारम्भिक शिक्षा निभाग द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती हैं। प्रदेश के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दीक्षा विद्यालय के शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा जूनियर हाईस्कूल एवं प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षानीति से सम्बन्धित प्रशिक्षण के अतिरिक्त हिन्दी, सामाजिक विषय, परिवेशीय अध्ययन और नैतिक शिक्षा के विषयों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है। निरीक्षण अधिकारियों को भी शैक्षिक, प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

समाज के बदलते हुए स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में इधर बी० टी० सी० के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित नये सम्बोधों का समावेश किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी बिन्दुओं को भी पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों को स्काउटिंग, आसन, योगा और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से सम्बन्धित प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। पर्यावरण के प्रति चेतना एवं उसके अनुरक्षण पुनर्वास और विकास हेतु पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इनसे सम्बन्धित पाठ्यक्रम और पाठ्म-सामग्री विकसित की जाती है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान-अध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को विकास खण्ड स्तर पर जन संख्या शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है।

शोध अध्ययन :

शोध के क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रदेशों के पाठ्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन, कक्षा 1 से 8 तथा बी०टी०सी० के पाठ्यक्रम में परिवर्तन और संशोधन, राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रणयन, बालिका शिक्षा से सम्बन्धित समस्यायों पर शोध, ह्रास एवं अवरोध निवारण योजनाओं तथा अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत अंशकालिक कक्षाओं का परेचालन तथा प्रश्न पत्र निर्माण सम्बन्धी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। निरीक्षण कार्य को प्रभावी और उपयोगी बनाने हेतु शोध कार्य किया जाता है और उसकी निष्पत्तियों से समय-समय पर निरीक्षण अधिकारियों को अवगत कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर "प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण के सर्वेक्षण" से सम्बन्धित प्रपत्र विकसित किया गया है और इसके आधार पर उपलब्ध सूचनाओं का सम्पादन और विश्लेषण किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रति प्रदेश के प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के दायित्वों के प्रति अभिवृत्ति का मूल्यांकन किया जा रहा है। ह्रास एवं अवरोध निवारण परियोजनान्तर्गत प्रदेश में शिक्षा के सार्वजनीकरण को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए ह्रास एवं अवरोध निवारण परियोजना के विस्तार हेतु दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं और प्राप्त पत्रों के आधार पर विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। अभिस्वीकृत विद्यालय परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन हेतु अभिस्वीकृत विद्यालय परियोजना प्रदेश स्तर पर क्रियान्वित की गयी है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रपत्र और निर्देश तैयार किये गये हैं जिनके आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। दीक्षा विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के स्वरूप के अध्ययन, प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम (केप) की पाठ्य सामग्री के परीक्षण तथा नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना पर शोध कार्य किया जा रहा है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों का मार्ग दर्शन :

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अपने विविध कार्यकलापों के सम्पादन के साथ-साथ प्रदेश के 7 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों का शैक्षिक मार्ग निर्देशन भी करता है। प्रदेश के सभी 121 दीक्षा विद्यालय सुविधानुसार मण्डलवार इन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान इन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से एक व्यापक परिसर तक अपनी नीतियों को पहुँचाता है तथा क्रियान्वयन का पथ प्रशस्त करता है।

अध्यापक अवकाश शिविर :

प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षकों से यद्यपि संस्थान का प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं है तथापि इन संस्थाओं के कुछ राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त एवं आदर्श अध्यापकों का अवकाश शिविर प्रतिवर्ष संस्थान में आयोजित किया जाता है। इन शिविरों में अध्यापकों को विद्यालय सुधार के कार्यक्रमों तथा शिक्षण सम्बन्धी नवीनतम विचारों से अवगत कराया जाता है। प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत विचारों को लेख रूप में संकलित कर "प्रतिभा की किरण" नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है।

मासिक गोष्ठियों का आयोजन :

शैक्षिक चिन्तन की प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखने के उद्देश्य से संस्थान में प्रतिमास विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जिसमें संस्थान के सभी अधिकारी एवं प्रवक्तागण किसी सम-सामयिक शैक्षिक विषय अथवा समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और तद्विषयक पत्रक भी प्रस्तुत करते हैं। इन पत्रकों को संकलित कर "मनीषा" नामक पत्रिका प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है।

अभिस्वीकृत विद्यालय योजना :

इस विभाग द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के उन्नयन सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रयोग परीक्षण हेतु संस्थान द्वारा विद्यालय अभिनवीकरण की योजना भी संचालित की जाती है। अभिस्वीकृत विद्यालयों के भौतिक स्वरूप, विषय शिक्षण तथा सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षिक गोष्ठियाँ एवं

कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिनमें विद्यालय संकुल की स्थापना, संस्थागत नियोजन एवं सद्यः निर्मित शिक्षण सम्बन्धी सहायक सामग्री पर विशेष बल दिया जाता है।

यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाएँ:

(1) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरणीय स्वच्छता :—इस परियोजना का सम्बन्ध बच्चों एवं अभिभावकों के उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास हेतु पोषण की आवश्यकता, बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का चयन तथा पर्यावरणीय स्वच्छता की प्रवृत्ति के विकास से है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इलाहाबाद जनपद के कौड़िहार एवं चायल विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनमें अधिकतर परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोग हैं।

(2) पाठ्य नवीनीकरण परियोजना :—इसके अन्तर्गत कक्षा 1—5 तक का पाठ्यक्रम विकसित कर उस पर आधारित कक्षा 1—5 तक की शिक्षण सामग्री (पाठ्य पुस्तकें और शिक्षक सदर्शिकायें) विद्यालयों को छात्रों के प्रयोग एवं परीक्षण हेतु भेजी गयी हैं।

कक्षा 1—5 तक इन पाठ्यपुस्तकों को प्रदेश में राष्ट्रीयकृत पुस्तक के रूप में लागू करने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(3) सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता में विकासात्मक क्रियाकलाप :—यह परियोजना राज्य के 5 जनपदों के एक-एक चयनित सामुदायिक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से संचालित है। सम्प्रति यूनिसेफ की वित्तीय साहायता वर्ष 1986 से बन्द हैं, तो भी इन केन्द्रों द्वारा स्थानीय सहयोग से कतिपय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

(4) पूर्व प्राथमिक शिक्षा :—इस परियोजना का उद्देश्य शिशुओं को रचनात्मक खेलों एवं विकासात्मक क्रियाओं द्वारा प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार करना है। यह परियोजना इलाहाबाद जनपद के चायल और मूरतगंज विकास खण्डों में कार्यान्वित की गयी है। इसके अन्तर्गत नर्सरी प्रशिक्षित बी० टी० सी० अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी है। शिशु शिक्षण के इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए शिक्षिकाओं को दो मासीय सघन प्रशिक्षण भी दिया गया है।

(5) प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम :—इस परियोजना का लक्ष्य 9—14 वय वर्ग के उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। यह परियोजना 1978 से संचालित है। इसके अन्तर्गत 134 अधिगम केन्द्र सहायकों तथा दीक्षा विद्यालय के 98 शिक्षक प्रशिक्षकों एवं 1.28 केप प्रभारियों को केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जा चुका है। 67 माड्यूल तथा 436 कैप्स्यूल भी विकसित किए गये हैं।

जनसंख्या शिक्षा परियोजना :—

जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के प्रति शिक्षार्थियों को सजग करने की दृष्टि से इस परियोजना के अन्तर्गत जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यवस्तु का लेखन, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा सम्बन्धित अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री और निर्देश सामग्री की रचना तथा प्रारम्भिक और माध्यमिक

स्तर की विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी प्रासंगिक विचार-बिन्दुओं के समावेश का कार्य सम्प्रति किया जा रहा है।

पत्राधारित प्रशिक्षण :–

निरन्तर बढ़ती हुई विद्यालयों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापक के न मिलने के फलस्वरूप कुछ अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ी। शिक्षा के गुणात्मक पक्ष की दृष्टि से इन सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान में वर्ष 1966 में पत्राधारित प्रशिक्षण अनुभाग की स्थापना की गयी थी। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों के शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु संस्थान द्वारा बी० टी० सी० पाठ्यक्रमाधारित अध्यापन विज्ञान एवं विषय वस्तु से सम्बन्धित पाठों का लेखन एवं मुद्रण कराया जाता है और परामर्श केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों तक पाठ पहुंचाये जाते हैं।

राजकीय शोध आदर्श विद्यालय :–

संस्थान से संलग्न एक शोध आदर्श विद्यालय भी है। इसकी स्थापना सन् 1890 में तत्कालीन राजकीय दीक्षा विद्यालय से संलग्न आदर्श विद्यालय के रूप में हुई थी। वर्ष 1964 में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना के साथ ही इसे संस्थान से संलग्न कर दिया गया। इस विद्यालय में 1 से 8 तक कक्षाएं चलती हैं।

यह आदर्श विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी योजनाओं और सुधार कार्यक्रमों के प्रयोग परीक्षण का निकटतम सुलभ स्थल है। सस्थान के विषय विशेषज्ञ अपनी शोध परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रयोग परीक्षण इसी विद्यालय में करते हैं।

सम्प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक वानिकी तथा कार्यानुभव पर विशेष बल दिया जा रहा है।

—: 00 :—

अनौपचारिक शिक्षा एकक

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

भारतीय संविधान में 6-14 वय वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराने का पवित्र संकल्प अंगीकृत किया गया है। इस पृष्ठभूमि में अनौपचारिक शिक्षा एकक की स्थापना वर्ष 1980 में राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में एक प्रकोष्ठ के रूप में हुई। सन् 1981 से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना होने पर इसे अनौपचारिक शिक्षा एकक का नाम दिया गया।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

अनौपचारिक शिक्षा एकक की स्थापना 9-14 वय वर्ग के उन बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था करने के उद्देश्य से की गई है जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक सीमाओं के कारण या तो विद्यालयी शिक्षा में वंचित रहे जाते हैं या उसे पूर्ण किये बिना बीच में ही छोड़ देते हैं। अतः शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस वर्ग विशेष के बालकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम, औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में, उत्तर प्रदेश में 1980 से संचालित किया गया है।

कार्य क्षेत्र :

अनौपचारिक शिक्षा विभाग का कार्य क्षेत्र विविध दिशाओं में फैला हुआ है। इसके अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य पुस्तको की संरचना, अनौपचारिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर आदि तैयार कर उनके वितरण की व्यवस्था करना, इस विधा के क्रमिक उन्नयन हेतु शोध एवं अन्य अध्ययन कार्य निष्पन्न करना, दीक्षा विद्यालयों को प्रशिक्षण विषयक निर्देश देना, शिक्षक-प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक तथा अधिकारियों की गोष्ठियों का आयोजन करना तथा समस्त कार्यों का मूल्यांकन करना आदि कार्यक्रम आते हैं।

साहित्य रचना एवं केन्द्रों का विस्तार :

अनौपचारिक शिक्षा इकाई द्वारा प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की रचना की गई है। प्राथमिक स्तर पर प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए क्रमशः ज्ञान दीप भाग–1 एवं भाग-2 तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए क्रमशः ज्ञान दीप भाग–3, भाग–4 और भाग–2 (दो खण्डों में) शिक्षक निर्देशिका, पोस्टर, फोल्डर, सर्वेक्षण प्रपत्र, वर्णमाला चार्ट, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा एवं नान फार्मल एलीमेन्टरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश आदि पुस्तकें तथा शैक्षिक सामग्रियाँ उल्लेखनीय हैं।

छठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का विस्तार प्रदेश के 536 विकास खण्डों में हो गया है जिसके फलस्वरूप पूर्व माध्यमिक स्तर के केन्द्रों की संख्या 3901 तक पहुंच गई और प्राइमरी स्तर के 29,922 केन्द्र संचालित हो गये जिनमें 3000 शिक्षा केन्द्र केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु इससे सम्बद्ध केन्द्रों को क्रियाशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संगठन, संचालन, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण पर विशेष बल देने हेतु एक योजना भी तैयार की गई है।

इस योजनावधि के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार प्रदेश के समस्त 895 विकास खण्डों में किया जा रहा है तथा 20 लाख प्राथमिक तथा ढाई लाख पूर्व माध्यमिक स्तरीय छात्र नामांकन लक्ष्य निर्धारित करने के परिप्रेक्ष्य में 80 हजार प्राथमिक तथा 10 हजार पूर्व माध्यमिक स्तर के शिक्षा केन्द्र खोलने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह विभाग राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति भी सजग है। प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा के सफल संचालन के लिए अनौपचारिक शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ परामर्शी तथा चार परामर्शी कार्यरत हैं। प्रदेश स्तर पर नियोजन, बजट, नियत्रण, कार्यान्वयन, निर्देशना, अनुश्रवण और मूल्यांकन आदि का निष्पादन संयुक्त शिक्षा निदेशक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। मण्डलीय स्तर पर प्रत्येक मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक विशेष कार्याधिकारी तथा जनपदीय स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा के अधीन पर्यवेक्षक, समन्वयक, ग्रामसेवक/ग्राम सेविकाएँ आदि नियुक्त किए गये हैं।

अनौपचारिक शिक्षा विभाग ने अब तक आवश्यक अध्ययन सामग्री तथा अन्य शैक्षिक सूचनाओं का प्रकाशन कर लिया है। सत्र 1988-89 में अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित कतिपय शोध पत्रकों को भी प्रकाशित करने की योजना निर्मित की गई है।

—:00:—

वर्तमान पदों का विवरण

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमा संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1.	प्राचार्य	3000—4750	1	,,
2.	सहयुक्त निदेशक/उप प्राचार्य	3000—4500	2	,,
3..	वरिष्ठ शोध प्राध्यापक	2200—4000	2	,,
4..	सांख्यिकी अधिकारी	2200—4000	1	,,
5..	सहायक उप शिक्षा निदेशक	2200—4000	5	,,
6..	शोध प्राध्यापक	2000—3500	4	,,
7..	परियोजना अधिकारी(जनसंख्या शिक्षा)	2000—3500	1	,,
8..	प्रोफेसर जनसंख्या	2000—3500	2	,,
9..	प्रवक्ता	1600—2660	18	,,
10..	शोध पार्षद	1600—2660	4	,,
11..	सांख्यिकी	570—1100	1	(पुनर्रीक्षित नही हुआ),,
12..	वरिष्ठ सहायक	1400—2600	1	,,
13..	वरिष्ठ सहायक	1400—2300	2	,,
14..	वरिष्ठ सहायक	1200—2040	3	,,
15..	शिविर लिपिक	1200—2040	3	,,
16..	सांख्यिकी सहायक	450— 720	1	(पुनर्रीक्षित नही हुआ),,
17..	वरिष्ठ लिपिक	1250—2040	9	,,
18.	पुस्तकालयाध्यक्ष	430— 685	1	(पुनर्रीक्षित नही हुआ),,
19.	कनिष्ठ लिपिक	950—1500	2	,,
20.	वाहन चालक	950—1500	5	,,
21.	दफ्तरी मैकेनिक	770—1025	3	,,
22.	परिचारक	305— 940	14	,,

अनौपचारिक शिक्षा एकक

1.	वरिष्ठ परामर्शी	3000—4750	1	,,
2.	परामर्शी	3000- 4500	4	,,
3.	शिविर सहायक	1400 - 2300	1	,,
4.	वरिष्ठ लिपिक	1200—2040	1	,,
5.	परिचारक	750 -- 940	1	,,

भारतीय तथा हिन्दी भाषा विभाग

(राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश शासन ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्तरोन्नयन, शिक्षण और साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कई हिन्दी सेवी संस्थाओं की स्थापना की है। इन हिन्दी सेवी संस्थाओं में राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेशीय शासन द्वारा दिनांक 25 मार्च 1969 को इलाहाबाद में की गयी। 20 दिसम्बर, 1971 को इसे वाराणसी नगरी में मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्र के भवन में स्थानान्तरित किया गया। सन् 1981 से यह संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध कर दिशा गया और तभी से यह भारतीय भाषा विभाग के रूप में हिन्दी भाषा के विकास और उन्नयन की दिशा में कार्यरत है। सम्प्रति यह विभाग वाराणसी स्थित अपने भवन में क्रियाशील है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का यह विभाग हिन्दी भाषा और साहित्य के शिक्षण को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से हिन्दी शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है तथा हिन्दी भाषा और उसके व्याकरण से सम्बधित कार्य पर विशेष बल देता है। पाठ्य पुस्तकों के संशोधन, रचना आदि के अतिरिक्त विभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत 'वाणी' त्रैमासिक पत्रिका लघु पुस्तिकाएँ, विविध साहित्यिक तथा शोध-कार्यों का प्रकाशन किया जाता है। समय-समय पर संस्थान में विचार-गोष्ठियों और काव्य-गोष्ठियों का आयोजन भी होता रहता है।

कार्य क्षेत्र

विभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हिन्दी भाषा का विश्लेषण, भाषा सम्बन्धी विषय वस्तु का संकलन और क्रमायोजन ,शब्दों तथा भाषा का क्रियात्मक व्याकरण और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन, हिन्दी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु सुझाव तथा निकष तैयार करना और हिन्दी का प्रयोगात्मक कोश बनाना, अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करना तथा इन कार्यों से सम्बन्धित शोध कार्य करना, हिन्दीतर प्रदेशों के शिक्षकों तथा शिक्षाधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना, द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का विकास तथा हिन्दी-शिक्षण विधि की खोज करना, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का तुलनात्मक कोश तैयार करना, तथा अल्प कालीन पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि समाहित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिन्दीतर प्रदेशों की पाँच भारतीय भाषाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण की योजना भी प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण

हिन्दी-शिक्षणविधि की अभिनव खोजों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विकास खण्डों का चयन कर वहाँ के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिए पंच दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, राजकीय विद्यालय के हाई स्कूल के हिन्दी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को हिन्दी-शिक्षण का प्रशिक्षण देना तथा प्रदेश के सभी जनपदों के इण्टर कालेज के हिन्दी अध्यापकों/अध्यापिकाओं के पंच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करना आदि संस्थान के मुख्य कार्यकलाप हैं। वृहत् शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु 'सन्दर्भ व्यक्तियों' के प्रशिक्षणों का भी आयोजन करता है।

शोध अध्ययन

राज्य हिन्दी संस्थान के इस विभाग द्वारा शोध कार्य एवं परियोजनाओं के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए शब्दकोश का निर्माण, माध्यमिक स्तर की गद्य पुस्तकों में मानवीय मूल्यों का अध्ययन, रामचरित मानस—सामाजिक शिष्टाचार और नैतिकता के सन्दर्भ में, माध्यमिक स्तर पर हिन्दी वाक्य रचना सम्बन्धी त्रुटियों का वर्गीकरण और उनका निवारण आधुनिक कविता शिक्षण की समस्यायें और उनका समाधान, राजकीय कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी समस्याएं, 'गद्य गरिमा' के पाठों में सामाजिक चेतना, 'गद्य संकलन' में प्रकृति प्रत्यय (प्रत्यय उपसर्ग, सन्धि, समास) से बने शब्दों का अध्ययन, पूर्व माध्यमिक स्तर की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय चेतना, 'काव्यांजलि' में रस योजना, 'काव्यसंकलन' की कविताओं का काव्य सौन्दर्य आदि पर कार्य हुआ है। इस प्रकार के समसामयिक पक्षों पर तथा हिन्दी भाषा के स्तरोन्नयन के विविध पहलुओं पर शोध करना और नये-नये तथ्यों को प्रकाश में लाना विभाग के शोध कार्यों की विशिष्टता हैं।

प्रकाशन :—संस्थान द्वारा अब तक "वाणी" (त्रैमासिक पत्रिका) के 48 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से कुछ अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किये गये हैं। राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी, अन्य भाषायी प्रदेश और हिन्दी, हिन्दी गद्य शिक्षण, हिन्दी पद्य शिक्षण, हिन्दी व्याकरण शिक्षण, हिन्दी भाषा शिक्षण तथा हिन्दी साहित्य विशेषांक इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।

प्राथमिक, पूर्वमाध्यमिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों व शिक्षकों के लाभार्थ 60 लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जा चुका हैं। इनमें से कतिपय के शीर्षक इस प्रकार है—मुहावरा संग्रह, हिन्दी शिक्षक

निर्देशिका (कक्षा 6 7 8) शब्द सन्दर्भ और अर्थ, हिन्दी वाक्य रचना, आओ वर्तनी सुधारें (कक्षा 1 से 5 तक) हिन्दी-शिक्षक निर्देशिका (कक्षा 1 से 5 तक) हिन्दी शब्द-रचना (प्राथमिक स्तर), उच्चारण-शिक्षण, शब्द शक्ति, लोकोक्ति संग्रह, हिन्दी तेलुगु तुलनात्मक अध्ययन, हिन्दी कारक विचार, बाल गीत संग्रह, हिन्दी व्याकरण, सन्धि विचार, हिन्दी अध्ययन पर भोजपुरी का प्रभाव, प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर के छात्रों की शब्द सम्पदा का अध्ययन, राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी, हिन्दी उच्चारण—संदर्शिका, हिन्दी की शब्द सम्पदा (प्राथमिक स्तर) हिन्दी की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों में प्रचलित शब्दों का अध्ययन, लोकोक्ति एवं मुहावरे, छात्रों की भाषागत त्रुटियों का अध्ययन, कहानी-शिक्षण, गद्य-शिक्षण, कविता-शिक्षण आदि ।

अन्य कार्य :—उपर्युक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, साक्षरता निकेतन उत्तर प्रदेश लखनऊ, क्षेत्रीय विद्यालय अजमेर (राजस्थान), केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित विभिन्न विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं में यहाँ के अधिकारी एवं प्रवक्ता विषय-विशेषज्ञ के रूप में समय-समय पर भाग लेते रहते हैं । हिन्दी पाठ्य पुस्तकों के संशोधन, परिवर्द्धन और पुनर्लेखन का कार्य भी संस्थान द्वारा किया जाता है । कक्षा 1 तथा 5 की हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों की रचना इस संस्थान के निर्देशन में ही की गयी थी । आकाशवाणी के लिए उच्चारण सम्बन्धी 6 पाठों की रचना भी यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा की गयी है जिसका प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया जा चुका है । समय-समय पर आकाशवाणी के लिए अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये जाते हैं ।

भारतीय भाषा विभाग

पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1.	निदेशक	3000—4500	1	स्थायी
2.	सहायक निदेशक	2200—4000	1	,,
3.	शोध अधिकारी	2000—3500	2	,,
4.	प्रवक्ता	1600—2660	6	,,
5.	वरिष्ठ सहायक	1400—2300	1	,,
6.	शिविर सहायक	1200—2040	2	,,
7.	वरिष्ठ लिपिक	1200—2040	1	,,
8.	कनिष्ठ लिपिक	950—1500	1	,,
9.	दफ्तरी	950—1500	2	,,
10.	परिचारक	750— 940	1	,,

विदेशी तथा अंग्रेजी भाषा विभाग

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :—

विदेशी भाषा विभाग (आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान) की स्थापना ब्रिटिश काउन्सिल, नई दिल्ली तथा इंग्लैंड के न्युफील्ड फाउन्डेशन की आर्थिक सहायता से दिसम्बर 1956 में इलाहाबाद में हुई थी। प्रथमतः संस्थान ने अपना कार्य राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के भवन के एक खण्ड में आरम्भ किया। उस समय यह "इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन्स्टीट्यूट के नाम से अभिहित किया जाता था। सन् 1963 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत हो जाने के पश्चात यह संस्थान शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सन्निविष्ट हो गया। संस्थान के भवन और छात्रावास का निर्माण एलनगंज (इलाहाबाद) में सन् 1974 में पूर्ण हो जाने पर यह संस्थान अपने भवन में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत हैं। वर्ष 1956 से वर्ष 1972 ताक इस विभाग के स्टाफ में असोशिएट प्रोफेसर के पद पर ब्रिटिश काउन्सिल द्वारा नियुक्त ब्रिटिश पदाधिकारी कार्यरत रहे। विभाग की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में इन पदाधिकारियों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा।

सन् 1981 से प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान में कार्यरत संस्थानों को उनके कार्य कलापों में मार्ग दर्शन देने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई और तब से यह संस्थान परिषद की एक सक्रिय इकाई के रूप में निरन्तर कार्य कर रहा है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :—

इस विभाग की स्थापना का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करके अंग्रेजी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षण से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य का सम्पादन करना है। केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद अंग्रेजी

पठन-पाठन के स्तरोन्नयन हेतु राज्य स्तर पर जो भी कार्य-क्रम नियोजित करता है, उसे प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का दायित्व अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान को ही सौपा जाता हैं।

कार्य क्षेत्र :—

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की स्थापना ब्रिटेन स्थित न्यूफील्ड फाउन्डेशन तथा नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउन्सिल की सहायता से प्रदेश में अंग्रेजी पठन तथा शिक्षा के स्तर में उन्नति लाने हेतु की गई थी। अतएव प्रारम्भ से ही इस संस्थान का मुख्य कार्य सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री की रचना, अनुगमन कार्यक्रम तथा शोध परियोजनाओं का संचालन एवं सम्पादन करना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएँ जिनका सम्बन्ध अंग्रेजी पठन पाठन से होता हैं, प्रदेशीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए इसी संस्थान द्वारा संचालित और कार्यान्वित होते हैं। इनके अतिरिक्त संस्थान के विशेषज्ञों की सेवाएं परामर्शदाता के रुप में प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर की विभिन्न संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई जाती है।

प्रशिक्षण :—

विदेशी भाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल स्तरीय अंग्रेजी अध्यापकों द्वारा अनुभूत शैक्षिक कठिनाइयों के निराकरण करने हेतु समय-समय पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अनुगमन गोष्ठियाँ आयोजित कर हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रशिक्षण की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा शिक्षकों की अनेक समस्याओं का निराकरण और अंग्रेजी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। जूनियर हाई स्कूल के अंग्रेजी अध्यापकों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से निरीक्षण शाखा के अधिकारियों, उप विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका तथा प्रति उपविद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं के लिए लघु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ये प्रशिक्षण कार्य निम्नवत् हैं :—

(क) प्रशिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन :—

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान द्वारा शोध कार्य और परियोजनाओं के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल स्तरों पर वर्तमान संरचनात्मक पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं बालकों की अभिव्यक्ति के विकास हेतु सुझाव, हाई स्कूल कक्षाओं में अंग्रेजी काव्य शिक्षण की समीक्षा एवं सुधार हेतु सुझाव, "जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल कक्षाओं में अंग्रेजी भाषा शिक्षण की कठिनाइयाँ और उनके निवारण हेतु निर्देश, "जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न बैंक का निर्माण, "कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हेतु प्रश्नावली का निर्माण, "कक्षा 6 के लिए रेडियों पाठों की स्क्रिप्ट का निर्माण, "जूनियर हाई स्कूल की अंग्रेजी की कक्षाओं में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का सुदृढ़ीकरण आदि विविध पक्षों पर कार्य किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के उद्देश्य से शिक्षकों की सहायतार्थ मल्टीमीडिया सामग्री का भी निर्माण किया गया है।

इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अगस्त से दिसम्बर तथा जनवरी से अप्रैल की अवधि में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सेना के शिक्षा

विभाग के लिए 5 स्थान सुरक्षित हैं। अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधिकारी कुछ नवीन अभ्यर्थियों को भी इसमें प्रवेश दिया जाता है।

(ख) लघु प्रशिक्षण तथा अनुगामी कार्यक्रम :—

संस्थान के विशेषज्ञ लघु प्रशिक्षण तथा अनुगामी कार्यकर्मों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षकों से सम्पर्क स्थापित कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं और शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। तत्पश्चात् इस क्षेत्र में अग्रिम अनुसंधान हेतु अनुवर्ती सूचनाओं का संकलन करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में तीन, छः तथा दस दिवसीय लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके विभिन्न स्तरों पर अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सेवारत अध्यापक/अध्यापिकाओं को अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विविध आयामों (व्याकरण, वाचन, लेखन, रचना, वाचन प्रवीणता) से अवगत कराने के लिए संस्थान के विशेषज्ञ संस्थान में तथा जनपदों में जाकर प्रशिक्षण देते हैं।

(ग) विशेष उद्देश्यीय प्रशिक्षण :—

जब कभी पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री अथवा परीक्षा पद्धति में कोई नवीन परिवर्तन अथवा सुधार की अपेक्षा होती है तो अंग्रेजी अध्यापकों, प्रशिक्षकों तथा संदर्भ व्यक्तियों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण हेतु लघु प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन किया जाता हैं। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के विकास को दृष्टि में रखते हुए समयबद्ध तथा सुनियोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण की अवधि और स्थान का निर्धारण कर ऐसे कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित किये जाते हैं।

विशेष उद्देश्यीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हाई स्कूल स्तर की अंग्रजी पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकृत होने के परिप्रेक्ष्य में संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश के हाई स्कूलों के अंग्रेजी अध्यापक/अध्यापिकाओं को दस दिवसीय कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(घ) अंग्रेजी वाचन प्रवीणता कोर्स :—

शिक्षा विभाग के निर्देश पर वर्ष 1977 से प्रयोग के रूप में अंग्रेजी वाचन प्रवीणता कोर्स प्रारम्भ किया गया। पचास दिवसीय अंग्रेजी वाचन प्रवीणता कोर्स के अब तक 23 कोर्स हो चुके हैं और लगभग 600 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस पाठ्यक्रम की लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इस पाठ्यक्रम के संचालन का उद्देश्य यह है कि स्नातक नवयुवक विभिन्न व्यवसायों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी वाचन प्रवीणता अर्जित कर सके।

शोध अध्ययन

सहायक पाठ्य सामग्री का निर्माण :—

संस्थान द्वारा समय-समय पर सहायक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। यह कार्य पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्य पुस्तक प्रणयन के अतिरिक्त है। इसके अन्तर्गत द्रुतपाठ की पुस्तकें, दीवाल चित्र, फ्लेश कार्डस कैसेट्स, ग्रामोफोन रेकार्ड तथा शिक्षकों के प्रयोग में आने वाली पुस्तकें हैं।

राज्य सरकार की पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण नीति के अनुशीलन में इस संस्थान के विशेषज्ञ, पाठ्य पुस्तक अनुभाग, लखनऊ तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० के सहयोग सें जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, व्याकरण तथा रचना की पुस्तकों के प्रणयन में सक्रिय योगदान करते हैं।

इस संस्थान द्वारा अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के विविध आयामों को उद्घाटित करने वाली दिग्दर्शिकाएँ, मोनोग्राफ तथा निर्देशिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं। जूनियर हाई स्कूल स्तर के लिए कुछ वर्ष पूर्व रेडियो पाठ तैयार किये गये थे तथा नवीन पाठों की रचना विचाराधीन है। मूल्यांकन हेतु नवीन प्रविधि को दृष्टि में रखकर एवं आदर्श प्रश्न संदर्शिका भी तैयार की गई थी जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने प्रकाशित किया है।

परामर्श–सेवाएँ :—

संस्थान के प्राध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा अन्य शैक्षिक सगठनों द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

वर्तमान पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	वेतनक्रम	संख्या
1.	प्राचार्य	3000—4500	1
2.	एशोशिएट प्रोफेसर	2200—4000	2
3.	प्रोफेसर	2200—4000	1
4.	सहायक प्रोफेसर	2000—3500	1
5.	सहायक प्रोफेसर	2000—3500	1
6.	प्रवक्ता	1600—2660	2
7.	प्रवक्ता	1600—2660	2
8.	वरिष्ठ सहायक	1400—2300	1
9.	शिविर सहायक	1200—2040	1
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1200—2040	1
11.	वरिष्ठ लिपिक	1200—2040	1
12.	कनिष्ठ लिपिक	950—1500	1
13.	ड्राइवर	950—1500	1
14.	दफ्तरी	775—1025	1
15.	परिचारक	750—940	7
16.	परिचारक	750—940	2

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

(राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

यह संस्थान देश में स्थापित अपने ढंग का एक विशिष्ट संस्थान है। अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में इसकी स्थापना मूलतः सन् 1896 में लखनऊ में राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में हुई थी जहाँ से स्थानान्तरित होकर कालान्तर में यह इलाहाबाद आया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 की संस्तुति और 11 मार्च 1904 के प्रस्ताव के अनुशीलन में इसका उन्नयन उच्चस्तरीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में हो गया और यहाँ आई० ई० एस० श्रेणी के योग्य तथा प्रशिक्षित प्राध्यापकों की व्यवस्था की गई। सन् 1927 तक यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एल० टी० डिप्लोमा प्रदान करने के निमित्त सम्बद्ध रहा और इसी वर्ष इसे प्रान्तीय शासन के शिक्षा विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया और परीक्षा-व्यवस्था रजिस्ट्रार, शिक्षा बिभागीय परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न होने लगी।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के संदर्भ में गठित आचार्य नरेन्द्र देव समिति 1929 की संस्तुति के क्रियान्वयन में स्वातन्त्र्योत्तर भारत सन् 1948 में इस प्रशिक्षण संस्थान का स्तरोन्नयन राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान के रूप में किया गया। सन् 1981 में यह संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सम्बद्ध होकर मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के रूप में प्रदेश के शैक्षिक उन्नयन के विविध कार्यकलाप में तत्पर है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के बहुआयामी कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्य शैक्षिक मूल्यों के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु उच्चस्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था, सेवारत शिक्षकों एवं अधिकारियों को अद्यतन शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु सतत तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय महत्व की सम सामयिक शैक्षिक परियोजनाओं, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का संयोजन, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप शोध कार्य, अभिनव शिक्षण तकनीकी की खोज एवं यर्थाथपरक पाठ्यक्रम की रचना करना है। प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम शोध को परामर्शदात्री समिति के रूप में शिक्षकों को अध्यापन की नवीनतम पद्धतियों और अद्यतन शैक्षिक अवधारणाओं से अवगत कराने हेतु शैक्षिक साहित्य का सृजन, पाठ्य पुस्तकों की रचना और नवीनीकरण, शैक्षिक मूल्यों के विकास एवं सम्वर्द्धन पर उपयोगी साहित्य का निर्माण इनके प्रमुख कार्यों में है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष परियोजनाओं का सूत्रपात करना, विदेशों की

शैक्षिक उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिवेश की प्रासंगिकता के अनुरूप समन्वय स्थापित करना विभाग के उल्लेखनीय कार्यों में है।

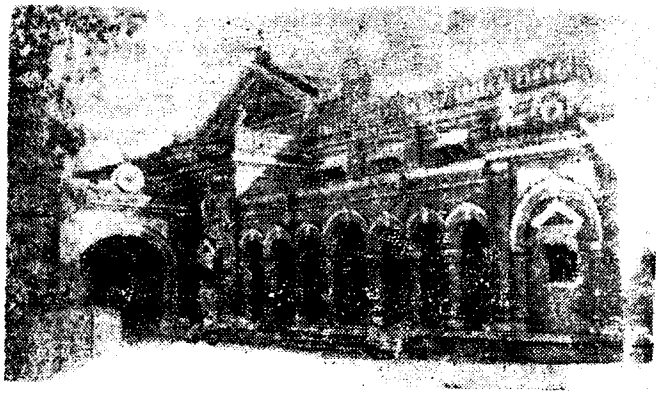

कार्य क्षेत्र :

यह संस्थान एल० टी० (सामान्य) पूर्व सेवा प्रशिक्षण, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये सतत शिक्षा एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षा-अधिकारियों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन करता है। हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के तत्वाधान में शैक्षिक मूल्यों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी समय-समय पर संस्थान द्वारा आयोजित किये जाते हैं। यह संस्थान शिक्षा:विभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, एन० सी० ई० आर० टी० तथा विभिन्न सस्थानों/संस्थाओं, शैक्षिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों से शैक्षिक परामर्श और सहयोग का कार्य भी करता है। शोधकार्य/परियोजना/गोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन भी समय-समय पर आवश्यतकानुसार किया जाता है। राजकीय संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष दो-दो सप्ताह के दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा अभिनव प्रयोगों के संचालन एवं सम्वर्द्धन आदि मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के बहुआयामी कार्यकलापों के महत्वपूर्ण अंग हैं।

प्रशिक्षण :

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग सेवा पूर्व, सेवाकालीन सतत शिक्षा, प्रबन्धकीय, प्रशासकीय तकनीकीय और अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष एल० टी० (सामान्य) स्नातकोत्तर शिक्षक -प्रशिक्षण पाठ्यकम में इस विभाग द्वारा प्रति वर्ष 80 छात्राध्यापकों को प्रवेश दिया जाता है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण के अन्तर्गत माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं से अवगत कराने के लिए तथा नवीन परिवर्तनों, आयामों का परिज्ञान देने हेतु सतत शिक्षा और पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे चुनकर आने वाले शिक्षा अधिकारियों को एल० टी० (सामान्य) पाठ्यक्रम तथा विभिन्न प्रकार के विभागीय नियमों और अधिनियमों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण इस प्रकार हैं—

(क) माइक्रो टीचिंग :—

सन् 1984 में इस संस्थान द्वारा संचालित एल० टी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत माइक्रो टीचिग में पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्राध्यापक को 40-40 माइक्रो टीचिंग का अभ्यास अनिवार्य कर दिया गया है। संस्थान में इस प्रविधि द्वारा शिक्षण अभ्यास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 21 शिक्षण कौशलों में से 11 शिक्षण कौशलों का चयन किया गया है और इनका अभ्यास माइक्रो टीचिंग के अन्तर्गत कराया जाता है।

(ख) प्रधानों के लिए प्रबन्धकीय विकास प्रशिक्षण

वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शैक्षिक प्रबन्ध को अवधारणा तथा विभिन्न पक्षों से शैक्षिक अधिकारियों को अवगत कराने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति से नवनियुक्त प्रधानों के लाभार्थ अकादमिक प्रबन्धकीय विकासात्मक अभिनवीकरण के दो दो सप्ताह के दो फेरे आयोजित किये जाते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सेवारत शैक्षिक अधिकारियों को विधियों, नियमों, कार्यालय विधि, जन व्यवहार के विविध पक्ष, नई प्रशासनिक तकनीकी और नियोजन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त शिक्षा के नये आयामों तथा विभिन्न संचालित योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, समस्याओं की जानकारी और प्रशिक्षण देना है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मार्च 1984 से फरवरी 1988 की अवधि में 233 प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) श्रव्य-दृश्य शैक्षिक इकाई

संस्थान द्वारा छात्राध्यापकों को तकनीकी सामग्री यथा फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, टेप रिकार्डर के माध्यम से श्रव्य-दृश्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक सुसज्जित काष्ठ शिल्प कार्यशाला में सहायक सामग्रियों के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(घ) सतत एवम् पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

इस संस्थान में इस योजना का सूत्रपात दिसम्बर 1980 में हुआ था। शिक्षा विभाग द्वारा इस संस्थान को इलहाबाद मंडल के 6 जनपदों (फर्रूखाबाद, इटावा, कानपुर, नगर और देहात, फतेहपुर, इलाहाबाद) के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए सभी मानविकी विषयों, गणित विज्ञान और भाषा में सतत शिक्षा कार्यक्रम के सम्पादन के साथ पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा तथा पुनर्बोधात्मक शिक्षा के संचारेक्षण का दायित्व भी सौपा है जिसे मनोयोगपूर्वक किया जा रहा है। संस्थान ने प्रदेश के समस्त सतत शिक्षा केन्द्रों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक सतत शिक्षा प्रशिक्षण की उपलब्धियों प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षित शिक्षकों के अभिनृत्यात्मक परिवर्तनों के मूल्यांकन का अध्ययन भी किया है।

(च) सामुदायिक गायन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के तत्वावधान में इस संस्थान द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर के सामुदायिक गायन के दस दिवसीय प्रशिक्षण फेरे का आयोजन कर देश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के संगीत अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन

सामुदायिक गायन कार्यक्रमों में भारत की विभिन्न भाषाओं से चयनित कतिपय गीतों के सामूहिक गायन माध्यम से राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का संचार किया जाता है।

शोध अध्ययन

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा निष्पन्न सम्पूर्ण शोध का स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र व्यावहारिक और क्रिया परक होता है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक समस्याओं पर शोध कार्य किया जाता है जैसे– पाठन विधियाँ, पाठ्यक्रम संरचना, शैक्षिक उपकरण और सहायक सामग्री पाठ्य पुस्तक संरचना मूल्यांकन प्रविधि विकसित करना, मंदगामी अल्पार्जक और सेधावी छात्रों की समस्याओं का समाधान आदि है। दूसरे शब्दों में अनुसंधान का विषय विद्यालय तथा वर्तमान शैक्षिक परिवेश की वे ज्वलन्त समस्याएं होती हैं जिनके समाधान की अपरिहार्य आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। यह क्षेत्र शिक्षण सम्बन्धी, परीक्षा सम्बन्धी समस्याएं— जैसे अनुचित साधन की समस्या, परीक्षा की विश्वसनीयता की समस्या, प्रश्न पत्रों के निर्माण की समस्या सपुस्तक परीक्षा की समस्या, मूल्यांकन की समस्या, सहगामी क्रियाओं में अभिरुचि उत्पन्न करने की समस्या, विद्यालयीय वातावरण में नैतिकता का समावेश करने की समस्या, अनुशासन की समस्या आदि से सम्बद्ध होता है।

वर्ष 1987-88 में इस विभाग द्वारा "राज्य में गृह परीक्षा में निदेशित सपुस्तक परीक्षा के प्राप्त अनुभवों का संकलन एवं समीक्षा, "सामाजिक विज्ञान (हाई स्कूल कक्षाओं के लिए) के निदान सूचक परीक्षणों की रचना" विद्यालय स्तर का सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा "हाई स्कूल स्तर पर यौन पूर्वाग्रह निराकरण शिक्षा का अनिवार्य आयाम के सन्दर्भ में पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का अनुशीलनात्मक अध्ययन" माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के शिक्षण एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्य कलापों की स्थिति का सर्वेक्षण आदि पर शोध अध्ययन किया गया है।

उपचारात्मक शिक्षा इकाई

संस्थान की उपचारात्मक शिक्षण इकाई द्वारा प्रशिक्षण शोध, परियोजना और विस्तार सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत धीमी गति से सीखने वाले एवं अल्पार्जक छात्रों के लिए निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, पाठशाला के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्यक्रम सुनियोजित कर इसे क्रियान्वित कराया जाता है, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों को उपचारात्मक शिक्षण की तकनीक से अवगत कराया जाता है तथा मेधावी छात्रों की प्रतिभा के सम्बर्द्धन के लिये नवीन योजनाओं की उद्भावना की जाती है।

उपचारात्मक शिक्षण इकाई द्वारा अब तक जहाँ 3500 से अधिक अध्यापकों को इस विधा में प्रशिक्षित किया जा चुका है, वहीं लगभग 5000 पिछड़े छात्रों का अध्ययन तथा शैक्षिक निदेशन भी किया जा चुका है। 30 निदान सूचक परीक्षणों की रचना के अतिरिक्त 12 शोध परियोजनाओं को भी पूर्ण कर लिया गया है।

सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप :

इस संस्थान द्वारा शिक्षा संसद के तत्वावधान में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्रिया कलाप आयोजित किये जाते हैं और समय-समय पर शिक्षाविदों तथा विख्यात विद्वानों को भाषण देने हेतु आमंत्रित किया जाता है। अध्ययन वृत्त के अन्तर्गत विभिन्न सामान्य रुचि के विषयों पर पत्रक-पठन के नियमित कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं।

परामर्शी कार्य एवं अन्य विशिष्ट संस्थानों से सहयोग

यह संस्थान राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों में नियोजन आदि की समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा राज्य स्तरीय और राष्ट्रस्तरीय विभिन्न विशिष्ट शैक्षिक अभिकरणों यथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न विभागों को पाठ्यक्रम निर्माण विचार-विनिमय तथा विविध कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देता हैं।

प्रायोगिक विद्यालय

कुल मिलाकर आरम्भ से ही यह संस्थान प्रदेशीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में प्रभावी रहा है। एक ओर जहाँ प्रदेश स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उच्च स्तर का अनुरक्षण करता रहा है वहीं अपनी शोध परियोजनाओं, विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं और अनुसंधानों द्वारा अध्यापकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों में शिक्षा के अभिनव विचारों का प्रचार करता आया हैं।

संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में दो विद्यालय-राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद (कक्षा 6 से 12 तक) तथा बेसिक डिमोस्ट्रेशन स्कूल (कक्षा 1 से 8 तक) संलग्न हैं। कक्षा शिक्षण अभ्यास की सुविधा के अतिरिक्त उपर्युक्त दोनों विद्यालय शैक्षिक अनुसंधान के लिये शोधशाला के रूप में उपलब्ध रहते हैं। राजकीय इण्टर कालेज में द्विपाली की व्यवस्था में अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों से आये हुये मेधावी छात्रों के लिये आवासीय शिक्षण की व्यवस्था भी है।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग-वर्तमान पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	वेतन क्रम	संख्या	अस्थाई/स्थाई
1	2	3	4	5
1..	प्राचार्य	3000—4500	1	स्थाई
2..	वरिष्ठ शोध अधिकारी	3000—4500	1	,,
3..	उप प्राचार्य	2200—4000	1	,,
4..	प्रथम प्रोफेसर	2200—4000	1	,,
5..	कनिष्ठ शोध अधिकारी	2200—4000	4	,,
6..	प्रोफेसर	2200—4000	3	,,
7..	प्रोफेसर	2000—3500	12	,,

1	2	3	4	5
8.	प्रवक्ता	1600—2660	5	स्थाई
9.	रिसर्च फैलो	1600—2660	1	,,
10.	अधीक्षक शारीरिक शिक्षा	1600—2660	1	,,
11.	सहायक अध्यापक	1400—2300	2	,,
12.	वरिष्ठ सहायक	1400—2300	1	"
13.	वरिष्ठ सहायक	1200 2040	1	"
14.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1200—2040	1	"
15.	शिविर सहायक	1200—2040	3	"
16.	वरिष्ठ लिपिक	1200—2040	5	"
17.	कैटलागर	975—1660	1	"
18.	कनिष्ठ लिपिक	950—1500	1	"
19.	आपरेटर	975—1660	1	"
20.	हेड माली	825—1200	1	"
21.	दफ्तरी	775—1025	1	"
22.	परिचारक	750— 940	28	"

—: 00 :—

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग

(राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान) इलाहाबाद

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :–

प्रदेश की विद्यालयीय शिक्षा को समयानुरूप वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप प्रदान करने तथा विज्ञान एवं गणित विषयों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु भारत सरकार के पूर्ण वित्तीय सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 12 फरवरी 1965 को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की स्थापना इलाहाबाद में की गई।

वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के गठनोपरान्त राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान परिषद के विज्ञान और गणित विभाग के रूप में राज्य में प्रारम्भिक स्तर से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक विज्ञान और गणित की शिक्षा के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण सें सम्बन्धी बहु आयामी कार्यकलाप करने की दिशा में सक्रिय है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :–

परिषद के इस विभाग का मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा का विकास एवं तत्ससम्बन्धित अनुसंधान, प्रशिक्षण प्रकाशन और प्रसार है। इन शीर्षकों के अन्तर्गत यह संस्थान नये पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों के लेखन, विज्ञान शिक्षण हेतु दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का निर्माण, विज्ञान अध्यापकों की दक्षता बढ़ाने के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रदेश में विज्ञान शिक्षा के उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों जैसे शोध अध्ययन, विज्ञान प्रदर्शनी, विद्यार्थी विज्ञान संगोष्ठी आदि का आयोजन कर बहुआयामी उद्देश्यों की पूर्ति में तत्पर रहता है।

कार्य क्षेत्र :–

प्रशिक्षण :–

परिषद के इस विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान अध्यापकों हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तहत शिक्षकों को विज्ञान किट तथा पर्यावरणीय सामग्रियों का उपयोग कर विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है तथा अध्यापक प्रतिभागियों को विज्ञान शिक्षण के अत्याधुनिक नवीन तकनीकी से अवगत कराया जाता है

हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान–2, जीव विज्ञान, गणित–2 के अध्यापकों हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अध्यापक प्रतिभागियों की विषयगत कठिनाइयों का निवारण कठिन संबोधों की सम्प्रेषण विधियों पर विचार विमर्श और नवीन शिक्षण तकनीकी से अवगत कराया जाता है। सपुस्तक परीक्षा प्रणाली पर आधारित प्रश्न पत्रों के निर्माण से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इनके अतिरिक्त राजकीय दीक्षा विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें वैज्ञानिक विषयों की नवीनतम शिक्षण तकनीकी से लाभान्वित किया जाता है।

विज्ञान और गणित विभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत विज्ञान और गणित का पाठ्यक्रम तैयार करना, छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखना, विज्ञान शिक्षकों के मार्ग दर्शन के लिए सन्दर्शिकाएँ तैयार करना, विज्ञान शिक्षा से जुड़े प्रयोगात्मक कार्यों में सुधार लाना, विज्ञान जीव विज्ञान और गणित के शिक्षकों के निमित्त गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना, सेवारत अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों के लाभार्थ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करना, विभिन्न स्तरों के विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों, किट गाइड, प्रश्न बैंकों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण, संशोधन और नवीनीकरण, जनपद, मंडल, राज्य स्तर पर विभिन्न विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से विज्ञान शिक्षा का प्रसार करना, जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान संगोष्ठी तथा विज्ञान लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना, शैक्षणिक सामग्री, किट गाइड, विज्ञान प्रयोगशाला हेतु न्यूनतम उपकरण/सामग्री/काष्ठोपकरण हेतु दिग्दर्शिका का निर्माण स्वनिर्मित उपकरण से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन, पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों पर समीक्षाएँ लिखना, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को शैक्षिक एवं तकनीकी परामर्श देना आदि समाहित है।

शोध अध्ययन :–

शोध कार्य एवं अध्ययन के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर और जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान किटों का उपयोग न होना। प्रारभिक स्तरीय विज्ञान और गणित की पुस्तकों का संशोधन और परिमार्जन, माध्यमिक स्तरीय विज्ञान और गणित के पाठयक्रमों की समीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा विकसित माध्यमिक और प्रारम्भिक स्तरीय विज्ञान के पाठ्यक्रम का अध्ययन/अनुकूलन तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षाओं में गणित–1 विषय के परीक्षाफल में गिरावट आने के कारणों पर कार्य किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु छात्रों का मार्ग दर्शन

प्रदेश से अधिक संख्या में प्रतिभावान छात्र राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डलीय मुख्यालयों पर प्रतिभावान छात्रों के लिये विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन इस विभाग के प्रोफेसरों एवं मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद द्वारा मनोनीत मनोवैज्ञानिकों के संयुक्त निर्देशन में प्रतिवर्ष किया जाता है।

जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

प्रदेश के छात्रों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के प्रदर्शन और सृजनात्मक कौशल की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश शासन की वित्तीय सहायता एवं जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि के सहयोग से वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष जनपद, मण्डल और राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० जवाहर लाल नेहरू की पावन स्मृति में किया जाता है। राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में केवल मण्डल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों से चयनित प्रदर्श सम्मिलित किये जाते है। प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मण्डल को वैजयन्तियाँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मण्डल के सभी प्रतिभागी विजेताओं में भी स्वर्ण, रजत और कास्य पदक वितरित कर प्रोत्साहित किया जाता है।

विज्ञान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

इस विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं की साज–सज्जा एवं उपकरणों के सुदृढ़ीकरण की एक योजना संचालित की गई है और इसके तहत मानक न्यूनतम उपकरण, काष्ठोपकरण तथा सामग्री के आधार पर प्रदेश के सभी विद्यालयों की विज्ञान प्रयोग शालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रगति पर है।

प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठय पुस्तकों की रचना

विभाग द्वारा कक्षा 3, 4, 5 के लिए विज्ञान की पाठय पुस्तकें "आओ विज्ञान करके सीखें" का निर्माण किया गया है। ये पाठ्य पुस्तकें सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय पुस्तकों के रूप में प्रयुक्त की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत एन. सी. आर. टी. द्वारा विकसित पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में इनके संशोधन एवं अनुकूलन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जर्मन जनवादी गणराज्य के सहयोग से निर्मित विज्ञान किट कर्मशाला

विज्ञान शिक्षा के उन्नयन हेतु यह आवश्यक है कि जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध हों। अतः इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जर्मन जनवादी गणराज्य के सहयोग से विज्ञान और गणित विभाग, इलाहाबाद में विज्ञान किट कर्मशाला का निर्माण हो चुका है और कार्य प्रगति पर है।

विज्ञान किटों का वितरण

यूनीसेफ तथा एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली से निर्मूल्य प्राप्त तथा राज्य सरकार के अनुदान से क्रय किये गये विज्ञान किटों का वितरण राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है। प्राथमिक किट के समुचित

उपयोग हेतु राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा किट गाइड का निर्माण कराया गया हैं। अध्यापकों के मार्ग दर्शन हेतु इसे मुद्रित करके वितरित कराया जा रहा है।

संकुल योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तरीय अध्यापकों का प्रशिक्षण :–

इस योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को संकुल केन्द्र के रूप में प्रयुक्त कर प्राथमिक स्तरीय अध्यापकों को विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

पर्यावरण एवं स्थानीय साधनों से उपलब्ध सामग्री पर प्राथमिक स्तरीय विज्ञान किट एवं किट गाइड का निर्माण :–

पर्यावरण और स्थानीय साधनों से उपलब्ध अथवा निर्मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्य की सामग्री का उपयोग करके राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में प्रतिदर्श के रूप में प्राथमिक स्तरीय विज्ञान किट के निर्माण हेतु कार्य किया गया है।

शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण और विचार गोष्ठियां :—

विज्ञान और गणित विभाग समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों, सीधी भर्ती से चुने गये अधिकारियों, उप विद्यालय निरीक्षकों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं, शिक्षा अधीक्षकों व दीक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापकों आदि के लिए विज्ञान शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और विचार गोष्ठियों का आयोजन करता है।

जनपद और मंडल स्तर पर विज्ञान शिक्षा के उन्नयन हेतु कार्यक्रम :–

राज्य में जनपद एवं मंडल स्तर पर विज्ञान शिक्षा के उन्नयन सम्बन्धी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विज्ञान पर्यवेक्षक तथा मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारियों के माध्मम से होता है। अतः इनकी कार्य गोष्ठियां भी समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम :–

राज्य विज्ञान संस्थान को क्लास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र के रूप में चयनित कर माइक्री कम्प्यूटर प्रदान किये गये है। विज्ञान शिक्षण क्री इस नवीनतम तकनीक से संस्थान में आयोजित होने वाले विभिन्न सेवारत प्रशिक्षणों में अध्यापकों को कम्प्यूटर की कार्य प्रणाली से अवगत कराया जाता है।

विज्ञान तथा गणित विभाग-वर्तमान पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	वेतन क्रम	संख्या	स्थाई/अस्थाई
1.	निदेशक	3200–4875	1	अस्थाई
2.	सहायक निदेशक	3000-4500	1	स्थाई
3.	वरिष्ठ प्रोफेसर	3000–4500	4	अस्थाई
4.	प्रोफेसर	2800–4000	10	स्थाई
5.	प्रवक्ता	2000-3500	9	अस्थाई
6.	सीनियर वर्कशाप मैकेनिक	2000–3200	1	,,
7.	वरिष्ठ सहायक	1400–2600	1	स्थाई
8.	वरिष्ठ सहायक	1400–2300	1	,,
9.	वरिष्ठ सहायक	1200–2040	2	,,
10.	शिविर सहायक	1200–2040	2	,,
11.	पुस्तकालयध्यक्ष	1200–2040	1	,,
12.	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	5	,,
13.	वर्कशाप सहायक	975–1660	3	अस्थाई
14.	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	1	,,
15.	ड्राइवर	950–1500	1	,,
16.	दफ्तरी	775–1040	1	स्थाई
17.	परिचारक	750- 940	14	,,

दृश्य श्रव्य और शिक्षा प्रसार विभाग

(शिक्षा प्रसार अनुभाग इलाहाबाद)

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए साक्षरता के महत्व को स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही आंका जाने लगा था। सन् 1937 में प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत इस प्रदेश में जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ उसने अपने प्रथम प्रस्ताव में ही प्रदेश में निरक्षरता उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 1938 में शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा प्रसार विभाग के नाम से इस विभाग की स्थापना की। जनवरी 15,1939 को इस विभाग ने प्रान्तीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ किया। आरम्भ में विभाग द्वारा जन-जागरण के लिए सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया गया तत्पश्चात प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रात्रि पाठशालाओं का खुलना प्रारम्भ हुआ। कार्यक्रम के लिए धन संचय के उद्देश्य से बैज्जेज बनाकर बिक्री की गई तथा एक अभियान चलाकर शिक्षित समुदाय से अपेक्षा की गई कि वे एक व्यक्ति को साक्षर बनाने अथवा एक रुपया कोष के लिए दें।

विभाग द्वारा एक रुपया बोनस देकर एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का कार्यक्रम भी आरम्भ हुआ। इस प्रकार का कार्यक्रम 1943-44 तक चलता रहा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को नया स्वरूप देने की दृष्टि से प्रान्तीय स्तर पर गठित सिद्धान्त समिति एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्रौढ़ शिक्षा समिति के सर्वेक्षण प्रारम्भ हुए और उनकी संस्तुतियों के प्राप्त होने तक कार्यक्रम यथावत चलता रहा। वर्ष 1950 से 1957 तक प्रौढ़ साक्षरता का कार्यक्रम सामुदायिक विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया। सन् 1950-51 में इस विभाग में चलचित्र उत्पादन इकाई तथा सिने यंत्र सज्जित वाहनों के संचालनार्थ चार प्रचार अधिकारियों के पद सृजित कर, कार्य का विस्तार किया गया। चलचित्रों के रख-रखाव के लिए तथा शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु चलचित्र निर्गत करने के लिए चलचित्रालय की स्थापना हुई। वर्ष 1960-61 में दृश्य श्रव्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई।

सन् 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, की स्थापना होने पर यह विभाग परिषद से सम्बद्ध हो गया और तब से परिषद के मार्ग दर्शन में प्रदेश में शैक्षिक वातावरण तैयार करने, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने और शैक्षिक चलचित्र के उत्पादन कार्य में कार्यरत हैं।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में इस संस्था का उद्देश्य साक्षरता के प्रचार-प्रसार के विविध अभियानों तक सीमित रहा। प्रौढ़ों में साक्षर बनाने हेतु रात्रि पाठशालाओं की व्यवस्था, प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों और ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना इस संस्था के प्रमुख लक्ष्य थे। बाद में इस विभाग के अन्तर्गत दृश्य श्रव्य संसाधनों

के माध्यम से प्रदेश में शैक्षिक वातावरण के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक चलचित्र उत्पादन इकाई की स्थापना की स्वीकृति दी गई। अब यह विभाग शिक्षा प्रसार के अतिरिक्त चलचित्रों के निर्माण के लक्ष्य को लेकर अपने क्षेत्र में निरन्तर विकासोन्मुख है।

कार्य क्षेत्र :

शिक्षा प्रसार विभाग, सामाजिक शिक्षा एवं दृश्य श्रव्य शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर प्रभावी कार्यक्रमों का निष्पादन कर रहा है। समाज शिक्षा के लिए नूतन प्रयोगों, युक्तियों और उत्प्रेरक क्रियाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का सफल सम्पादन करते हुए गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। समाज के सभी वय-वर्गों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए प्रयोगात्मक रूप में प्रौढ़ों को शिक्षित करने का अभियान यह विभाग संचालित कर रहा है। इस विभाग द्वारा संचालित राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवसाक्षरों, अल्प साक्षरों और शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए साहित्य उपलब्ध कराया जाता है।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के क्षेत्र में दृश्य,श्रव्य तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग में प्रादेशिक दृश्य-श्रव्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र सुलभ है। साथ ही शैक्षिक उपयोगिता के चलचित्रों के निर्माण के लिए व्यवस्थित चलचित्र उत्पादन इकाई भी विभाग से सम्बद्ध है। चलचित्र इकाई द्वारा चलचित्र निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभाग में ही पूर्ण की जाती है जिसके लिए सम्पूर्ण व्यवस्था और संयंत्र सुलभ हैं। इस उत्पादन इकाई द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त करने और शैक्षिक स्तरोन्नयन के लिए 35 मी. मी. तथा 16 मी. मी. के चलचित्रों के निर्माण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं का दृश्य-श्रव्य सामग्रियों के निर्माण और उपयोग का प्रशिक्षण विभाग से सम्बद्ध प्रादेशिक दृश्य-श्रव्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण :

शिक्षा प्रसार विभाग से सम्बद्ध प्रादेशिक दृश्य-श्रव्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं को दृश्य-श्रव्य तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण के लिये

राजकीय/अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय दीक्षा विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं को आहूत किया जाता है।

प्रशिक्षण अवधि में शिक्षकों/शिक्षिकाओं को दृश्य-श्रव्य उपादानों, (प्रक्षेपित/अप्रक्षेपित) के निर्माण की तकनीकी और कक्षा-शिक्षण में उनके प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए केन्द्र पर प्रति वर्ष दस दिवसीय चार सत्र चलाये जाते हैं, जिसमें प्रत्येक सत्र के लिए 12 शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है।

समाज शिक्षा कार्यक्रम :

प्रदेश व्यापी समाज शिक्षा कार्यक्रमों के संचालनार्थ वर्ष १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में दो-दो सचल दलों की स्वीकृति शिक्षा प्रसार विभाग को प्रायोगिक रूप में प्राप्त हुई थी और तभी से चारों सचल दल (सचल गोष्ठी दल, सचल साक्षरता दल, सचल पुस्तकालय दल एवं सचल प्रदर्शनी दल) समाज शिक्षा की इकाई के रूप में समन्वित कार्यक्रमों का संचालन प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं।

सचल गोष्ठी दल का कार्य समसामयिक विषयों, स्थानीय उपयोगी प्रसंगों और समाजोत्थान के प्रेरक प्रसंगों पर आधारित गोष्ठियों का आयोजन कर जनमानस के उद्‌बोधन हेतु दायित्वों का निर्वाह करना है। सचल साक्षरता दल का कार्य सचल गोष्ठी द्वारा संकलित सूचनाओं के आधार पर साक्षरता कार्यक्रम के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर वर्ष भर में 5-5 माह की अवधि के दो साक्षरता शिविरों का संचालन करना है। प्रत्येक शिविर के अन्तर्गत 5 केन्द्र बनाये जाते हैं। शिविर अवधि में केन्द्रों पर साक्षरता प्रसार के अतिरिक्त गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्थानीय विषयों पर परिचर्चा तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सचल पुस्तकालय दल का कार्य साक्षरता पोषित क्षेत्रों में सचल पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना तथा जहाँ पुस्तकालीय सुविधा न हो वहाँ नवसाक्षरों तक विभाग द्वारा प्रणीत साहित्य उपलब्ध कराना है। सचल प्रदर्शनी दल प्रदर्शनों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम सम्पन्न करता है और कलात्मक अभिरुचि के वातावरण के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में प्रदर्शन कक्षों की व्यवस्था करता है।

नवसाक्षरों के लिए प्रति मास नवज्योति मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं नि:शुल्क वितरण शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा किया जाता है। इन्हे विभाग द्वारा संचालित राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों में नवसाक्षरों के उपयोगार्थ प्रेषित किया जाता है। प्रदेश के अन्तस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय और वाचनालय की सुविधा प्रदान करने तथा साक्षरता बनाये रखने के उद्‌देश्य से 1400 राजकीय ग्रामीण पुस्तकालय और 3600 वाचनालय चलाये जाते हैं। प्रतिवर्ष प्रौढ़ों के लिए विभिन्न सामाजिक महत्व के प्रसंगों एवं सामाजिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर चार पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है।

श्रव्य दृश्य शिक्षा :

इस उत्पादन इकाई का कार्य समाज शिक्षा, कक्षा शिक्षण, राजकीय योजनाओं और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विविध उपयोगी प्रसंगों पर चलचित्र तैयार करना है। इन चलचित्रों का उपयोग

Planning and Aminis[illegible]ation
17-B,Sri Aurbindo Marg, New Delhi-11001
DOC. No....D-5511........
Date.......18-6-90

विशेष रूप से समाज शिक्षा कार्यक्रमों तथा कक्षा शिक्षण में किया जाता है। इस विभाग के प्रादेशिक चलचित्रालय में शैक्षिक महत्व के क्रय किये गये तथा विभाग द्वारा निर्मित चलचित्रों का संग्रह किया जाता है। यहाँ से सदस्य संस्थाओं और विभागीय कार्यक्रमों के लिए चलचित्र निर्गत किये जाते हैं तथा उनके रख-रखाव की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों (राजकीय / अराजकीय), दीक्षा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को श्रव्य दृश्य तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्थापना काल से अब तक इस प्रशिक्षण केन्द्र में 565 अध्यापकों को श्रव्य दृश्य शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

शिक्षा प्रसार विभाग के वर्तमान पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	वेतन क्रम	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1.	2	3	4	5
1.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2200–4000	1	स्थायी
2.	निदेशक चलचित्र	2200–4000	1	,,
3.	सहायक शिक्षा प्रसार अधिकारी	2000–3500	1	,,
4.	प्रवक्ता	1600–2660	2	,,
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1660–2660	1	,,
6.	श्रव्य-दृश्य शिक्षा अधिकारी	1660–2660	1	,,
7.	पत्रकार	1660–2660	1	,,
8.	लेखक	1660–2660	1	,,
9.	स्क्रिप्ट राइटर	1660–2660	1	,,
10.	फिल्म एडीटर	1400–2600	1	,,
11.	ध्वनि अभियन्ता	1400–2600	1	,,
12.	मुख्य निर्देशक	1400–2300	4	,,
13.	प्रचार अधिकारी	1400–2300	4	,,
14.	कैमरा मैन	1400–2300	1	,,
15.	सहायक ध्वनि अभियन्ता	1200–2040	1	,,
16.	समाज शिक्षा निरीक्षक	1200–2040	1	,,
17.	तकनीकी सहायक	1200–2040	1	,,
18.	लैब इंचार्ज	1200–2040	1	,,
19.	कलाकार 1–280—460 2–	325–575 (पुराना)	2	,,
20.	वितरण अधिकारी	1200–2040	1	,,

2	2	3	4	5
21.	प्रिंटर	975-1600	1	
22.	प्रूफ रीडर	,, ,,	1	
23.	जूनियर कैमरा मैन	,, ,,	1	
24.	फिल्म चेकर	,, ,,	1	
25.	विद्युत् निरीक्षक	950-1500	1	
26.	निर्देशक	,, ,,	8	
27.	सहायक कैमरा मैन	,, ,,	1	
28.	वरिष्ठ सहायक	1400-2300	1	
29.	शिविर सहायक	1200-2040	1	
30.	वरिष्ठ सहायक	,, ,,	2	
31.	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	10	
32.	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	1	
33.	चीफ आपरेटर	950-1500	1	
34.	आपरेटर	950-1500	6	
35.	वाहन चालक	950-1500	12	
36.	दफ्तरी	775-1025	1	
37.	परिचारक	750-940	18	
38.	क्लीनर	750-940	10	

—: 0 0 :—

मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग

(मनोविज्ञानशाला) इलाहाबाद

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

शैक्षिक सिद्धान्त, व्यवहार, कक्षागत अनुक्रियाओं तथा अध्यापक-छात्र के मध्य भाव-संबंध स्थापित करने में मनोविज्ञान की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। आधुनिक मनोविज्ञान ने शैक्षिक अथवा व्यावसायिक कुसमायोजन और विद्यालयी बच्चों के पिछड़ेपन से उत्पन्न सांवेगिक विक्षोभों की गहरी थाह लेकर असमायोजित बच्चों और युवकों के निदान और उपचार हेतु अनेक सुझाव दिये हैं जिससे ह्रास एवं अवरोध की समस्याओं का समाधान खोजने में बड़ी सहायता मिली है। देश के शैक्षिक विकास में भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा का विशाल भण्डार, जो प्रदेश के बच्चों में बिखरा पड़ा है, उसके उपयोग के लिए मनोविज्ञान की सहायता का अनुभव बराबर किया जाता रहा है। अतः अपने उपकरणों, परीक्षणों और तकनीकी साधनों से देश की भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यता तथा अभिरुचि का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आचार्य नरेन्द्र देव समिति की आज्ञा के क्रियान्वयन हेतु सन् 1947 में स्वाधीनता की ऊषा बेला के साथ ही मनोविज्ञानशाला उ० प्र० अस्तित्व में आई। सन् 1981 से यह संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के रूप में प्रदेश के शैक्षिक उन्नयन में सहयोग प्रदान कर रहा है।

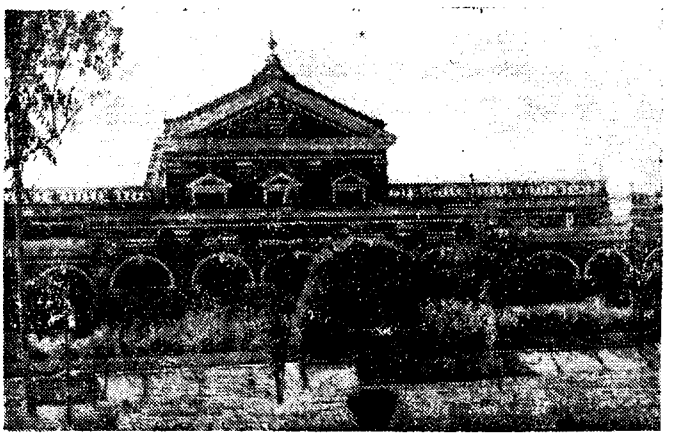

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

मनोविज्ञानशाला उ० प्र० इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की ख्याति प्राप्त निर्देशन और अनुसंधान संस्था है जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं तथा निःशुल्क शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन-परामर्श व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पर प्रदान कर, परिवार विद्यालय, व्यवसाय तथा सामाजिक परिवेश में स्वस्थ समायोजन हेतु सक्षम बनाना है।

कार्य क्षेत्र

जैसा कि उद्देश्य से स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य छात्रों को शक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन प्रदान करना है। जिससे वे अपने विद्यालय, व्यवसाय और सामाजिक परिवेश में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। व्यक्तिगत रूप से आने वाले समस्याग्रस्त तरुण तरुणियों को भी व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना इसका कार्य हैं। शिक्षण-अधिगम संबंधी कुछ विशेष समस्याओं के समाप्त करने में भी मनोविज्ञान शाला का अभूतपूर्व योगदान रहता है। छात्रों की पाठ्य विषयों में सन्तोषजनक प्रगति न हो पाने के कारणों का मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से पता लगाना, उनके शिक्षकों और अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर छात्रों के शैक्षिक पिछड़ेपन के परिप्रेक्ष्य में उपचारात्मक शिक्षण के लिए सुझाव देना तथा प्रखर बुद्धि व मंद बुद्धि बालकों को पहचानकर उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्ग दर्शन देना इत्यादि कार्य भी मनोविज्ञानशाला द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। प्रदेश स्तर पर मनोविज्ञानशाला विद्यालयों एवं मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के कार्य में समन्वय स्थापित करती है। यहां निर्देशन में प्रयुक्त मनोविज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण के साथ-साथ तत्संबंधित शोध कार्य भी होता है।

प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र के अध्यापकों, अध्यापिकाओं को मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम सिद्धान्तों, संकल्पनाओं एवं शोध परिणामों से अवगत कराने तथा निर्देशन एवं परामर्श का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु तीन सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षा अधिकारियों को मनोविज्ञान ओर निर्देशन विभाग के क्रियाकलापों एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से परिचित कराना, 9 माह का गाइडेन्स साइकोलाजिस्ट डिप्लोमा का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा समय-समय पर मण्डलीय मनोवैज्ञानिक, विद्यालय मनोवैज्ञानिक एवं काउन्सलर को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देना उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं।

शोध अध्ययन

मनोविज्ञानशाला अनुसंधान संस्थान के रूप में भी कार्य करती है। यह शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन को अधिक वैज्ञानिक और सम्यक बनाने हेतु मानसिक योग्यता शैक्षिक निष्पत्ति, रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व संबंधी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अनुकूलन तथा मानकीकरण करती हैं। यह अपने विद्यमान मानकीकृत परीक्षण के नार्म्स तैयार करती है और उसे यथा सम्भव अद्यतन बनाने का प्रयास करती है। अनुवर्ती अध्ययन भी समय-समय पर चलता रहता है। जिसका उद्देश्य विद्यमान निर्देशन तकनीकी की वैधता निर्धारण के साथ ही उन्हें अधिकाधिक विकसित करना होता है।

बुद्धि, व्यक्तित्व तथा अभिरुचि के परीक्षण हेतु इस विभाग द्वारा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, चाइल्ड बैटरी, भाटिया बैटरी, परफारमेन्स टेस्ट, पिजन अशाब्दिक परीक्षण, बी० पी० टी०, 13, 14 तथा 15, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, आकार योग्यता परीक्षण, फार्म रिलेशन्स परीक्षण आदि सम्पादित किये जाते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के अन्तर्गत रोशाख परीक्षण, टी० ए० टी०, सी० ए० टी०, 16 पी० एफ०, एच० एस० पी० क्यू०

सम्पन्न किये जाते हैं। रुचि और अभिरुचि से संबंधित शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, यांत्रिक अभिरुचि परीक्षण स्टेडिनेस टेस्टर विजुअल रिएक्शन टाइमर, डी० ए० टी० परीक्षणों का भी निष्पादन होता है।

इधर इस विभाग द्वारा कक्षा 10 के छात्रों पर सूचनात्मक एवं बौद्धिक स्तर संबंधी अध्ययन, रोशा व्यक्तित्व परीक्षण के प्रति उत्तर प्रदेश के सामान्य बालक/बालिकाओं की अनुक्रियाओं का अध्ययन, अध्यापक सदृश गुण अभिरुचि परीक्षण, प्रौढ़/बुद्धि परीक्षण (शाब्दिक) की निर्देशिका का निर्माण, आवासीय विद्यालय चयन परीक्षण और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रशिक्षणों में प्रयुक्त सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण (जी० एम० ए० टी०) के लिए प्रश्न बैंक का निर्माण आदि पर भी कार्य किया गया है।

मनोवैज्ञानिक सेवाओं के तीन स्तर :

उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक सेवाओं के संगठन के तीन स्तर, निर्धारित किये गये हैं-प्रदेशीय स्तर, मण्डलीय स्तर और विद्यालयी स्तर। इन तीनों स्तरों के संगठनों का उद्देश्य अधिकतम सम्भव मितव्ययिता के साथ अभीष्ट और सक्षम मनोवैज्ञानिक सेवायें उपलब्ध कराना हैं। मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद महानगरी तथा बाहर के सन्दर्भित बच्चों को व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पर शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक निर्देश प्रदान करती है, कार्यों की योजना बनाती हैं तथा उनका अपने निर्देशन व शोध कार्यों से समन्वय कराती है इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शोध पत्रकों, अनुशीलनों तथा अन्य तकनीकी पत्रकों, कैरियर पत्रकों तथा मनोवैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन भी है।

मण्डलीय स्तर पर मेरठ, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, नैनीताल और पौड़ी में स्थापित इसके केन्द्रों का प्रमुख कार्य मण्डलीय स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक आधार पर छात्र/छात्राओं को शैक्षिक व्यावसायिक और वैयक्तिक निर्देशन प्रदान करना, दस वर्ष तक के संवेगात्मक कठिनाई वाले बच्चों के निदान और उपचार में बाल निर्देशन के अन्तर्गत अभिभावकों को सहायता प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों के संबंध में एक व्यावसायिक सूचना कक्ष स्थापित कर सूचनाएं और विवरणिका उपलब्ध कराना, आधुनिक खिलौनों के सुसज्जित एक खेल कक्ष की स्थापना करना, आवासीय और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु उत्कृष्ट छात्रों को सूचना देना, शैक्षिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं की पाठ्य विषयक दुर्बलताओं का निदान करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों द्वारा कक्षा 6 और 9 में प्रवेश कार्य हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा विद्यालयों को सहयोग प्रदान करना, अपने ज्ञान को अद्यतन और समुन्नत बनाए रखने हेतु नवीन प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा करना पत्र पत्रिकाओं में मनोविज्ञान विषयक निबंध लिखना, शैक्षिक वार्ताओं का आयोजन करना तथा मनोविज्ञानशाला द्वारा निर्धारित शोध परियोजनाओं पर कार्य करना आदि भी इनके प्रमुख कार्य कलापों के अन्तर्गत समाहित हैं।

विद्यालय स्तर पर स्कूल काउन्सलर का कार्य विद्यालय में प्रत्येक छात्रा के संचयी अभिलेख की व्यवस्था करना तथा उसके रखरखाव के लिए प्रधानाचार्य से परामर्श करना, मास में एक बार अभिभावक गोष्ठी का आयोजन करना, विद्यालय के छात्रों को वर्ष में एक बार मुख्यालय के बाहर विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भ्रमण हेतु ले जाना, सामूहिक एवं व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रकाशन करना, निर्देशन और परामर्श देना तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपलब्ध कराना आदि हैं।

गाइडेन्स साइकोलाजिस्ट डिप्लोमा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण इकाई के रूप में यहाँ पर डिप्लोमा इन गाइडेन्स साइकालोजी का एक सत्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यता एम० ए० (मनोविज्ञान) अथवा एम० एड० द्वितीय श्रेणी है। प्रति वर्ष जुलाई तक प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता के आधार पर 15 अभ्यर्थियों को 10 अगस्त तक प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि अगस्त से अगले वर्ष की मई तक है। सैद्धान्तिक और क्रियात्मक दोनों ही परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोनों में पृथक-पृथक श्रेणियाँ दी जाती हैं।

आवासीय विद्यालयीय भारत सरकार योजना

आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु भारत सरकार योग्यता छात्रवृति परीक्षा का प्रदेश स्तर पर संचालन का कार्य इस योजना के प्रारम्भ से ही मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा रहा है। इस परीक्षा में अधिकाधिक संख्या में छात्र-छात्राओं को सम्मिलित कराने के उद्देश्य से मनोविज्ञानशाला द्वारा समय-समय पर मण्डल और जिला स्तर के अधिकारियों को इस आशय के निर्देश निर्गत किये जाते हैं कि वे अपने स्तर से भी इस छात्रवृति योजना में विद्यालयों में व्यापक प्रचार व प्रसार कराएँ। इस विभाग द्वारा रेडियो–दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस योग्यता परीक्षा के सम्बन्ध में जानकारी कराई जाती है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना

मनोविज्ञानशाला ,उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं का प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिससे उत्तर प्रदेश से अधिकाधिक संख्या में छात्र–छात्राएँ सम्मिलित होकर प्रदेश की कीर्ति वृद्धि में भागी हों। इस महत्वपूर्ण कार्य में यह विभाग राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपने अधीनस्थ मनोवैज्ञानिकों की सेवाओं का लाभ लेता है।

चयन कार्य में सहयोग

इस विभाग द्वारा स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में प्रवेशार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान तथा खेल अभिरुचि परीक्षणों का संचालन, सिटी मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ तथा अन्य विद्यालयों की मांग पर कक्षा 6 और 9 के छात्रों के चयन में सहायता करता है। पुलिस ड्राइवर्स और ट्रेन ड्राइवर्स के चयन में पुलिस विभाग एवं रेल विभाग (आर०डी०एस०ओ०) की भी समय-समय पर सहयोग दिया जाता है।

अन्य विशिष्ट कार्य

उपर्युक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्य के रूप में यहाँ पर बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रशासन तथा मानकीकरण किया जाता है। महत्वपूर्ण विदेशी परीक्षकों का भारतीय परिवेश के अनुरूप अनुशीलन तथा समय-समय पर शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है तथा शोध अध्ययन भी किया जाता है।

इस विभाग द्वारा शासन, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा बेसिक शिक्षा परिषद को सम्मय-समय पर मनोवैज्ञानिक तकनीकी परामर्श भी प्रदान किये जाते हैं।

पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	वेतनक्रम	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1.	निदेशक	3000–4750	1	स्थायी
2.	वरिष्ठ शोध मनोवैज्ञानिक	3000–4500	2	,,
3.	मनोवैज्ञानिक (राजपत्रित)	3200–4000	3	,,
4.	मनोवैज्ञानिक (अराजपत्रित)	2000–3200	2	अस्थायी
5.	सीनियर टेस्टर	2000–3200	1	स्थायी
6.	परामर्शदाता	2000–3200	3	2 अस्थायी
7.	गाइडेन्स काउन्सलर	2000–3200	2	1 स्थायी
8.	सांख्यिक	2000–3200	1	स्थायी
9.	व्यवसायिक निर्देशन अधिकारी	2000–3200	1	,,
10.	सहायक मनोवैज्ञानिक	1600–2660	7	,,
11.	वरिष्ठ सहायक	1400–2600	1	,,
12.	शिविर सहायक	1200–2040	1	,,
13.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1200–2040	1	,,
14.	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	3	,,
15.	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	1	,,
16.	दफ्तरी	775–1025	1	,,
17.	परिचारक	750– 940	11	,,

—: 0 0 :—

शैक्षिक तकनीकी विभाग

(राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ)

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं उसके प्रचार और प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने शिक्षा विभाग, उ० प्र० के तत्वावधान में वर्ष 1976-77 में वर्तमान संस्थान के पूर्ववर्ती रूप शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ की स्थापना की थी। मार्च 1984 में भारत सरकार की "इनसैट 1-बी" में जुड़ी शैक्षिक कार्यक्रम परियोजना के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप प्रदेश के छः जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बस्ती और सिद्धार्थ नगर में टेलीवीजन द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बालक, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से शैक्षिक टेलीवीजन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई है। इन दोनों इकाइयों का सम्मिलित रूप राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान है। सम्प्रति राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की इकाई के रूप में कार्यरत है।

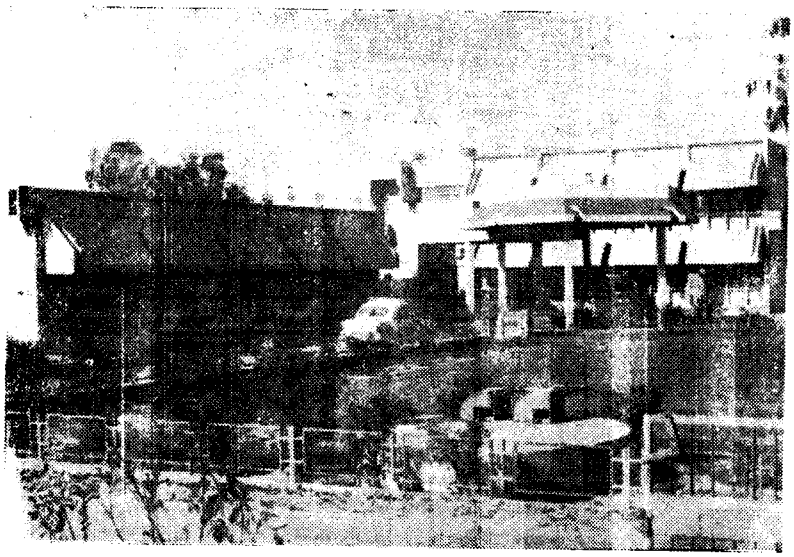

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

शिक्षा के प्रसार, गुणात्मक उन्नयन तथा शिक्षा प्रणाली को आधुनिकतम सन्दर्भों से जोड़ने हेतु नूतन सुलभ संचार माध्यमों का प्रयोग कर प्रभावकारी नियोजन, विनियोग, क्रियान्वन तथा मूल्यांकन इस संस्थान का अभीष्ट

है । संस्थान शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षिक आडियो/रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करता है ।

संस्थान का कार्य क्षेत्र

संस्थान के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण, शैक्षिक ऑडियो/रेडियो कार्यक्रमों को तैयार करना, शैक्षिक तकनीकी से संबंधित सर्वेक्षण, शोध तथा मूल्यांकन करना, पटकथा लेखन तथा आकाशवाणी द्वारा स्कूल कार्यक्रमों में कक्षानुसार विषय एवं पाठों के चयन में परामर्श देना, अनुश्रवण के आधार पर कार्यक्रम के स्तर में सुधार हेतु सुझाव देना, पटकथा लेखन प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन करना, विविध दृश्य-श्रव्य और तकनीकी विधाओं का उपयोग कर शिक्षा के प्रसार और विकास में योगदान करना आदि सन्नि-विष्ट हैं ।

योजना के प्रथम चरण में गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर जनपदों के ग्रामीण, पिछड़े, अभावग्रस्त एवं अपवंचित क्षेत्रों के 898 जूनियर बेसिक विद्यालयों को योजनान्तर्गत चयनित कर कार्यक्रमों को देखने के लिये टेलीवीजन सेट्स दिये गये हैं । इनमें से 197 सेट्स आजमगढ़ और बस्ती जनपदों के पावर डी० आर० एस० सेट्स और 100 सौर ऊर्जा से संचालित है, जो सीधे उपग्रह से ध्वनि और चित्र संकेत ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं । विद्यालयों में संस्थापित टी०वी० सेट्स के रख रखाव और कार्य करने का दायित्व अनुबंध के आधार पर प्रदेश की संस्था अप्ट्रान इण्डिया लिमिटेड को दिया गया है ।

अध्यापक कस्टोडियन का प्रशिक्षण

"इनसैट" सेवित जनपदों के प्राइमरी स्कूलों में वितरित किये जाने वाले टेलीविजन सैटों के रख रखाव तथा उनकी विधा से अवगत कराने हेतु 1800 अध्यापक कस्टोडियन / सह कस्टोडियनों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है । सन्दर्भ पुस्तिका 'अध्यापक कस्टोडियन' मुद्रित कराकर वितरित की गई है । शैक्षिक तक्नीकी विधा एवं उसके कार्य कलापों से परिचित कराने के लिये प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा चुका है ।

शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण यूनिट

संस्थान का शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण यूनिट वर्ष 1986 के मध्य 'आपरेशनल' हुआ था । वर्ष 1986-87 में 57 और वर्ष 1987-88 में 140 शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण के लक्ष्य के प्रति अब तक 197 कार्यक्रमों का निर्माण किया जा चुका है निर्मित कार्यक्रमों में से लगभग सभी दूरदर्शन उपग्रह केन्द्र के माध्यम से प्रसारण हेतु दिल्ली भेजे जा चुके हैं । ये कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किये जा रहे हैं ।

कार्यक्रम मुख्यतः 5 से 8 तथा 9 से 11 वय वर्ग के स्कूली और गैर स्कूली बच्चों के लिए निर्मित होते हैं और प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर हिन्दी भाषी राज्यों के सभी प्रसारण केन्द्रों से पूर्वाह्न 9-45 से 10-30 बजे तक प्रसारित किये जाते हैं । ये कार्यक्रम पाठ्य क्रम पूरक के रूप में बनाये जाते हैं जिनके मुख्य विषय विज्ञान, गणित, पर्यावरण. नैतिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य एवं सफाई, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि से संबंधित हैं । संस्थान द्वारा शिक्षकों के लिए भी कुछ कार्यक्रम बनाये जाते हैं जो सप्ताह

के प्रत्येक शनिवार को प्रसारित होते हैं। संस्थान द्वारा निर्मित एवं प्रसारित कार्यक्रमों की अनुश्रवण आख्याएं इनसैट सेवित विद्यालयों से जहाँ टी० वी० सैट दिये गये हैं वहाँ से प्राप्त की जाती हैं और प्राप्त फीड बैक का उपयोग भविष्य में निर्मित होने वाले कार्यक्रमों के प्रति किया जाता है।

शैक्षिक आडियो रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण

प्रदेश के सभी प्रसारण केन्द्रों द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को मध्याह्न 12-10 से 12-30 बजे तक स्कूल रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं के लिए होते हैं। यद्यपि अधिकांश रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं तथापि संस्थान द्वारा समय-समय पर इनमें गुणवत्ता लाने हेतु समुचित परामर्श एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। आकाशवाणी केन्द्र से यदा कदा संस्थान द्वारा निर्मित कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। अब तक संस्थान द्वारा 50 शैक्षिक आडियो रेडियो कार्यक्रम निर्मित हो चुके है।

शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र के अन्य कार्य

संस्थान शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र के सर्वेक्षण, शोध एवं मूल्यांकन और विचार गोष्ठियों का भी आयोजन करता रहता हैं। वर्ष 1987-88 में संस्थान द्वारा झांसी मंडल के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा अधिकारियों की एक तीन दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें 110 प्रधानाचार्यों और अधिकारी सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 88-89 में मेरठ तथा इलाहाबाद मंडल तथा वर्ष 89-90 में कुमायूं तथा गोरखपुर मंडल में भी मण्डलीय शैक्षिक तकनीकी गोष्ठी आयोजित हुई। संस्थान समय-समय पर कार्यकम श्रृंखला निर्माण और कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यशालओं का आयोजन भी करता रहता है तथा शैक्षिक तकनीकी बिन्दुओं पर शिक्षा विभाग के विभिन्न विभागाध्यक्षों को समय-समय पर तकनीकी सहयोग और परामर्श भी देता रहता है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण में सहभागिता

संस्थान शैक्षिक तकनीकी विधा में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दक्षता तथा कार्यकुशलता में अभिवृद्धि हेतु समय-समय पर देश और विदेश में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में भाग लेने हेतु भेजता रहता है। संस्थान के अधिकारियों को ब्रिटिश टेक्निकल कोआपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यू० के० द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर तथा कुआलाल्म्पुर (मलेशिया) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भेजा है। फिल्म उत्पादन, ग्राफिक्स तथा शैक्षिक तकनीकी के प्रशिक्षण हेतु दिल्ली स्थित जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, ग्राफिक आर्टिस्ट केन्द्रीय शैक्षिक प्रोद्यौगिकी संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इस संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो चुके हैं।

कार्यक्रम निर्माण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की स्थिति

शैक्षिक तकनीकी योजनान्तर्गत कुल 6 प्रदेशों में अभी तक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है। ये प्रदेश हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन सभी प्रदेशों में स्टूडियो उपकरणों की स्थापना हो गई हैं और सभी कार्य कर रहे हैं।

कार्यक्रम निर्माण की संख्यात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात को छोडकर सब से आगे है। गुणात्मक्र दृष्टि से विभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की सराहना देश-विदेश स्थित विशेषज्ञों द्वारा की गई है।

शैक्षिक तकनीकी विभाग-वर्तमान पदों का विवरण

क्रमा सं०	पदनाम	वेतनक्रम	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1	2	3	4	5
1.	निदेशक	3200–4875	1	अस्थायी
2.	प्रोड्क्शन इंचार्ज	3200-4875	1	,,
3.	इंजीनियर इंचार्ज	3200–4875	1	,,
4.	डिप्टी प्रोडक्शन इंचार्ज	3000–4500	1	,,
5.	डिप्टी इंजीनियर इंचार्ज	3000–4500	1	,,
6.	सहायक अभियंता	2200–4000	3	,,
7.	प्रशासनिक अधिकारी	2200–4000	1	,,
8.	प्रोड्यूसर	2200–4000	7	,,
9.	इवैल्युएशन इंचार्ज	2200–4000	1	,,
10.	लैक्चरर प्रोड्क्शन	2200–4000	5	,,
11.	प्रोग्रामर कमस्क्रिप्ट राइटर	2000–3500	2	,,
12.	स्क्रिप्ट राइटर	1660–2660	4	,,
13.	अभियन्त्रण सहायक	1600–2660	7	,,
14.	सीनियर ग्राफिक एवं चीफ विजुएलाइजर	1600–2660	1	,,
15.	कैमरामैन	1600–2660	6	,,
16.	प्रस्तुति सहायक	1400–2600	6	,,
17.	फ्लोर मैनेजर	1400–2600	1	,,
18.	सेट सुपरवाइजर	1400–2600	1	,,
19.	ग्राफिक आर्टिस्ट	1400–2600	1	,,
20.	टेक्निकल स्टोर सुपरवाइजर	1400–2600	1	,,
21.	एडीटर वीडियो	1400–2600	3	,,
22.	टेक्नीशियन	1400–2600	6	,,
23.	सीनिक डिजाइनर (वर्कशाप इंचार्ज)	1400–2600	1	,,
24.	वैयक्तिक सहायक	1400–2600	2	,,
25.	वरिष्ठ सहायक	1400–2300	1	,,
26.	आशु लिपिक	1400–2300	2	,,
27.	पुस्तकलयाध्यक्ष	1400–2300	1	,,
28.	फोटो/एनीमेशन/ग्राफिक सहायक	1400–2300	3	,
28.	वरिष्ठ सहायक	1200–2040	2	,,

1	2	3	4	5
30.	आशु लिपिक	1200–2045	2	,,
31.	सहायक लेखाकार	1200–2040	1	,,
32.	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	4	,,
33.	लैब असिस्टेन्ट	975–1660	1	,,
34.	प्रोजेक्सनिष्ट	975–1660	3	,,
35.	इलेक्ट्रीशियन	975–1660	1	,,
36.	सीनिक असिस्टेंट	975–1660	1	,,
37.	फोटो ग्राफर	975–1660	1	,,
38.	स्टोर कीपर ग्रेड III	975–1660	1	,,
39.	फ्लोर असिस्टेंट	825–1200	3	,,
40.	कारपेन्टर	825–1200	2	,,
41.	लाईटिंग असिस्टेंट	825–1200	2	,,
42.	पेंटर	825–1200	1	,,
43.	वार्डरोब सहायक	825–1200	1	,,
44.	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	3	,,
45.	मेकअपआर्टिस्ट	950–1500	1	,,
46.	ड्राइवर	950–1500	3	,,
47.	दफ्तरी कम चालक मशीन	775–1025	1	,,
48.	खलासी	750–940	12	,,
49.	चपरासी	750–940	10	,,
50.	चौकीदार/गेटकीपर	750–940	3	,,
51.	फर्राश	750–940	2	,,
52.	जमादार	750–940	1	,,

—:00:—

प्रकाशन विभाग

(पाठ्य पुस्तक विभाग)

पाठ्य पुस्तक शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य साधन है। संविधान में निहित लक्ष्यों और विचारों तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप संबोध प्रदान करने हेतु पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की संकल्पना की गयी। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए गुणवत्ता एवं मानक सामग्री से युक्त उचित मूल्य पर समयानुसार पाठ्य पुस्तकें, प्रदेश के छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु प्रकाशन विभाग संकल्पबद्ध है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1941–42 से आरम्भ हुआ। उस समय से लेकर वर्ष 1948 तक यह कार्य शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित होता रहा। तत्पश्चात वर्ष 1952 के मध्य तक यह कार्य एक अवैतनिक विशेष पदाधिकारी–पाठ्य पुस्तक की देख रेख में सचिवालय द्वारा सम्पादित किया गया। 1952 में यह कार्य पुनः शिक्षा निदेशालय को स्थानान्तरित कर दिया गया और इसके लिये अन्य अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त एक विशेष पदाधिकारी पाठ्य पुस्तक के पद का सृजन किया गया। वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के गठन के साथ ही यह विभाग परिषद के निदेशक के सीधे नियंत्रण में आ गया। इस समय यह अनुभाग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई "प्रकाशन विभाग" के रूप में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

कार्य क्षेत्र

प्रकाशन विभाग विद्यालयीय पुस्तकों से सम्बन्धित प्रकरण पर सीधे निदेशक तथा निदेशक के माध्यम से शासन के प्रति उत्तरदायी है अतः इस विभाग के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है फिर भी उसकी सामान्य रूपरेखा निम्नवत् है :–

1. कक्षा 1 से 8 तक के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम की दृष्टि से उपयुक्त विषय सामग्री से युक्त पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की व्यवस्था।
2. गैर राष्ट्रीयकृत विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को आमंत्रित करके, मूल्यांकन, समीक्षा तथा चयनोपरान्त स्वीकृति प्रदान करना।
3. कक्षा 1 से 12 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों हेतु कागज एवं आवरण पृष्ठ के कागज की व्यवस्था करना।
4. राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन तथा मुद्रण की व्यवस्था करना।

5. कक्षा 1 से 12 तक की राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों का मूल्य निर्धारण करना।

6. गुणवत्ता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की उत्पादन प्रक्रिया का प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण।

7. उचित मूल्य पर तथा समयानुसार पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

8. छात्रों के लिए अनुपूरक साहित्य का चयन, पुस्तकालयों/अध्यापकों हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का चयन तथा विद्यालयों में प्रयोगार्थ दृश्य सामग्री—चार्ट, मानचित्र, ग्लोब आदि का चयन करना।

सम्प्रति प्रकाशन विभाग प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8) की राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन-मुद्रण सम्बन्धी कार्य सम्पादित करता है। वर्तमान में प्रकाशन विभाग हिन्दी माध्यम की प्राथमिक स्तर की 18+1 तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की 36 तथा उर्दू माध्यम में प्राथमिक स्तर की 15 तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की 18 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशक/मुद्रण और वितरण की व्यवस्था कर रहा है साथ ही नैतिक शिक्षा विषयक एक शिक्षक संदर्शिका का प्रकाशन भी किया गया है। इस प्रकार इस विभाग द्वारा कुल 87 पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन/मुद्रण कराया जा रहा है।

यह पुस्तकें प्राइमरी स्तर पर भाषा, अंकगणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, नैतिक शिक्षा, तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर पर हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कृषि विज्ञान, स्काउटिंग और नैतिक शिक्षा विषयक हैं।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों में प्राइमरी स्तर पर नैतिक शिक्षा विषयक पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सभी पुस्तकें उर्दू भाषा में भी प्रकाशित की जाती हैं तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों जैसे उर्दू भाषा, अंकगणित, सामान्य विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल की पुस्तकें उर्दू भाषा में भी प्रकाशित की जाती हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित तथा मुद्रित कराई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संकलित तालिका निम्नवत है :—

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें

(कक्षा 1 से 5 तक)

कक्षा	हिन्दी	गणित	सामा० विषय	विज्ञान	नैतिक शिक्षा	योग
1	1					1
2	1	1				2
3	1	1	1	1	1	5
4	1	1	1	1	1	5
5	1	1	1	1	1	5
					योग –	18
कक्षा 1 से 2 के लिए नैतिक शिक्षा विषयक शिक्षा संदर्शिका						1
						19

(कक्षा 6 से 8)

कक्षा	हिन्दी	गणित	संस्कृत	अंग्रेजी	भूगोल	इति०	विज्ञान	कृषि विज्ञान	नै०शिक्षा	योग
6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11
7	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11
8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11
									योग –	33
कक्षा 6, 7 तथा 8 के लिए				सामान्य हिन्दी						1
				जनरल इंगलिश						1
				स्काउट गाइड शिक्षा						1
										36

(कक्षा 1 से 5)

कक्षा	उर्दू	गणित	विज्ञान	सामा० विषय	योग
1	1				1
2	1	1			2
3	1	1	1	1	4
4	1	1	1	1	4
5	1	1	1	1	4
				योग	15

(कक्षा 6 से 8)

कक्षा	उर्दू	गणित	विज्ञान	इतिहास	भूगोल	योग
6	1	2	1	1	1	6
7	1	2	1	1	1	6
8	1	2	1	1	1	6
					योग	18
					कुल योग	88

उर्दू माध्यम कक्षा 6, 7 व 8 हेतु अंग्रेजी की 2 पाठ्य पुस्तकें

1. बेसिक इंगलिश रीडर
2. जनरल इंगलिश

उपर्युक्त विवरणात्मक तालिका से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 88 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ प्रतियों को प्रदेश के एक हजार से अधिक प्रकाशकों-मुद्रकों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। वस्तुतः राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन का वर्तमान स्वरूप बहुआयामी है एवं विभिन्न आयामों के समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य प्रकाशन विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें

पाठ्य पुस्तकों की रचना

शासन की नीति एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा नवीनीकरण किया जाता है तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की रचना की व्यवस्था की जाती हैं। कक्षा 1 से 8 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की रचना का कार्य संबधित विषयों के संस्थानों के माध्यम से कराया जाता है। निदेशक द्वारा अनुमोदित लेखक मंडल में शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और बाल साहित्य के अनुभवी लेखक सम्मिलित रहते हैं। निदेशक के अनुमोदनोपरान्त संबधित संस्थान पाठ्य पुस्तकों की रचना का कार्य सम्पादित करता है जिसमें प्रकाशन विभाग भी अपना सम्यक योगदान करता है। लेखक मण्डल को परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति का भी गठन किया जाता है। परामर्शदात्री समिति के परामर्श, दिशा निर्देशन तथा अपेक्षाओं के अनुरूप लेखक मण्डल द्वारा तैयार की गयी पाण्डुलिपि की समीक्षा विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। पुस्तकों में प्रयुक्त होने वाले चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र एवं अन्य सामग्री लेखक मण्डल के निर्देशानुसार प्रकाशन विभाग के माध्यम से तैयार की जाती है। इस प्रकार पाण्डुलिपि रचना के विभिन्न स्तरों से संवर्द्धित होकर अपने अंतिम चरण में आदर्श प्रति तैयार कराने के लिये उपलब्ध हो पाती है।

आदर्श प्रति का निर्माण

सामान्यतः प्रत्येक पुस्तक आवश्यकतानुसार लाखों की संख्या में मुद्रित कराई जाती है। विभागीय व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक आवंटी को एक निश्चित संख्या में ही पुस्तक की प्रतियों का मुद्रणादेश किया जा सकता है। अतः एक ही पुस्तक के मुद्रण में अनेक आवंटी सम्मिलित होते हैं। पुस्तकों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये पाण्डुलिपि की आदर्श प्रति का निर्माण कराया जाता है। आदर्श प्रतियों का निर्माण विभाग के उच्च कोटि के चयनित प्रकाशकों/मुद्रकों के माध्यम से विभागीय नियमों के आधार पर कराया जाता है। आदर्श प्रतियों में विषय वस्तु की सेटिंग, प्रयुक्त होने वाले टाइप, चित्र, उनके ब्लाक तथा रंग योजना आदि संबंधी समस्त कार्य विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में सम्पन्न होते हैं। इन आदर्श प्रतियों के अनुसार आवंटी प्रकाशक/मुद्रक पुस्तकों के मुद्रण की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन में मानक एकरूपता सुनिश्चित की जाती है।

प्रकाशकों/मुद्रकों का चयन

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकी के प्रकाशन एवं मुद्रण हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदेश के प्रकाशकों/मुद्रकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञप्ति में प्रकाशकों/मुद्रकों की चयन सम्बन्धी शर्तों का विस्तृत उल्लेख रहता है। निश्चित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर शासन द्वारा गठित समितियां विचार करती हैं। साथ ही

निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आवेदकों की कार्यक्षमता की सही जानकारी हेतु उपकरणों, प्रकाशनों आदि का स्थलीय निरीक्षण भी कराया जाता है। आवेदकों को उनकी कमियों के संदर्भ में सूचना देते हुये उन्हें प्रत्यावेदन का अवसर दिया जाता है। प्राप्त प्रत्यावेदनों पर समिति सम्यक विचार करती है। अन्तिम रूप से चयनित आवेदकों की विभागीयनियमों के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ/मुद्रणार्थ पुस्तकों का आवंटन किया जाता है। कार्य आरम्भ करने से पूर्व इन आवंटियों को निर्धारित सुरक्षा धन जमाकर विभाग से एतद्विषयक अनुबन्ध भी करना होता है जिसमें प्रकाशन/मुद्रण सम्बन्धी शर्तों का उल्लेख रहता है।

आवेदकों का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन

पाठ्य पुस्तकों के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र 4 प्रतियों में रहता है जिसकी एक प्रति प्रकाशन विभाग में एक प्रति शासन में तथा दो प्रतियाँ सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा की जाती है। संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदक की कार्यक्षमता की जाँच हेतु मुद्रणों उपकरणों, कर्मचारियों की संख्या, प्रेस ऐक्ट घोषणा पत्र, प्रकाशनों का स्टाक, विक्रय लेखा, रायल्टी तथा आर्थिक स्थिति आदि का स्थलीय निरीक्षण करके सत्यापन करता है। प्रकाशक विभाग भी अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण करता है। आवेदन पत्र की प्रविष्टियों के सत्यापन के उपरान्त ही आवेदकों को पुस्तकों का आवंटन किया जाता है।

कागज की व्यवस्था

समस्त राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रियायती मूल्य का कागज विभाग द्वारा आवंटियों को उपलब्ध कराया जाता है। इससे पाठ्य पुस्तकों में एकरूपता सुनिश्चित करने में विशेष सहायता मिलती है, विभाग का नियन्त्रण भी रहता है। साथ ही पुस्तकों का मूल्य भी कम हो जाता है। यह कागज प्रत्येक त्रैमास में प्राप्त होता है। जिसे सम्बन्धित विभागों द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के आवंटियों को निर्धारित आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाता है। आवंटियों से प्राप्त कागज के अग्रिम धन हेतु बैंक ड्राफ्ट मिल को उपलब्ध कराकर विभाग कागज के आपूर्ति की व्यवस्था करता है। पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण-प्रकाशन से सम्बन्धित समस्त व्यय जैसे कागज का मूल्य, कम्पोजिंग, मुद्रण, बाइंडिंग आदि पर होने वाले समस्त व्यय सम्बन्धित आवंटी द्वारा ही वहन किये जाते हैं।

आवरण पृष्ठ

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की संख्या एवं गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने की दृष्टि से आवरण पृष्ठों की मुद्रण तथा वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रकाशन विभाग द्वारा ही सम्पादित की जाती है। सुरक्षा के उद्देश्य से आवरण पृष्ठ राजकीय मुद्रणालय में मुद्रित कराये जाते हैं। विभागीय व्यवस्था के अनुसार आवरण पृष्ठ प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक आवंटी को आवरण पृष्ठों का मूल्य, सेल्स टैक्स तथा रायल्टी आदि सम्बन्धी सभी देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विभाग में जमा करने होते हैं। इसके पश्चात ही विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में आवरण पृष्ठ उपलब्ध कराने सम्बन्धी परमिट निर्गत किये जाते हैं जिसके आधार पर राजकीय मुद्रणालय आवंटी को निर्देशित मात्रा में आवरण पृष्ठ उपलब्ध कराता है। कवर परमिट की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आवंटी से सूचना मिलने पर वे निहित निर्देशानुसार पुस्तकों का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करके उन्हें विक्रयार्थ अवमुक्त करें। इस प्रकार आवरण पृष्ठों के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन/मुद्रण पर प्रभावी नियन्त्रण किया जाता है।

पाठ्य पुस्तकों का मूल्य निर्धारण

प्रदेश की समस्त राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मूल्य निर्धारण का कार्य प्रकाशन विभाग द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार सम्पादित किया जाता है। इस हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर प्रकाशन विभाग पाठ्य पुस्तकों का मूल्य आगणन करता है। मूल्य-निर्धारण में मुख्यतः लागत मूल्य यथा आवरण पृष्ठ, कम्पोजिंग, ब्लाक मेकिंग, मुद्रण, बाइंडिंग, बिक्रीकर, रायल्टी आदि में आये व्यय के साथ 7 प्रतिशत प्रकाशक/मुद्रक का लाभांश तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत पुस्तक विक्रेता का कमीशन सम्मिलित किया जाता है॥ मूल्य आगणन करने के उपरान्त प्रकाशन विभाग द्वारा उसे शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है॥ अनुमोदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित आवंटियों को इसकी सूचना भेजी आती है जिसे आवंटी पुस्तक के स्तर पृष्ठ पर मुद्रित करता है। यही पुस्तक का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य होता है।

परिनिरीक्षण

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता, आवंटित कागज के सदुपयोग तथा तैयार पुस्तकों की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में जनपदीय शिक्षाअधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु प्रकाशन विभाग द्वारा समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण, पुस्तक रिलीज आदि के आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाते हैं। जनपदीय शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटी से सूचना पाते ही यथाशीघ्र पुस्तकों के स्थलीय निरीक्षण की व्यवस्था करें। निरीक्षण के समय तैयार पुस्तकों की विषयवस्तु तथा मुद्रण स्तर का आदर्श प्रति से मिलान करना आवश्यक है। पुस्तकों की संख्या का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही विक्रय सम्बन्धी अनुमति प्रदान किये जाने के निर्देश हैं। स्थलीय निरीक्षण में तैयार पुस्तकों के बंडलों में से फुटकर (रैन्डम) विधा से 5 पुस्तकें प्राप्त की जायेगी जिनमें से 3 पुस्तकें हस्ताक्षर एवं मोहर सहित इस विभाग को निरीक्षण आख्या के साथ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विभागीय मूल्यांकन

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन की गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु विभागीय स्तर पर भी मुद्रित पुस्तकों के मूल्यांकन की व्यवस्था है। इसके लिए जनपदीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या के साथ उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों का विभागीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मानक निकषों-टाइप, चित्र, रंग योजना, बाइंडिंग, स्याही, मुद्रण स्तर, शाब्दिक अशुद्धियों आदि के आधार पर मूल्यांकन आख्या तयार की जाती हैं। तदनुसार पुस्तकों को वर्गीकृत करके उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा जिन प्रकाशकों-मुद्रकों का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, उन्हें दण्डित करने की व्यवस्था है, साथ ही जिनका कार्य उत्तम घोषित होता है, उन्हें उत्कृष्टता का प्रमाणपत्र तथा प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा –

प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की समय-समय पर इस दृष्टि से समीक्षा की जाती है जिससे कि उसमें नवीन राष्ट्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का समावेश किया जा सके। यह विभाग इस बात का भी ध्यान रखता है कि छात्रों को होने वाले परिवर्तनों के संबंध में अद्यतन सामग्री प्राप्त हो सके। अपेक्षित विषय वस्तु की सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर अथवा उच्च स्तरीय समीक्षा समीक्षक मंडल

द्वारा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार संबंधित संस्थानों से भी राय लेते हुए समस्त राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु को अद्यतन स्वरूप प्रदान किया जाता है। आवश्यकता होने पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता हैं।

पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता :–

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुश्रवण करता रहता है। इसके लिए बाजार की स्थिति की जानकारी करते हुए मुद्रण प्रकाशन की कार्य योजना तैयार की जाती है जिससे बाजार की मांग के आधार पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित हो सके। इसके लिए कागज की व्यवस्था, आपूर्ति, आवरण पृष्ठों के मुद्रण तथा उसकी उपलब्धता पर सजग दृष्टि रखनी पड़ती है। प्रारम्भ से ही यह विभाग उपलब्धता संबंधी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों का आवंटन इस प्रकार नियोजित करता है कि सामान्यतः आवंटित पुस्तकों का वितरण प्रदेश के सभी मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में हो जाय। इसके लिए सत्र के प्रारम्भ से पूर्व समस्त कार्यवाही कर ली जाती है।

गैर राष्ट्रीयकृत (स्वीकृत) पाठ्य-पुस्तकें

कला, वाणिज्य तथा संगीत विषयों पर गैर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं। इन्हें स्वीकृत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित करके विचारार्थ आमंत्रण किया जाता है। विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों की विषय-विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करायी जाती है। तदुपरान्त एतअर्थ गठित उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा इनका चयन किया जाता हैं। शासन के अनुमोदनोपरान्त इन्हें स्वीकृत पाठ्य पुस्तक के रूप में सम्मिलत करने की व्यवस्था है। स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों के लिए रियायती मूल्य का कागज भी विभाग द्वारा ही आवंटित किया जाता है तथा बिक्री आदि की पूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रकाशक उत्तरदायी होता है।

पुस्तकों के चयन सम्बन्धी कार्य

अनुपूरक पुस्तकें :–

प्रकाशन विभाग जूनियर बेसिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के प्रयोगार्थ अनुपूरक पुस्तकों के चयन की व्यवस्था भी करता है। इस हेतु यह विभाग गजट विज्ञप्ति के माध्यम से नव रचित पुस्तकें आमंत्रित करता है। इन पुस्तकों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है। पुस्तकों के अन्तिम रूप से चयन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा इन पुस्तकों का चयन करना, चयनित सूची का शासन द्वारा अनुमोदन करना तत्पश्चात् समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तद्विषयक निर्देशों सहित पुस्तक सूची उपलब्ध कराना इस विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है।

पुस्तकालयों/अध्यापकों हेतु पाठ्य सामग्री :–

प्रकाशन विभाग शिक्षा संहिता की धारा 334 'सी' तथा 338 के अन्तर्गत विविध श्रेणी के विद्यालयों से सम्बद्ध पुस्तकालयों अथवा अध्यापकों के प्रयोगार्थ पुस्तकें, चार्ट, पत्रिकाएं, ग्लोब, नक्शे आदि के अनुमोदन की

व्यवस्था भी करता है। इस निमित्त प्राप्त उपयुक्त सामग्री की समीक्षा कराई जाती है तथा शासन द्वारा गठित समिति के सम्मुख प्राप्त समीक्षाओं को संकलित कर प्रस्तुत किया जाता है। समिति आख्याओं पर विचार करते हुए शासन को अपनी सम्मति भेजती है। शासन के अनुमोदनोपरान्त इन्हें स्तरानुकूल विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' तथा विज्ञान एवं गणित शिक्षा सुधार की केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा पुस्तकों के चयन का कार्य सम्पादित किया जाता है।

अन्य मुद्रण कार्य

यह विभाग अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत मुद्रित होने वाले साहित्य के मुद्रण की व्यवस्था भी संयुक्त शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा) के द्वारा सूचित की गई अवश्यकतानुसार करता है। इसके साथ ही इन पुस्तकों की आदर्श प्रतियों के निर्माण का कार्य भी आवश्यकतानुसार इसी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन मुद्रण एवं वितरण व्यवस्था के साथ-साथ प्रकाशन विभाग यथा निर्देश अन्य विभागीय प्रकाशनों के मुद्रण की भी व्यवस्था करता है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रकाशित होने वाले साहित्य के मुद्रण को व्यवस्था संयुक्त शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा) द्वारा सूचित आवश्यकतानुसार करायी जाती है। इन पुस्तकों की आदर्श प्रतियों के निर्माण का कार्य भी इसी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार सम्पादित कराया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वृहत् शिक्षक अभिनवीकरण योजना से सम्बन्धित साहित्य, माड्यूल एवं शिक्षक-संदर्शिकाओं के मुद्रण की व्यवस्था प्रकाशन विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक सम्पन्न की जा रही है।

समानान्तर/नकली पुस्तकों के प्रचलन पर रोक :–

प्रकाशन विभाग यह भी देखता है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के समानान्तर अथवा नकली पुस्तकों का प्रचलन न हो। इसके लिये समस्त मण्डलीय एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को तदविषयक निर्देश भेजते हुए निरंतर सम्पर्क रखा जाता है और संबंधित सूचना प्राप्त होने पर इसके लिए प्रभावी कार्यवाही की जाती है। आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण की भी व्यवस्था है।

मूल्य नियंत्रण :–

यह विभाग इस ओर भी जागरूक रहता है कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के जो मूल्य विभाग द्वारा निर्धारित किये गए हैं उसी के अनुरूप पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो सकें। इसके लिए जनपदीय अधिकारियों की निर्देश भेजते हुए तथा बाजार पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए निरीक्षण आदि करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

अन्य कार्य :–

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रकाशन विभाग 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं से सम्बन्धित सूचना प्रदेश के समस्त जनपदों से संकलित कर शासन को उपलब्ध कराता है।

शैक्षिक विचार गोष्ठियों में भाग लेना, पाठ्य पुस्तकों से सम्बन्धित कार्यशालाओं का आयोजन, शासन द्वारा प्रेषित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी शिकायतों/जिज्ञासाओं का परीक्षण एवं सम्पादन आदि भी इस विभाग के अतवरत चलने वाले कार्यों में हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रकाशन विभाग प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 तक की लगभग 6 करोड़ पुस्तकों के प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था अपने सीमित मानवीय संसाधनों के माध्यम से सम्पन्न कर रहा है। निश्चय ही इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके सहयोग से प्रकाशन विभाग सही मूल्य की सही पुस्तक, सही समय पर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने में सफल हो रहा है। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इतनी अधिक संख्या में पुस्तकों के उत्पादन तथा वितरण में शासन अथवा विभाग का कोई पूंजी निवेश नही है।

प्रकाशन विभाग-वर्तमान पदों का विवरण

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान	संख्या	स्थायी/अस्थायी
1.	पाठ्य पुस्तक अधिकारी	3000-4500	1	स्थाई
2.	उप पाठ्य पुस्तक अधिकारी	2200-4000	1	,,
3.	सहायक पाठ्य पुस्तक अधिकारी	2000-3500	1	,,
4.	उत्पादन अधिकारी	2000-3500	1	,,
5.	साहित्यिक सहायक	1600-2660	6	,,
6.	चित्रकार	1600-2600	1	,,
7.	जूनियर साहित्यिक सहायक	540-910	1	(पुनरीक्षित नही) ,,
8.	अधीक्षक	1400-2600	2	,,
9.	शिविर सहायक	1400-2300	2	,,
10.	वरिष्ठ सहायक	1400-2300	7	,,
11.	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	4	,,
12.	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	3	,,
13.	प्रूफ रीडर	1200-2049	1	,,
14.	पुस्तकालय सहायक	1200-2040	1	,,
15.	बुक बाइण्डर	775-1025	1	,,
16.	दफ्तरी	775-1025	2	,,
17.	परिचारक	750-940	9	,,

अध्याय–3

परिषद की शोध/परियोजनाएं : प्रतिवेदन सारांश

अनुसंधान वस्तुत: विकास का मूलाधार है। खोज/अन्वेषण की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में किसी न किसी रूप में रहती हैं फलस्वरूप वह अपने परिवेश को जानने और काम करने के लिए उत्सुक रहता है। एक पिता को यह जानने की आवश्यकता हो सकती है कि उसके प्रतिभाशाली और परिश्रमी पुत्र की परीक्षा में उपलब्धि कमा क्यों रही। एक व्यापारी की उत्सुकता यह जानने में हो सकती है कि किसी वस्तु के मूल्य उसके अनुमान के बिपरीत गिर क्यों गये। इसी प्रकार एक राजनीतिक अपने दल के पराजय के कारणों का पता लगाने में रुचि रख सकता है। निश्चय ही उत्सुकता अथदा जिज्ञासा की यह नैसर्गिक प्रवृत्ति खोज अथवा शोध या अनुसंधान का आधार प्रस्तुत करती है। लेकिन खोज की यह प्रवृत्ति अथवा अनुसंधान का रूप तब धारण करती हैं जब उसकी विधि वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक विधि के अनुसरण से ही परिणामों का प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। इसमें कोई दो मत नही हो सकते कि प्रागैतिहासिक युग से स्पुतनिक युग में मानव के प्रवेश के कारण उसकी शोध मनोवृत्ति रही है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अनुसंधान का ऋणी है।

2–विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव से शिक्षा जगत अछूता नही रहा शैक्षिक उपकरणों का आविष्कार जन-माध्यमों का बढ़ता हुआ प्रभाव, तथा सभ्यता और संस्कृति के बढ़ते हुए चरण ने शैक्षिक प्रक्रिया और व्यवस्था को प्रभावित किया। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को इतना महत्व नही दिया गया जितना अपेक्षित था। पी०एल० कूबस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक World Crisis in Education में इस स्थिति का आकलन करते हुए लिखा है—"The irony is that the educational system which has beem so much the home and mother of the modern scientific method has applied so little of it to its own affair"

शिक्षा में नीतिपरक–अनुसंधान और वैज्ञानिक ढंग से किये गये अध्ययनों की आवश्यकता पर भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने भी बल देते हुए यह चिन्ता व्यक्त की थी कि इस देश में शक्षिक अनुसंधान कम हुआ तथा किये गये अनुसंधान गुणवत्ता की दृष्टि से मध्यम या निम्न स्तर के थे और जो अनुसंधान किये भी गए थे उनके परिणामों का उपयोग शैक्षिक प्रशासकों द्वारा नीतियों के निर्धारण में नहीं किया गया।

3—इसी स्थिति की ओर वर्किंग ग्रूप ऑन एजूकेशन इन सिक्सथ प्लान (1980) भारत सरकार में ध्यान आकृष्ट कराया है।—

"Programme of research and experimentation in educatiou should be promoted to provide dynamic support to all aspects of educational development."

4—राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने नवाचार, शोध और विकास के विषय में कहा है :–

(6.13) शिक्षा की प्रक्रियाओं के नवीनीकरण के साधनों के रूप में सभी उच्च तकनीकी संस्थाएं शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जायेंगी। इनका पहला मकसद होगा उच्च कोटि की जनशक्ति उपलब्ध कराना जो

शोध और विकास में उपयोगी साबित हो सके। विकास के लिए शोध कार्य, मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज प्रौद्योगिकी का ईजाद तथा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरतों को पूरा करने से सम्बधित होगा। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने और नये आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

(6.4) इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं और उनका उपयोग करने वाली प्रणालियों के बीच सहयोग, सहकार्य और आदान-प्रदान के रिश्ते कायम करने के अवसरों का पूरा लाभ उठाया जाएगा। उपयुक्त रख-रखाव तथा रोजमर्रा के जीवन में नये-नये प्रयोग करने और उन्हें सुधारने की मनोवृत्ति की व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाएगा।

5—उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि युगीन आवश्यकताओं के अनुरुप शैक्षिक ढाँचों को, सम सामयिक स्वरूप प्रदान करने हेतु शिक्षण-सामग्री, शैक्षिक विधाओं और प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जाता है। समय-समय पर स्थिति का आकलन करने, उत्पन्न समस्याओं के निवारणार्थ तथा गुणात्मक स्तरोन्नयन हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान और अध्ययन तथा विविध शोध परियोजनाओं का आयोजन, व्यवहार-परक निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए जरुरी है। इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभाग (इकाईयाँ) अनुसंधान अध्ययन और सर्वेक्षण द्वारा प्रदेश की शैक्षिक गतिविधि को दिशा प्रदान करते हैं। अनुसंधानों को विधिवत और वैज्ञानिक ढंग से किये जाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। निदेशक, परिषद की विभिन्न इकाइयों के प्रधानों के साथ इनके लिए विचार-विमर्श करते रहते हैं और आवश्यक निर्देशन प्रदान किया करते हैं। समय-समय पर विभागों के अधिकारियों को अनुसंधान की वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित कराने हेतु कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

6—शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षणविधि तथा राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु परिषद निरन्तर शोध अध्ययन/परियोजनाओं के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाहन में कार्यरत है। इनसे प्राप्त निष्कर्षों से शैक्षिक जगत को परिचित कराने के उद्देश्य से परिषद की स्थापना काल से अब तक (1987–88) तक विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित/संचालित शोध अध्ययनों और परियोजनाओं के प्रतिवेदन-सारांश में प्रस्तुत है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

शीर्षक (1) पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना संख्या-दो के अन्तर्गत परिवेशीय आधार पर शब्दावली का निर्माण

संक्षिप्त विवरण :

स्वतन्त्रता के बाद कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में हिन्दी भाषा की समय-समय पर अनेक पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गईं। वर्तमान पाठ्यक्रम में लागू हिन्दी भाषा की पुस्तकों का इससे पूर्व प्रचलित पुस्तकों की उपयोगिता तथा व्यावहारिक क्षमता की परस्पर तुलना की गई और यह अनुभव किया गया कि वर्तमान लागू पुस्तकों में अनेक ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं, जिनके अध्यापन में अध्यापक को कठिनाई होती है। साथ ही उन्हें पुस्तकों में प्रयुक्त क्लिष्ट शब्दों के तत्सम शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। फलतः वे सफलतापूर्वक अध्यापन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। उक्त कठिनाई को दूर करने हेतु प्रस्तुत शोध के अधीन, हिन्दी भाषा की पुस्तकों में प्रयुक्त हिन्दी के क्लिष्ट शब्दों के समानान्तर देशज शब्दों की एक शब्दावली तैयार की गई, जिससे प्रारम्भिक कक्षा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की प्रस्तुत कठिनाई का सरलता पूर्वक निदान हो जाता है।

परिणाम /उपलब्धियाँ :

प्रस्तुत शोध कार्य के फलस्वरूप सम्प्रति प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक की कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हिन्दी भाषा की पुस्तकों में प्रयुक्त कठिन हिन्दी शब्दों के अध्ययन-अध्यापन की कठिनाइयों का समुचित निदान हो जाता है। साथ ही प्रस्तुत शोध कार्य, हिन्दी भाषा के स्तरोन्नयन में सहायक अध्ययनाध्यापन के लिए उपयोगी तथा एक उत्तम मार्ग दर्शक का कार्य करने में पूर्णतया सक्षम है।

शीर्षक (2) पाठ्यक्रम नवीकरण परियोजना संख्या-दो के अंतर्गत प्रकाशित शिक्षक संदर्शिका का मूल्यांकन

संक्षिप्त विवरण :

युग की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना संख्या-दो के अंतर्गत कक्षा एक से पांच तक की हिन्दी भाषा एवं गणित की पुस्तकों की शिक्षक संदर्शिका का मूल्यांकन तथा समीक्षा की गयी, जिसका एक मात्र उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों तथा अद्यतन स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर उक्त विषयों की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण कर, उसकी अधुनातक अपेक्षाओं का परीक्षण करना रहा है। प्रस्तुत क्रियात्मक शोध के अधीन भाषा तथा गणित संबंधी उन सभी पक्षों पर विस्तृत विचार किया गया है जो उक्त विषयों के अध्ययन/अध्यापन में सार्थक तथा वाचक है। प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत यह पाया गया कि सम्प्रति प्रदेश में हिन्दी भाषा तथा गणित की जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में निर्धारित की गयी हैं वे युगानुरूप तथा उपयोगी है, उनमें प्रश्नावलियाँ तथा अभ्यास के जो प्रश्न दिये गये हैं वे स्तर के

नुसार तथा उपयोगी हैं। उक्त विषयों की पुस्तकों के सम्यक मूल्यांकन तथा परीक्षण से यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि उक्त विषयों की पुस्तकों को छात्रों के लिये बोधगम्य बनाने हेतु चित्रों तथा उदाहरणों का आदि और अधिक उपयोग किया गया होता तो निश्चय ही उक्त विषयों के अध्ययन-अध्यापन तथा स्तरोन्नयन में विशेष सुविधा होती।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं के शिक्षण में सहायक है। हिन्दी भाषा तथा गणित विषय की प्रकाशित पुस्तकों का मूल्यांकन ही प्रस्तुत शोध कार्य का प्रतिपाद्य है, जो प्राथमिक शिक्षा विषयों के शैक्षिक स्तरोन्नयन की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावकारी तथा उपयोगी हैं।

शीर्षक (3) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का मूल्यांकन एक प्रश्नावली

संक्षिप्त विवरण :

उ०प्र० में सन 1986 की शिक्षा नीति में की गई संस्तुतियों के आलोक में प्राथमिक कक्षाओं में अनेक समाजोपयोगी उत्पादक कार्यक्रम संचालित किये गये, किन्तु संसाधनों की अनुपलब्धता तथा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस कार्यक्रम को एक रूपता तथा व्यापकता प्रदान नहीं की जा सकी। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन का प्रयास किया गया, जिसके अन्तर्गत एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई, जिसका एक मात्र उद्देश्य स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार कौन कौन से कार्यक्रम किस क्षेत्र में लागू किये जायें इस तथ्य का निर्धारण हैं।

शीर्षक (4) पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना के संख्या दो अन्तर्गत भाषा दीप भाग एक तथा बेसिक रीडर भाग एक का तुलनात्मक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

उ० प्र० में चल रही अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में निर्धारित पुस्तक भाषादीप भाग एक तथा बेसिक रीडर भाग एक का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया और स्वतंत्रता के बाद हिन्दी पाठ्य सामग्री में किस सीमा तक शैक्षिक स्तरोन्नयन की दृष्टि से विकास हुआ है, इस तथ्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया गया। साथ ही सम्पूर्ण विवेचना में कक्षा एक के भाषा अध्ययन को आधार बनाया गया है और उक्त आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि स्वतन्त्रता के पश्चात हिन्दी भाषा शिक्षण की पाठ्य सामग्री में उत्तरोत्तर विकास हुआ है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

हिन्दी भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री के विकास के कारण हिन्दी भाषा के स्तर तथा विषयगत ज्ञान दोनोंदृष्टियों से आशातीत विकास हुआ है। इसीलिये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षण सामग्री की दृष्टि से प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य अत्यन्त व्यावहारिक, प्रसंगानुकूल, परमोपयोगी तथा उपादेय है।

शीर्षक (5) प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं में सुलेख के प्रति उदासीनता का अध्ययन तथा सुलेख के प्रति अभिरुचि सम्वर्द्धन

संक्षिप्त विवरण :

प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं में विद्यार्थियों में सुलेख के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता से समस्त शिक्षा जगत सुपरिचित है, जिसके कारण उच्चतर कक्षाओं में जाने पर छात्रों के सुलेख में कोई सन्तोषजनक विकास नहीं हो पाया है। प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य द्वारा सुलेख के प्रति विद्यार्थियों की उदासीनता के कारणों तथा उसके दूर करने हेतु आवश्यक उपायों का भी विश्लेशण किया गया है। वास्तव में प्रारम्भिक स्तरीय कक्षाओं के विद्यार्थियों के सुलेख पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर अपेक्षित सुधार लाना कठिन है। इसलिए सुलेख के प्रति यदि प्राथमिक स्तरीय कक्षाओं में ध्यान दिया जाए तो विद्यार्थी सुपाठ्य लेखन में कौशल प्राप्त कर सकेंगे।

उल्लेख्य है कि प्रस्तुत शोध पत्रक में प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में सुलेख के प्रति व्याप्त उदासीनता सम्बन्धी विविध पक्षों पर चिन्तन करते हुये, उसके सुधार के उपायों को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के सुलेख में सुधार तथा सुलेख के प्रति विशेष अभिरुचि का सम्वर्द्धन है।

शीर्षक (6) कविता शिक्षण की नई दिशा

संक्षिप्त विवरण :

काव्य भाषा शिक्षण का एक संवेदन शील पक्ष हैं जिसे प्रभावी बनने के उद्देश्य से प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य किया गया जिसमें काव्य शिक्षण के निम्नलिखित प्रमुख 4 उद्देश्य सम्मिलित हैं :—

(क) ग्राह्यात्मक

(ख) अभिव्यन्जनात्मक

(ग) प्रशंसात्मक

(घ) सृजनात्मक

उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हिन्दी कविता शिक्षण के उन सभी पक्षों पर अत्यन्त गंभीरता तथा सूक्षमता-पूर्वक विवेचन किया गया है जो प्रारम्भिक स्तरीय कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सहज, बोधगम्य, रुचिवर्द्धन तथा रसानुभूति में सहायक है।

प्रस्तुत शोध पत्रक में हिन्दी कविता शिक्षण के संदर्भ में उच्चारण की शुद्धता, भाव प्रकाशन की दक्षता, स्मरण शक्ति की अभिवृद्धि तथा तन्मय होकर कविता सुनाने की स्वस्थ प्रक्रिया की आवश्यक विधियों पर प्रकाश डाला गया है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

विद्यार्थियों के संवेगात्मक शक्ति के विकास के साथ उनमें निहित कल्पना शक्ति तथा कविता के प्रति विविध अभिरुचियों के सम्वर्द्धन में प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य अत्यन्त उपयोगी तथा उपादेय व सहायक हैं।

शीर्षक (7) उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तरीय हिन्दी पाठ्य सामग्री विश्लेषण

संक्षिप्त विवरण :

युग की वर्तमान अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरुप शैक्षिक कार्यक्रमों की सबल, सशक्त तथा प्रभावी बनाने के लिए क्रियात्मक शोध कार्यों की अपरिहार्य अपेक्षा है। इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्तरीय हिन्दी पाठ्य सामग्री का विवेचन तथा विश्लेषण प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य के अन्तर्गत किया गया है स्वातन्त्रा प्राप्ति के पूर्व वनाक्यूलर स्कूलों की कक्षा "अ" कक्षा "ब" कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 तथा कक्षा 5 में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के पाठों से सँबंधित सामग्रियों का विश्लेषण किया गया है। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश में कक्षा "अ" तथा "ब" की कक्षाएँ अस्तित्व में नही रह गई हैं। इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कक्षा 1, 2, 3, 4 तथा 5 की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में उद्धृत पाठों का पूर्व पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ्य सामग्रियों का निदानात्मक समीक्षा की गयी है। निष्कर्षतः यह शोध पत्रक स्वतन्त्रता के पूर्व तथा पश्चात हिन्दी पाठ्य सामग्री के विकासात्मक विश्लेषण का स्वरुप प्रस्तुत करता है।

शीर्षक (8) कक्षा दो के विद्यार्थियों में मौखिक भाव प्रकाशन की क्षमता का विकास

संक्षिप्त विवरण :

विद्यार्थियों के मौखिक भाव प्रकाशन की दक्षता के सम्वर्द्धन तथा तत्सम्बन्धी कठिनाइयों के दूरीकरण से सम्बन्धित, आवश्यक उपायों का समुचित विश्लेषण करने के उद्देश्य से कक्षा 2 के विद्यार्थियों में मौखिक भाव प्रकाशन की क्षमता के विकास हेतु प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य सम्पन्न किया गया हैं। मौखिक भाव प्रकाशन की उन समस्याओं पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है जिससे विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण तथा निर्भय होकर अपनी मौखिक भावाभिव्यक्ति में समर्थ हो जाता है।

प्रस्तुत क्रियात्मक शोध के अन्तर्गत, मौखिक भाव प्रकाशन की क्षमता के सम्वर्द्धन हेतु कक्षा दो के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है और उसके आधार पर समस्याओं एवं उपायों का भी विश्लेषण किया गया है।

शीर्षक : (9) कक्षा तीन के विद्यार्थियों में वाचन की क्षमता का विकास

संक्षिप्त विवरण :

प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य के अन्तर्गत प्राथमिक स्तरीय कक्षा तीन के विद्यार्थियों का हिन्दी पाठों के वाचन में उत्पन्न होने वाली उन सभी समस्याओं का विश्लेशण किया गया है जिनके कारण विद्यार्थीगण उचित

आरोहावरोह से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। साथ ही विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण तथा उचित आरोहावरोह की ध्यान में रखकर उन समस्त संभावनाओं की विस्तृत विवेचना की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थियों की वाचन क्षमता का उचित सम्बर्द्धन तथा विकास करना है। विद्यार्थियों के उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न की अवहेलना, वाचन के समय पुस्तक को मुख से दूर रखना, पुस्तक को समुचित रीति से न पकड़ना, वाचन की अध्यापक द्वारा निर्दिष्ट उचित प्रक्रिया का अनुगमन न करना आदि स्थितियों के कारण विद्यार्थियों द्वारा समुचित वाचन न कर पाने की समस्याओं तथा तत्संबंधी निदानों पर प्रस्तुत शोध पत्रक में विशद विवेचना की गई है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

प्रस्तुत क्रियात्मक शोध कार्य के अन्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा वाचन के समय घबड़ा जाना, चुप हो जाना, डरना, शरमाना, बिना समझे पढ़ना, उचित आरोह-अवरोध के अभाव में शीघ्रतापूर्वक पढ़ना, अस्पष्ट तथा अशुद्ध उच्चारण आदि का सरलतम निदान प्रस्तुत किया गया है। फलतः यह शोध गुणवत्ता तथा उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

शीर्षक (10) कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा के उच्चारण की शुद्धता का विश्लेषण

संक्षिप्त विवरण :–

प्रस्तुत क्रियात्मक शोध के अन्तर्गत प्राथमिक स्तरीय कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के हिन्दी उच्चारण की शुद्धता का विश्लेषण किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्तरीय कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा सम्बन्धी उच्चारण की त्रुटियों का सरलता से निवारण करना मात्र है। विद्यार्थियों द्वारा भावोद्वेग, शंका, भय, झिझक आदि मनोवैज्ञानिक तथा विविध पारिवारिक कारणों से भाषा के उच्चारण की शुद्धता में असफल रहने सम्बन्धी सभी आवश्यक पक्षों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत शोध पत्रक में विशद रूप से की गई है। साथ ही अशुद्ध उच्चारण को दूर करने हेतु उन समस्त उपायों को भी प्रस्तुत किया गया है जिनकी सहायता से विद्यार्थियों द्वारा शुद्ध उच्चारण करने में सरलता, सुविधा एवं क्षमता प्राप्त होगी।

परिणाम/उपलब्धियाँ :–

प्रस्तुत शोध पत्रक में यह स्वीकार किया गया हैं कि प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में विद्यार्थियों के लिये हिन्दी भाषा के उच्चारण की शुद्धता, नितान्त अपरिहार्य है अन्यथा आगे की उच्च स्तरीय शिक्षा में उक्त त्रुटि दूर न होने के कारण छात्रों में उदासीनता तथा निराशा की भावना व्याप्त हो जाती है जिसका फल यह होता है कि वे शनैः शनैः आगे की शिक्षा से स्वतः विरत हो जाते हैं। अतः हिन्दी भाषा के उच्चारण की शुद्धता की दृष्टि से स्तुत शोध पत्रक अत्यन्त उपादेय है।

शीर्षक (11) प्राइमरी विद्यालयों में विलम्ब से आने वाले छात्रों की समस्या का अध्ययन एवं निराकरण का उपाय

संक्षिप्त विवरण :–

प्रस्तुत क्रियात्मक शोध राजकीय आदर्श शोध विद्यालय, इलाहाबाद बेसिक प्राइमरी पाठशाला, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद तथा ऐनीबेसेन्ट जू० हा० इलाहाबाद के कक्षा तीन, चार, पाँच के केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थियों पार

किया गया। इस शोध कार्य के अन्तर्गत केवल उन्ही छात्रों/छात्राओं को विलम्ब से आना स्वीकारा गया है, जो प्रथम वादन में विद्यालय में समय से उपस्थित नहीं हो पाते थे। विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने वाली परिस्थिति/जन्य तथा स्वभाव-जन्य सभी प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है और उसे दूर करने हेतु हर सम्भव उपायों पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्रक में विद्यार्थियों की आर्थिक, पारिवारिक आदि समस्त परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत कर विद्यालयों में विलम्ब से आने वाले छात्रों की समस्या का सम्यक निराकरण तथा आवश्यक उपायों का विशद विश्लेषण किया गया है।

शीर्षक (12) अभिस्वीकृत विद्यालय, परियोजना :

संक्षिप्त विवरण :–

प्रस्तुत परियोजना, इलाहाबाद जनपद के मूरतगंज विकास खण्ड के 10 प्राइमरी विद्यालयों को आधार मानकर क्रियात्मक शोध कार्य के रूप में संचालित की गई जिसके निम्नांकित प्रमुख उद्देश्य रहे हैं :—

(क) प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में गुणात्मक एवं संख्यात्मक सुधार लाना जिससे विद्यालयों में नामांकन की स्थिति एवं उनकी धारणा-क्षमता में आवश्यक सफलता प्राप्त हो सके।

(ख) विद्यालयों के भौतिकस्वरूप में स्वच्छता एवं सजावट द्वारा यथा सम्भव सुधार लाना तथा उन्हें आकर्षक बनाना।

(ग) शिक्षकों की कार्य शक्ति को प्रोत्साहित करना, उनके ज्ञान तथा सृजनात्मक शक्तियों से लाभ उठाना।

(घ) शिक्षा की गुणानुरूप आवश्यकताओं से शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को अवगत कराना। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य विद्यालयों में अपेक्षित सुधार लाना एवं शैक्षिक स्तरोन्नयन के मार्गों को प्रशस्त करना।

—::0 0::—

भारतीय तथा हिन्दी भाषा विभाग

शीर्षक–भोजपुरी भाषा-भाषी छात्रों के हिन्दी अध्ययन पर भोजपुरी का प्रभाव ।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :–

भाषा कई उप भाषाओं में विकसित होती है और उपभाषाएँ कई बोलियों में । हिन्दी का विकास पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा जैसी उप भाषाओं से हुआ है । इन उप भाषाओं में लगभग 18 बोलियां हैं, जिनसे हिन्दी का रूप गठन हुआ है । भोजपुरी एक बोली है, जो हिन्दी की उप भाषा "विहारी" के अन्तर्गत आती है । भाषा की रचना उसके उच्चारण तथा वाक्य-विन्यास पर इन बोलियों का विशेष प्रभाव पड़ता है । मानक खड़ीबोली हिन्दी भोजपुरी से विशेष प्रभावित है । भोजपुरी का यह प्रभाव छात्रों की मानक खड़ीबोली हिन्दी को प्रभावित करती है । छात्रों की प्रयोगगत अशुद्धियों को सुधारना इस शोध कार्य का प्रमुख लक्ष्य है ।

कार्य विधि :—यह शोध कार्य प्रश्नावली विधि द्वारा किया गया है । प्रश्नावली के शब्दों का लेखन कार्य बच्चों से कराने के बाद साक्षात्कार विधि द्वारा उनके मौखिक उच्चारण को भी नोट करके उसका विश्लेषण किया गया है । प्रश्नावली भराने का कार्य 200 छात्रों से कराया गया है । उच्चारण का वैयक्तिक मूल्यांकन केवल 50 छात्रों पर किया था । ये छात्र बलिया, देवरिया तथा वाराणसी के कुल 6 विद्यालयों से सम्बन्धित थे । भोजपुरी का तीन भेद किया जाता है—बल्लिका (बलिया क्षेत्र) मल्लिका (देवरिया क्षेत्र) और काशिका (वाराणसी क्षेत्र) इसी आधार पर तीनों जनपद के दो-दो विद्यालय लिये गये थे ।

सम्पूर्ण शोध कार्य को विषय प्रवेश, हिन्दी और भोजपुरी, शोध प्रक्रिया, हिन्दी अध्ययन पर भोजपुरी का प्रभाव; वैचारिक विश्लेषण, सुधार की विविध दिशाएँ, भोजपुरी लोकोक्तियाँ और मुहावरे आदि उप शीर्षको में विभाजित किया गया है ।

परिणाम :–

(1) बच्चों का उच्चारण भोजपुरी से प्रभावित है । यह प्रभाव स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण पर पड़ता है । बच्चे 'ऐ' को 'अइ' और 'औ' को 'अउ' कहते हैं जैसे 'पैसा' को 'पइसा' और 'औषधि' को 'अवषधि' ।

(2) हिन्दी का शब्दोच्चारण भी उस क्षेत्र में भोजपुरी से प्रभावित है । चिन्ह (चिह्न) ब्राम्हण (ब्राह्मण) ब्रम्हा (ब्रह्मा) जैसा अशुद्ध उच्चारण भोजपुरी के प्रभाव के कारण ही होता है । "ण" का उच्चारश ड के रूप में तथा य का उच्चारण "ज" के रूप में बच्चे करते हैं ।

(3) वाक्य रचना तथा कारक चिह्नों के प्रयोग में भी इसी प्रकार त्रुटियां मिलती हैं। भोजपुरी और अवधी में 'ने' का प्रयोग नहीं है। यही कारण है कि लोग "हम किताब पढ़े" जैसा अशुद्ध प्रयोग कर बैठते हैं। जबा कि होना चाहिए—'मैंने किताब पढ़ी।'

अपेक्षित सुधार :—इस शोध कार्य द्वारा बच्चों में निम्नलिखित सुधार लाया जा सकता है।

(1) मानक खड़ी बोली हिन्दी का उच्चारण सुधारा जा सकता है।

(2) बच्चों से खड़ी बोली के अभ्यास में सहायता मिल सकती है।

(3) वर्तनी एवं वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ सुधारी जा सकती है।

(4) भोजपुरी की शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति एवं पहेलियों के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन किया जा सकता हैं।

शोर्षक : हिन्दी वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां : वर्गीकरण और सुधार (माध्यमिक स्तर)

संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य : (1) छात्रों की वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों का अध्ययन कर त्रुटियों का वर्गीकरण करना।

(2) त्रुटियों का वर्गीकरणकर उनका सुधार प्रस्तुत करना।

(3) अध्यापकों को इस योग्य बनाना कि वे उच्चारण और वर्तनी के घनिष्ठ सम्बन्ध को समझकर छात्रों द्वारा उनका उचित अभ्यास करा सकें।

(4) मानक वर्तनी से अध्यापकों को परिचित कराना।

शोध कार्य वाराणसी, देवरिया और नैनीताल के माध्यमिक विद्यालयों के 100 छात्रों की वर्तनीगत त्रुटियों पर आधारित है। इन विद्यालयों में संस्थानीय वाह्य प्रशिक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्रश्नावली के आधार पर नमूनों का संचयन किया गया है। प्राप्त नमूनों के आधार पर निम्नलिखित रूप में त्रुटियां मिली हैं :—

(1) स्वर नियोजन सबंधी त्रुटियां।

(2) व्यंजन प्रयोग संबंधी त्रुटियां।

(3) संयुक्ताक्षर संबंधी त्रुटियां।

(4) सन्धि ज्ञान सबंधी त्रुटियां।

(5) प्रत्यय प्रयोग संबंधी त्रुटियां।

(6) रूप रचना विषयक त्रुटियां।

(7) सामासिक शब्दों के लेखन में त्रुटियां।

(8) संख्या वाची विशेषणों के लिखने में त्रुटियां ।

(9) मानक वर्तनी संबंधी त्रुटियां ।

उपर्युक्त ढंग की प्राप्त अशुद्धियों को देने के साथ ही उनका शुद्ध रूप देकर अभ्यास हेतु सुधार भी सुझाये गये हैं ।

अपेक्षित सुधार (1) अध्यापक छात्रों की वर्तनी संबंधी विविध त्रुटियों को समझ कर उनका सुधार कर सकेंगे ।

(2) सन्धि समास संबंधी व्यावहारिक और अपनी वैयक्तिक कठिनाइयों का समाधान कर सकेंगे ।

(3) अध्यापक मानक बर्तनी को समझकर बच्चों से शुद्ध अभ्यास करा सकेंगे ।

शीर्षक : 1 : वर्तनी की अशुद्धियां वर्गीकरण एवं सुधार (पू० मा० स्तर)
2 : वर्तनी की अशुद्धियां और सुधार (प्राथमिक स्तर)

संक्षिप्त विवरण

इन दो शोध कार्यों का सम्पादन उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। नमूनों का संचयन क्रमशः पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों से किया गया है। ये दोनों शोध कार्य "माध्यमिक स्तर" के उपर्युक्त शोध कार्य की भाँति ही पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों एवं अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस स्तर पर मिलने वाली त्रुटियाँ प्रायः अशुद्ध उच्चारण से अधिक प्रभावित हैं। इन समस्त शोध कार्यों में वर्तनीगत सुधार हेतु अध्यापकों के लिए स्पष्ट सुधार बताये गये हैं। साथ ही अभ्यास हेतु एक सूची भी दें दी गयी है ।

शीर्षक : हिन्दी की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों में प्रचलित शब्दों का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य : (1) हिन्दी की विविध बोलियों से अध्यापकों को परिचित कर बोलियों की जातीय एकता एवं ऐतिहासिक समानता से अवगत कराना ।

(2) अध्यापकों को क्षेत्रीय बोलियों की शब्द सम्पदा से परिचित कराना ।

(3) हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियों की शब्दावली तथा हिन्दी भाषा को सशक्त बनाने वाले तत्वों से अध्यापकों को परिचित कराना ।

कार्य विधि :—प्रस्तुत शोध में साहित्य अध्ययन और साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया हैं। साक्षात्कार में स्थानीय विद्वानों की सहायता ली गयी है। शब्दों का संकलन शरीर के अंग के नाम, पारिवारिक सम्बन्धों के नाम, घरेलू वस्तुओं के नाम, अन्न तथा खान-पान, जन्तुओं के नाम, फूलों के नाम, भौगोलिक स्थानों के नाम पढ़ने-लिखने एवं पहनने की वस्तुओं के नाम पर आधारित हैं।

ये शब्द खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुन्देली, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी से लिये गये है।

शीर्षक : छात्रों की भाषागत त्रुटियों का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य : (1) छात्रों द्वारा की जाने वाली भाषागत त्रुटियों का अध्ययनकर उनका वर्गीकरण करना।

(2) वर्गीकरण के अनुसार सुधार का उपाय सुझाना।

(3) छात्रों की त्रुटियों का उपचार करना।

कार्य विधि :—प्रश्नावली तैयार कर कक्षा 9 तथा 10 के कुल 100 छात्रों (बालक/बालिकाओं) पर इसका प्रयोग कर प्राप्त नमूने के अनुसार अध्ययन किया गया। अध्ययन में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां मिली हैं।

(1) शब्दार्थ ज्ञान सम्बन्धी त्रुटियां।

(2) प्रत्यय प्रयोग सम्बन्धी त्रुटियां।

(3) पर्यायवाची शब्दों की जानकारी सम्बन्धी त्रुटियां।

(4) विलोम शब्दगत त्रुटियां।

(5) लिपि एवं मात्रा सम्बन्धी त्रुटियां।

(6) संयुक्ताक्षर संम्बन्धी त्रुटियां।

(7) मानक वर्तनी संम्बन्धी त्रुटियां।

(8) पदक्रम एवं वाक्य रचना सम्बन्धी त्रुटियां।

(9) लिंग एवं वचन सम्बन्धी त्रुटियां।

(10) विराम चिह्न प्रयोग सम्बन्धी त्रुटियां।

अपेक्षित परिणाम छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक में निर्धारित शब्दावली के प्रयोग में भी त्रुटियां करते हैं। शब्दार्थ ज्ञान में भी सामान्यतया वे कमजोर हैं। विराम चिह्नों के प्रयोग तथा वाक्य रचना में उनसे विशेष त्रुटियां होती हैं। अध्यापक इन त्रुटियों को देखकर उनसे सम्बन्धित उचित अभ्यास करा सकेंगे।

शीर्षक : लोकोक्ति और मुहावरे : एक अध्ययन (माध्यमिक स्तर)

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य

(1) छात्रों एवं अध्यापकों को लोकोक्ति और मुहावरे के पारिभाषिक अन्तर से अवगत कराना।

(2) भाषा प्रयोग में लोकोक्ति एवं मुहावरे के महत्त्व से परिचित करना ।

(3) रचनाओं की रचना शैली पर लोकोक्ति एवं मुहावरे का प्रभाव पड़ता है । उस प्रभाव का मूल्यांकन कर उससे छात्रों एवं अध्यापकों को परिचित करना ।

कार्य विधि—इस अध्ययन में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट हिन्दी गद्य पाठ्य पुस्तक—"गद्य संकलन" एवं "गद्य गरिमा" को आधार बनाया गया है । दोनों पाठ्य पुस्तकों से पाठ के अनुसार अध्ययन कर लोकोक्तिएवं मुहावरों का संकलन किया गया है । प्रकरणों का विभाजन शोध पुस्तिका में निम्नलिखित रूप में किया गया है ।

मुहावरा अर्थ एवं परिभाषा, मुहावरों का महत्त्व, मुहावरों की विशेषता, लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का इतिहास, लोकोक्तियों के प्रकार–क्षेत्र एवं आकार

(क) मुहावरों का अध्ययन–"गद्य संकलन" में प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

(ख) "गद्य गरिमा" में प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, प्रयुक्त मुहावरों का विश्लेषण, निष्कर्ष ।

इस अध्यापन के आधार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए—

(1) लोकोक्तियों के विश्लेषण स्वरूप देखा गया कि पाठ्य पुस्तक में अर्थ की दृष्टि से चारो प्रकार की लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया हैं यथा 1–कथा एवं ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित 2–अभिधार्थक प्रयोग पर आधारित 3–रूपक आधारित 4–रूपकात्मक एवं अभिधार्थक आधार पर ।

(2) लोकोक्तियों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम किया गया है तथा ये कुछ गिने चुने पाठों में ही प्रयुक्त हैं ।

(3) कुल प्रयुक्त मुहावरों की संख्या 266 है जबकि लोकोक्तियाँ मात्र 11 प्रयुक्त हुई है ।

(4) हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में कुल 178 मुहावरे प्रयुक्त हैं जबकि इण्टरमीडिएट की पुस्तकों में केवल 58 मुहावरे आये हैं । स्तर के अनुसार इनकी संख्या कम हैं ।

(5) मुहावरा युक्त भाषा का प्रयोग करना लेखक की वैयक्तिक रुचि पर आधारित है । हास्य व्यंग्य-रचनाकार मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं । समालोचना एवं गंभीर विचारात्मक निबन्धों में मुहावरों का प्रयोग नही के बराबर होता है ।

(6) मुहावरों के उस अध्ययन के आधार पर छात्र निबन्ध की विषयवस्तु तथा लेखक को देखकर उनकी रचना शैली का समुचित विश्लेषण कर सकेंगे ।

शीर्षक : राजकीय कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य

भारतीय संविधाब में अनुच्छेद संख्या 343 में हिन्दी को राज भाषा का पद दिया गया हैं हिन्दीतर प्रदेशों में तब तक हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी को ही सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जब तक कि

ये प्रदेश हिन्दी प्रयोग में समर्थ न हो जायें। अनुभव किया जा रहा है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में भी कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग में अनेक समस्याएँ हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य के निम्न लिखित उद्देश्य हैं—

(1) कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास करना।

(2) हिन्दी प्रयोग के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का अध्ययन कर उनका निराकरण प्रस्तुत करना।

(3) राजकीय कार्यालय के अधिकारियों तथा लिपिकों में हिन्दी प्रयोग के प्रति रुचि उत्पन्न करना।

कार्य विधि—प्रस्तुत शोध कार्य के लिए-प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि तथा निरीक्षण विधि का सहारा लिया गया है। इस शोध कार्य के लिए वाराणसी स्थित 10 कार्यालयों का चयन, सम्पर्क सुविधा एवं सहयोग को ध्यान में रखकर किया गया था। कार्यालयाध्यक्ष से प्रश्नावली देकर भरवाई गयी इनमें सम्बन्धित 50 व्यक्तियों को एक दूसरी प्रश्नावली देकर उनकी वैयक्तिक कठिनाइयों को भी समझने का प्रयास किया गया। इन 50 व्यक्तियों में से 30 व्यक्तियों से वैयक्तिक साक्षात्कार भी किया गया। टंकण एवं लेखनगत समस्याओं को समझने के लिए टकित फाइलों का निरीक्षण भी शोधकर्ता द्वारा किया गया। अध्ययन स्वरूप हिन्दी प्रयोग विषयक निम्नलिखित समस्याएँ अनुभव की गयीं—

(1) हिन्दी में अनुवाद की समस्या।

(2) मुद्रण पत्र संशोधन सम्बन्धी समस्या।

(3) टंकण में मानक वर्तनी एवं लेखन सम्बन्धी समस्या।

(4) पत्राचार एवं पत्र-लेखन सम्बन्धी समस्या।

अन्य समस्याएँ

(1) राजकीय कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग विषयक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों का अभाव।

(2) हिन्दी सीखने के प्रति उचित प्रोत्साहन का अभाव।

(3) भारत सरकार के विविध मंत्रालयों में नियुक्ति हेतु संचालित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का अभाव।

(4) कार्यालय में हिन्दी शब्द कोषों तथा अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोषों का अभाव।

(5) हिन्दी प्रयोग विषयक उचित निर्देशन एवं प्रोत्साहन का अभाव।

(6) कतिपय सरकारी कार्यालय में टी० ए० बिल, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्तियों में अब भी अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा रहा है।

(7) शोध कार्य में इन समस्याओं के समाधान के लिए यथा स्थान उपचारात्मक सुझाव दिये गये हैं।

शीर्षक : काव्यांजलि में रस योजना

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य : (1) इण्टरमीडिएट स्तर के छात्रों को रस एवं उसके अवयवों से परिचित कराना।

(2) छात्रों को रस की उपयोगिता एवं उसके महत्त्व की जानकारी देना।

(3) छात्रों में काव्य सौन्दर्यानुभूति की क्षमता उत्पन्न करना।

कार्य विधि—प्रस्तुत शोध कार्य इण्टरमीडिएट की हिन्दी पद्य पाठ्य पुस्तक "काव्यांजलि" के पाठों पर आधारित है। प्रारम्भ में रस शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ पर प्रकाश डाला गया है। पुनः रसों का सामान्य परिचय दिया गया है। नव रसों का विवेचन करने के पश्चात काव्यांजलि के प्रत्येक पाठों में प्रयुक्त रसों का व्यावहारिक विश्लेषण किया गया है।

अपेक्षित सुधार (1) काव्य सौन्दर्यानुभूति में रसानुभूति का विशेष महत्व है। अध्यापक रसानुभूति में समर्थ हो छात्रों को भी काव्य पाठ के समय रसानुभूति का अवसर दे सकेंगे।

(2) काव्य पाठ अधिक रोचक, सरल एवं प्रेरणाप्रद बनाया जा सकेगा।

शीर्षक : गद्य संकलन में प्रकृति प्रत्यय (प्रत्यय, उपसर्ग, सन्धि, समास) से बने शब्दों का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य : (1) शब्द रचना की दृष्टि से प्रत्यय, उपसर्ग, सन्धि, समास की व्यावहारिक उपयोगिता से छात्रों एवं अध्यापकों को परिचित करना।

(2) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे "गद्य संकलन" में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्ययों को पहचान कर उनका प्रयोग कर सकें।

(3) प्रत्यय प्रयोग सम्बन्धी भ्रान्तियों का निराकरण।

(4) छात्रों में शब्द रचना की क्षमता का विकास करना।

कार्य विधि—प्रस्तुत अध्ययन हाईस्कूल की हिन्दी गद्य पाठ्य पुस्तक "गद्य संकलन" के पाठों पर आधारित है। आरम्भ में संस्कृत-हिन्दी उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं प्रकृति प्रत्ययों का अध्ययन किया गया है। इसका अध्ययन करते समय "गद्य संकलन" के प्रत्येक पाठ में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास का पृथक-पृथक विवेचन किया गया है। इससे गद्य पाठों में प्रयुक्त यौगिक शब्दों के विविध रूप की झांकी छात्रों एवं अध्यापकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जायगी।

परिणाम : उपलब्धियाँ :

(1) अध्यापक सन्धि समास के अन्तर से भलीभाँति परिचित हो सकेंगे।

(2) उपसर्ग और प्रत्यय के अन्तर को समझते हुए पाठ के अनुसार छात्रों द्वारा उनका अभ्यास करने में अध्यापकों को सुविधा होगी।

(3) प्रकृति प्रत्यय के व्यावहारिक पक्ष से छात्र एवं अध्यापक अवगत हो सकेंगे।

शीर्षक : काव्य संकलन की कविताओं का काव्य सौन्दर्य

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य : (1) काव्य सौन्दर्यानुभूति में छात्रों एवं अध्यापकों की सहायता करना ।

(2) सौन्दर्य के विविध पक्षों से उन्हें अवगत कराना ।

(3) प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक कविताओं के सौन्दर्य बोध से अध्यापकों को परिचित कराना ।

कार्य विधि–प्रस्तुत अध्ययन हाई स्कूल की हिन्दी पद्य पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन पर आधारित है ।

आरम्भ में काव्य सौन्दर्य के तत्वों का विवेचन करते हुए कविता के भाव पक्ष तथा कला पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। छात्र एवं अध्यापक प्रायः प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक कविता के सौन्दर्य बोध को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं इस दृष्टि से युगानुरूप साहित्य के सौन्दर्य पक्ष पर प्रकाश डाला गया है । इसके बाद पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर उन कविताओं के काव्य सौन्दर्य को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन में कुल 22 कवियों एवं उनकी संकलित कविताओं में निहित काव्य-सौन्दर्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है ।

परिणाम : उपलब्धियां :

(1) अध्यापक पाठ्य पुस्तक के पद्य पाठों में निहित सौन्दर्य की अनुभूति कर सकेंगे ।

(2) अध्यापक काव्य समीक्षा के समय इनका उपयोग कर सकेंगे ।

(3) कविता शिक्षण के प्रति अध्यापकों की रुचि का परिष्कार हो सकेगा ।

शीर्षक : पूर्व माध्यमिक स्तर की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय चेतना

संक्षिप्त विवरण :

प्रस्तुत अध्ययन कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को मूल्य शिक्षा की दृष्टि से सम्पादित किया गया है। इसका आधार नवभारती भाग 1, 2 तथा 3 को बनाया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों को नवभारती भाग 1, 2, 3 के विविध पाठों में आये मूल्यगत प्रसंगों की ओर आकर्षित करना है ताकि भाषा-शिक्षण के साथ वे इन प्रसंगों को रेखांकित कर सकें ।

उद्देश्य :

(1) अध्यापकों को पूर्व माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में निहित राष्ट्रीय चेतना के प्रसंगों से अवगत कराना । ताकि बच्चों में परस्पर सहयोग साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक अनुशासन की चेतना जागरित की जा सके ।

आरम्भ में राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप, महत्त्व तथा वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया हैं। इसके अन्तर्गत धार्मिक एकता- भाषायी एकता, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने तथा जाति-वादी कट्टरता को समाप्त कर आपसी सद्भाव और सेवा की भावना के विकास पर बल दिया गया है।

पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ का उसमें निहित राष्ट्रीय चेतना के विवेचन की दृष्टि से उसका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पाठ में निहित राष्ट्रीय एकता सम्वर्द्धक तत्व देश भक्ति, स्वदेश प्रेम, वीर पूजा, नारी पूजा, स्वावलम्बन आदि के प्रेरक तत्वों का निर्देश किया गया है। सत्य, शान्ति, अहिंसा, महापुरुषों की जीवनियों आदि पर प्रकाश डालते हुए स्वस्थ नागरिकता के विकास की प्रेरणा दी गयी है।

अपेक्षित सुधार :

(1) अध्ययापक इसके द्वारा छात्रों की राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर सकेंगे।

(2) छात्रों में स्वस्थ नागरिकता का विकास हो सकेगा।

(3) बच्चों में राष्ट्रीय एकता, स्वदेश प्रेम भावात्मक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का प्रसार हो सकेगा।

शीर्षक : "गद्य गरिमा" के पाठों में सामाजिक चेतना

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य : (1) छात्रों में सामाजिक चेतना का विकास करना।

(2) गद्य पाठों में निहित सामाजिक मूल्यों से छात्रों एवं अध्यापकों को अवगत करना।

(3) छात्रों एवं अध्यापकों में पारस्परिक सद्भाव का विकास।

प्रस्तुत शोध कार्य कक्षा 11, 12 के छात्रों के लिए निर्धारित गद्य पाठ्य पुस्तक, "गद्य गरिमा" के पाठों पर आधारित है। आरम्भ में साहित्य और समाज के सम्बन्ध तथा सामाजिक चेतना के प्रसार में साहित्य की भूमिका पर विचार किया गया है। तत्पश्चात हिन्दी साहित्य के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी कविता में निहित सामाजिक चेतना का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात 'गद्य गरिमा' के पाठों में निहित सामाजिक चेतना का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं :—

गद्य गरिमा के पाठों में सामाजिक चेतना के व्यापक तत्व हैं। इन पाठों में :—

(1) पारिवारिक मूल्य।

(2) नारी विषयक अवधारणा।

(3) जाति, धर्म की संकुचित भावना के प्रति तिरस्कार।

(4) साम्प्रदायिक सद्भाव।

(5) सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार–विषयक पर्याप्त सामग्री है। ये सभी तत्व छात्रों की मूल्यगत शिक्षा में सहायक होंगे।

विदेशी तथा अंग्रेजी भाषा विभाग

Title of the Project ;

(1) "A Study of Pupils' Errors in English in Junior High Schools'.

Aims & Objectives :

The study was aimed at finding out the areas where pupils of Junior High School classes make the largest number of mistakes and suggesting remedial measures.

Procedure :

A Few Junior High Schools in the town were selected where written works of students were scrutinized. The general mistakes of both boys and girls were noted and it was presumed that students at this stage of learning. English generally make these mistakes everywhere in the state. The mistakes were in the areas of punctuation, symtax, tense and verb forms, Direct and Indirect Narration and Vocabulary.

Outcome :

The conclusions drawn led the researcher to believe that the mistakes were due to either the famiiy background of pupils where there was no proper exposure to English or the faulty way of teaching the language at the initial stage. It may be noted that at fhis stage the impact of mother tongue is so great on the learner that the teaching of the second language is affected by it. Therefore a method which works to establish the socond language vis-a-vis the mother tongue has been discussed in the work. It will definitely serve the teacher in hitting upon the weaknesses of the young learners and impressing upon him/her the correct forms of the language.

(2) Title of the Project :

"An Analysis of the errors of English sounds in the pronunciation of the teachers of English".

Objective :

The aim of the project has been to help the teacher acquire proficiency in the production of English sounds with reference to their weaknesses in pronouncing the consonant and vowel sounds of English specially those which do not have their exact equivalents in the mother tongue of the students.

Procedure :

About twenty teachers drawn from different districts of the state under going re-orientation or diploma course training programmes at the English Language Teaching

Institute (renamed Department of Foreign Language, Allahabad) were given certain passages to read aloud and a list of words with problematic sounds to pronounce loudly. The effort of each teacher was taped and an analysis of the sounds was made. Opportunities were also proyided to the teachers freely to discuss some interesting topics and their pronunciation, intonation and rhythm of words and sentences were noted. It was found that teachers generally mispronounced words having z, j,s,sh,v,w,f,o,a,e, sounds. The source of mispronunciation appeared to be either the absence of such sounds in the mother tongue or the proneness to the sounds of mother tongue.

An analysis of such mistakes made dy the teachers of English was made in tabular forms and frequencies were counted. To remedy these a method was devised to bring to the teacher the correct pronunciation and production of words and sounds through the use of phonetic symbols since the normal orthography of Engligh fails to give an idea of the correct pronunciation.

Expected outcome :

The teachers get so badly habituated to mispronouncing words that proper communication of ideas and messages is hampered. The present work will arouse the interest ot the teachers to learn correct pronunciations intonation and rhythm of English in a scientific manner.

(3) **Title of the project :**

"Effective Teaching ot English-Suggestions for Bringing Improvement in the Teaching fo English Grammer Part I and part II."

Objective :

The chief aim of this work is to refashion the descriptive grammarian's organisations and insights to make readily availabie certain information of value to the teacher and in doing so provide some suggestions for bringing improvement in the teaching of English Grammar

Procedure :

A thorough study of the question papers at the JHS and HS stages of the past 10 years and the ordinary Grammar books available in the market was made in order to find out (i) the grammatical needs of the teachers (ii) the information which the ordinary Grammar books lack (iii) the areas which do not find adequate explanation in these books and (iv) the grammatical items which overlap in function.

2. On the basis of the study, the grammatical needs of the teachers were listed down. The study clearly revealed that the teachers requried help in fhe areas of Article Preposition and Verb usages. The study also revealed what the ordinary Grammar

books did not provide. It high lighted the areas in which the teachers required additional information to discriminate between the items which overlap in function and to understand the usefulness of each grammatical item.

3. the information relevant for teachers of English was then collected from a number of different sources. The information was later, put together, systematically under different heads along with suitable examples.

4. the suggestions provided in the two booklets on the teaching of Grammar were experimented while giving demonstration lessons in short term training programmes organised by the ELTI, U.P., Alld. for teachers of English at the JHS and HS stage. The results were found to be extremely good.

Expected Outcomes :

It is hoped that the two booklets published by the SCERT, U.P., Lucknow in 1984 and 1985 successively would help the teachers of English (both the teacher trainers and the teachers in the Secondary Schools) (i) in enrishing their own knowledge of English Grammar. (ii) in providing them the necessary confidence in the teaching of English Grammar (iii) in helping them to teach Grammar of English more effectively and finally (iv) in assisting them to deal with such areas of English grammar which are very complex.

4. Title of the Project :

"A Reference Book of Literary Heritage in English"

Objectives :

The chief aim of this work is to arouse the curiosity and interest of the young learners in the beauties and niceties of English Literature so that they may study and enjoy the masterpieces of the language on their own.

Procedure :

It is believed that in the students' psyche there is no place for literary and cultural beauties today because of a psychosis for studies in science. It was evident in the classroom teachings specially of those of proficiency in spoken English. The graduates coming out of the universities appeared uninterested in such studies. In order to creata taste for beautiful pieces of writing in all fields they were aroused by references to such beautiful pieces and it seemed that a selection of literary pieces would bring good results. The work contains 125 pieces from 25 plays of Shakespeare, 180 pieces trom the poems of 37 poets from Milton to Auden and pieces of prose from 33 essayists from B acon to F. L. Lucas. It also includes 54 classical allusions from Greek and Roman Mythology.

Expected Outcome :

Teachers and students both may benefit from this work. Classical references which abound in great literary works are a great hindrance in the proper understanding of those pieces. As such, this booklet will prove helpful especially for students.

The work indeed meets a great need. It is the outcome of well conceived project which aims at improving the standard of learning and teaching English in the state. It will help the learners develop the ability of learning to learn.

(5) Title of the project :

"A Study of Errors in Written English committed by Teachers of High schools in U P.

Objectives & Procedure :

The objective of this project is to find out teachers, weaknesses in the use of the language. The knowledge of their linguistic errors will prove helpful in the planning and organisation of long term and short term suitable training programmes for them.

The procedure adopted to identify the language mistakes of teachers was quite simple. Teachers teaching English in High School classes of U. P. attended 12 day short training courses at the institute. During their stay at the Institute they were given different kinds of written assignments. They were also asked to submit a report on the training received at the institute and a summary of any short novel or story read by them. These reports and assignments submitted by about 40 teachers formed the basis of the study. And analysis of the errors was made and they were put into as many as 15 categories, the highest frequency being those of spelling and vocabulary.

Conclusions and Suggestions :

(1) The mistakes committed by the students are largely due to the lack of lirguishtic competence of their teachers.

(2) The present study is limited in scope ahd hence more comprehensive studlies covering larger areas of language use should be carried out in order to chalk out programmes to help teachers.

(3) The teachers should be made conversant with basic linguistic assumptions.

(4) The teachers should bear in mind that set phrases and expressions in Engllish are to be learnt as such without any effort at camparison with L I.

(5) The teachers should be able to distinguish between formal and informall or spoken and written English.

(6) Greater awareness has got to be aroused in teachers in respect of pronunciatiion.

(7)) In training programmes difficult areas of language use should be pinpjonted and teachers must be given sufficient practice.

(8) With the help of audio-visual aids teachers should be given greater exposure to good English.

Expected Outcome :

In short the present study, though limited, will go a long way in devising ways means to equip our English teachers witn such linguistic competence as may help them to improve their teaching and thus raise the standard of English teaching in the state. The findings can form the basis of the content that will prove useful for remodelling the in-service teacher training programmes.

(6) **Title of the Project :**

"Ways of Increasing Suport Material to the teachers of English".

Objectives :

To improve the oral aspect of the teaching of English at the initial stage the project was taken up for impressing upon the teachers taking the classes in English for the beginners that the language learning would not be complete without strengh-thening the oral skills of the learners. For this the teacher must improve his or her own speech to guard against the incorrect pronunciation of some common words and to remove difficulties in articulating some of the sounds of English Effort has been made to provide help to the teacher in acquiring competence level in the pronunciation of correct sounds required at this stage.

Procedure :

The researcher made a survey of the actual teaching situatjons in the class-rooms and interviewed a number of teachers of English teaching in the local institu-tions. She noted some awkward features of mispronunciations. After taking note of the frequencies of errors in pronunciations she made some generalizations.

The follow up of the study, remedial measure in the form a booklet with those errors has been taken up.

Expected Outcome .

The remedial measure when fully developed and provided to the teachers will bring the expected result. The teachers will know correct pronunciations of words and sounds to do justice to their students in English. The effective teaching of correct English shall be assertained and young learners will definitelly be saved from the tortuous errors of pronunciation and articulation. It will raise the standard of

teeching/learning English in the state. The student when exposed to the well articulated speech will himself imitate the teacher which will raise the morale of the students.

(7) **Title of the Project:**

"A study of deficiencies in pupils' handwriting and suggesting ways to remedy them".

Objectives :

The objectives of project are :—

a. to determine the causes of poor handwriting.

b. to establish formal norms for good handwriting.

c. to establish procedure for teaching proper handwriting.

d. to lay down remedial measure for improving handwriting.

e. to help the teacher teach good handwriting.

Procedure :

It was considered necessary to select a few institutions on a sample basis to find out statistically the defects in the handwritiug of the pupils. And for this the following steps were taken :

1. a. A proforma was prepared and sent to the two practising schools and neceesary replies were received.

   b. The written work of tne students of classee VI to VIII was inspected.

   c. An initial test was organised for classes VI to VIII.

   d. Analysis of the scripts was done and the defects were closely watch and categorised.

   e. Reasons of the defects in handwriting were analysed.

2. a Suggestions for removal of the defecte were given.

   b. Norms of handwriting and measurement of attainment were laid down.

Short Summsry :

The project begins with the importance of good handwriting and the factors hat effect good handwriting. The problem of good handwriting has become acute Because of the indifference shown by the teachers.

The defects of students were noted by the researcher when she visted some institutions of the locality and saw the written work of the students. The causes of poor handwriting were ascertained which were physical deficiencies as well as lack of proper guidance.

Expected Outcome :

The writer has described factors responsible for bad handwriting after analysing them & she has suggested methods for developing good handwriting.

Outcome

A good piece of handwriting definitely is an asst to pupils. Brilliance in study is supported by an attrative way of writing which when marred by negligence on the part of the pupils brings disaster afterwords. The researcher having noticed the fators responsible for bad handwriting has suggested remedial measures which will detinitely help the teachers in teaching their pupils how to improve thir handwriting. The work will certainly help teachers and students equally well.

(8) Title of the Project :

"Source Material in English on National Integration",

Objective :

The project aims at fostering a spirit of National Integration among the students through selected pieces of writings in English Prose and Poetry.

Procedure :

The researcher took up the task of going through the feelins of teachers and students (in some local institutions) for the nation. The opportunity came her way when she visited some institutions for supervising teaching classes. It was notied that some passages both in Prose and Poetry could not be appreciated in thier proper context speially in the context of national integration. Regionalism, parochialism, communalism and casteism seemed to be well ingrained on the minds of both the teachers and the students as reflected in their behaviour. It was thought that some passages be selected dealing with the Ideas of seculiarism in order to help the teachers and the students gradually to reform themselves in their feeling for their fellow beings which ultimately might lead to tha feelings for the oneness of the nation.

Expected Outcome :

Passages selected ranged from healthy communal feeling and mutual co-operation through the spirit of sacrifice for the nation as well as for on's fellow beings irrespectiv of caste, creed and community. It does put a lasting effect on the mind

of the reader which brings about a change in his/her behaviour for the better. It is in consonance with the policy of the state to foster brothergood, love and equality among the different sects of poeple and will always remind the reader that he/she is an Indian first and something else afterwards.

Title of the Project :

(9) : "preparation of mass media package for the help in teaching of English for the teachers of J. H. S. classes".

Aims and Objectives :

(A) Study of the short comings of classroom teaching of English.

(B) Preparation of Multimedia Package, based on experience and study of class-room situations.

Book prepared after the wide study of class room situation will be of much help for the teachers and taking into consideration the falling standard of English in U. P. such helping materials may serve a lot to raise the attainment of students by providing them with practical and interesting helping material. A long felt need for such type of material has been met.

Procedure :

For reserch purpose 8 Junior High Schools of Allahabad were taken. Close study of the classteaching in English from class VI to VIII was made. Mistakes of teachers in the field of faulty pronunciation were noted and collected because they hamper the effective communication in a set standard. This teachers guide prepared for the use of teachers, is based on the above study. It includes sound system, stress, intonation, phrases, and formula. Most of the material Is based on the nationalised text book of J. H. S. classes. It is hoped that this guidebook will be of much help for the students and teachers and qualitative improvement is bound to follow.

Difficulties in pronunciation du to mother tongue, habit of faulty pronunciation, shortage of model pronunciation materials (Audovisual aids) lack of proper xposure and vocabulary are the main causes of deterioration in teaching English at the initial stag.

Expected Outcome :

This material may be of some help to the teachers of English at the Junior High School stage in teaching his/her pupils the correct pronunciation of English words and sentences. It may further add to the skilful handling of the textbook in the classroom. The pupils will find it interesting and useful in acquiring proficiency In spoken English.

(10) Title of the Project :

"Suggestions for Brining Improvement in the teaching of written English at the Higher Secondary stage".

Objectjve :

The objective of the project is three-fold :—

(i) to enlist the reasons that have led to the deterioration in the standard of English.

(ii) to help the teachers understand the complexities that are involved in the teaching of wrtten-English and to make them aware of the 'needs' of their students.

(iii) to provide such suggestions to the teachers of English which would brings a definite improvement in the teaching of written English.

Procedure :

A group of teachers (consisting of about 50 teachers) was asked to answer a questionnaire in order to find out the reasons that in their opinion have led to the deterioration in the standard of English. Their answers were then tallied with the findings of the two study Group Reports (1967 and 1971). The two study groups were appointed by the Ministry of Education, Govt. of India.

As a second step towards the completion of the project, material was collected from different reference books (authentic books) available in the field of ELT. In the context of Present Day Needs of Indian Students with regard to English, the 'needs' of the students at the Higher Secondary Stage were identified.

As a final step, certain experiments were carried out with the help of a few local teachers to evaluate the effectiveness of the suggestions provided in the work done on the teaching of written English.

Fxpected Outcomes :

It is hoped that the work done in the area of teaching written English will be found extremely useful by the teachers of English of Higher Secondary classes.

The work will not only give them an Insight into the nature of the skill of writing, it would also provide them with definite guidelines for conducting writing work in theiir classss.

(11) Title of the Project :

"A review of the Teaching of Poetry at the High-School level and a few Suggestion for its Improvement".

Objective :

The objective of the project is to review the teaching of poetry at the High School stage with a view to providing some saggestions for its better and effective teaching.

Procedure :

A few local schools in the district of Allahabad were selected where the teaching of English Poetry was observed. For observations to be more accurate, the observer had a definite evaluation criteria. The teachers had no idea as to why their lessons were being observed. A prior intimation was sent to the Principal only.

The data thus collected was then scrutinised in order to find out the things which were common in the lessons observed. With the help of a number of common features observed in different lessons, it was quite easy to develop the procedure the teachers generally follow.

A thorough study of the li terature available on the teaching of poetary provided new insights into the teaching of poetry. These insignts were made the basis of developing a new procedure of teaching poetry at the High School stage.

The procedure developed was experimented in a few schools of Allahabad and was found to be successful and effective. Hence, the suggestions provided in the work are actually based on actual classroom experience.

Expected Outcomes :

It is hoped that this work will prove to be a very helpful guide to the teachers of English especially those who are teaching Poetry at the High School stage. The work not only provides suggestion for the teaching of Poetry, it also demonstrates how individual poems from High School Text Book can be handled in the classroom.

(12) Title of the Project :

"A Survey of the situation of the teaching of English upto the Secondary level in the state"

Objective :

To ascertain qualitative aspects of the teaching of English upto the Secondary level the quality of teachers must be assessed to devise ways and means to remedy

the short comings on the basis of the data collected through questionnires. Measures will be adopted for training such teachers in ELT.

Procedure :

A queshionneire containing queries on teachers qualification, experience, economic condition, family circumsances and his/her option for training either through regular classroom training or through correspondence courses has been prepared and is being sent to all the Higher Secondary Schools of the state. A list of such schools has been procured from the Board of High-School and Intermediate Education Allahabad which is being accepted as an authentic list of such schools.

A fair portion of the state has already been covered in so far as despatching the questionnaires is concerned. The rest of the institutions will soon be covered. Responses are being received but not as quickly as one would like them to be. It depends upon the sincerity and enthusiasm of the instltutions to send responses to the queries to accomplish the survey work on time or else it would continue for a year or two more.

Expected Outcome :

The data so collected will determine the extent of the nead for retraining the teachers of English and holding reorientation progrmmes for them. It is a fact that the teacher untrained in ELT hardly does justice to the effective classroom teaching in English. Needless to say that the teacher equiped with the latest techniques of teaching add aware of the developments in the growing language is an asset to the institution. To create this situation in which the teacher of English is taken as the teacher of English, courses in ELT are indispensble. In view of the indispensability of the retraining programmes the inevitable measures for such programmes will be foregauged and as a follow up, the department will take steps for starting correspondence courses and as a consequence there shall be no teacher in the state at Secondary level untraieed in ELT.

(13) Title of the Research :

"A literay Heritage of Indian Writing in English".

Objective :

The researcher has endeavoured to chalkout briefly the short life sketch, works, and specimens of writings of important Indian literary figures with view to bresenting varied, colourful picturesque and enchanting panorama of Indian life in no way inferior to the writings of the native speakers of English. He tries to emphasise that due to lack of proper appereciation of their works, we have not been able

to make comprehensive assessment of their marvellous achievements in the field of literary excellence. Every pain has been taken to ensure illuminating and interesting study of these literary giants who bronght glories to our mother land by their rich literary and cultural contributon.

The main aim of the researcher has been to familiarise the students and teachers with the finest specimens of India Writings in English to ennoble their minds with cultural and literary feelings, so that their interest may be aroused for further study of the writers enumerated here;

Procedure of Research :

The resercher covered a period of [1928-1978] 150 years and made a thorough study of the finest literary and cultural achievement of the period emphasising on the following personalities.

1. Derozio, Henry Louis Vivian [1809-31]
2. Dutta-Toru [1856-77]
3. Tagore-Ravindra Nath [1861-1941]
4. Ghose-Shri Aurobiddo [1872-1950]
5. Naidu-Sarojini [1879-1949]
6. Rajgopalachari Chakaravarty [1878-
7. Chattopadhyaya-Harindra Nath [1898-
8. Roy-Rajaram mohan [1772-1833]
9. Gandhi-M. K. [1869-1948]
10. Radha Krishnan-Sarvapalli [1888-1975]
11. Nehru-Jawahar Lal [1889-1964]

The researcher had to consut various reference books and critical writings alongwith the important works of the above writers to present a comprehensive and brief account of the period under resarch project. Every care has been taken to ensure delightful and informative reading.

Outcome :

This small effort in the field of literarary achievements of Indian authors has been a stepping stone in this area of resarch. it paves the way for further exploration in the wide domain of literary excellence. It shall create interest and curiosity among teachers and students allke for deeper study.

(14) Title of the Project :

"Improvement of English spelling of the students studying at Junior High School stage".

Objectives :

English spellings are irregular and complex. The project aims at finding out easy ways to avoid mistakes of spelling. It is meant to benefit the Junior High School students.

Procedure :

The researcher scrutinized about one thousand examination scripts of Junior High School examination in Allahabad. A random sampling of two hundred scripts was done on the lines suggested by Fisher & Yates in their book 'Statistical tables for Biological, Agricultural and Medical Research" A list of commonly misspelt words was prepared and frequency count of errors, category wise, was made. Thus, significant areas of spelling errors were identified. On the basis of the finding remedial measures were suggested.

Expected Outcome :

During the frequency count of the errors it was found that most of the spelling mistakes were due to faulty pronunciation of words. It was surmised that the use of mother tongue affected the students' pronunciation of the English words which forced errors of spellings. Some of the errors seemed to be caused by students' ignorance of correct forms of words. It also appeared that the students could not form a correct picture of the words because of their indifference to regular reading of textbooks etc. Some of the errors seemed to emanate from over generalization and wrong combination of two or more meaningful words.

Keeping in view the above mistakes the researcher gave seven items for the students to follow so that they may avoid the the frequent spelling mistakes. In short listening carefully to correct pronunciation of words, having a visual image of the word, practising transcription of difficult woids, taking dictation and playing language games, keeping a note book to note down spelling of difficult words, putting down together words of similar sounds but different spelling and learning some rules of spellings as commonly taught in class rooms, are some of the measures suggested by the researcher to remedy the commonly occurring spelling mistakes, It is hoped the teachers and students will benefit by these suggestions.

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

शीर्षक : उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों की स्थिति का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

छात्रों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास के संदर्भ में सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस समय विद्यालयों में छात्र संख्या वृद्धि, द्विपाली-योजना आदि विविध कारणों से सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इन क्रियाकलापों के नियोजन एवं क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। अतः इस परियोजना का प्रयोजन सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापो की यथास्थिति का अध्ययन एवं उनके प्रभावी नियोजन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

उद्देश्य :

परियोजना का उद्देश्य निम्नवत है :—

1. विद्यालयों में सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. इन क्रियाकलाप के सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम :

1. आय-व्यय के ब्योरे के अवलोकन से विदित होता है कि लगभग 72 प्रतिशत विद्यालयो में खेल सामग्री के क्रय पर कम और अन्य मदों पर अधिक व्यय होता है। इससे सभी छात्रों को लाभ नहीं है।

सुझाव :—

1. खेलकूद को अनिवार्य बनाने से पूर्व सभी विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था की जाय।
2. खेल के धन का उपयोग सामग्री के क्रय पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर सभी खेलों के लिए कोच की व्यवस्था हो।

वृक्षारोपण एवं विद्यालय-वाटिका :

1. सभी विद्यालयों में सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाय।
2. विद्यालयों में बाटिका का विकास अनिवार्य रूप से हो।
3. बाटिका के लिए अलग से अनुदान की व्यवस्था हो।

अल्प बचत योजना :

1. राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अल्प बचत योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व से छात्रों को अवगत कराया जाय ।

2. इसके रख-रखाव एवं वितरण-व्यवस्था में अभाव होने से छात्रों में उदासीनता पायी जाती है ।

उपभोक्ता भण्डार :

1. सभी विद्यालयों में उपभोक्ता भण्डार चलाये जाएँ जिससे छात्र/छात्राओं को दैनिक उपयोग की वस्तुएं आसानी से सुलभ हों ।

2. उपभोक्ता भण्डार में छात्रों तथा अध्यापकों की भागेदारी होने के साथ-साथ अल्प बचत योजना के पैसे की भी छूट होनी चाहिए ।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :

1. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन माह में दो बार नियमित रूप से किया जाना चाहिए ।

2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु साज-सज्जा की वस्तुओं के क्रय के लिए अनुदान की व्यवस्था होनी आवश्यक है ।

3. विद्यालय-पत्रिका का प्रकाशन सभी विद्यालयों में नियमित रूप से किया जाना चाहिए ।

4. विद्यालयों में प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा की हस्तलिखित पत्रिका को भी तैयार कराया जाना चाहिए । इससे उनमें पढ़ने लिखने की रुचि का विकास होगा ।

स्काउटिंग, गर्ल्स गाइडिंग तथा रेडक्रास :

1. पुराने स्काउट मास्टरों/गाइडों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाय तथा उन्हें रेडक्रास का भी प्रशिक्षण दिया जाय ।

2. जनपद स्तर पर एक स्काउट हट तथा एक स्काउट आर्गेनाइजर की व्यवस्था हो ।

शीर्षक (2) रिक्त वादनों के सदुपयोग की समुचित व्यवस्था

संक्षिप्त विवरण :

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समय-सारिणी में विषयों के समायोजन के समय साहित्यिक तथा वाणिज्य वर्गों के कुछ घण्टे खाली रह जाते हैं । इसी प्रकार प्राध्यापकों में अवकाश आदि पर चले जाने तथा उनके स्थान पर अन्य अध्यापकों की व्यवस्था न होने के कारण कक्षायें खाली हो जाती है । इन खाली कक्षाओं में बहुधा छात्र विद्यालय प्रांगण में निरुददेश्य घूमते हैं अथवा अवांछनीय कार्यों में लग जाते है । इस प्रकार विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण दूषित होता है यहाँ यह विचारणीय है कि क्या इन रिक्त वादनों के सदुपयोग की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती । विद्यालय, भवन, अध्यापक क्षमता आदि की सीमाओं को देखते हुए इन रिक्त वादनों के उपयोग की संभावनाएँ अध्ययन के लिए क्या प्रस्तुत परियोजना ली गयी है ?

उद्देश्य :

इस परियोजना के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :—

1. रिक्त वादनों के विविध कारणों का पता लगाना।
2. विद्यालय के उक्त समय में छात्रों के लाभार्थ की गयी व्यवस्था एवं परिणाम के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
3. रिक्त वादनों के सदुपयोग के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस परियोजना के अध्ययन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित सत्य उभर कर आये हैं :—

(क) समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य वांछित योग्यताओं से परिपूर्ण तथा अनुभवशील हैं।

(ख) समस्त विद्यालयों में मुक्त छात्रों की संख्या साहित्य वर्ग में अधिक है।

(ग) रिक्त वादनों का प्रमुख कारण अत्यधिक वैकल्पिक विषयों का होना है।

(घ) अधिकांश विषयों में 30 प्रतिशत अध्यापक प्रति आवर्त शिक्षण कार्य से मुक्त पाये गये हैं।

(ङ) प्रायः समस्त विद्यालयों में पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद आदि के माध्यम से रिक्त वादन-काल में मुक्त छात्रों को व्यस्त रखने का प्रयास किया गया है।

(च) जहाँ रिक्त वादनों में मुक्त छात्रों को व्यस्त रखने की व्यवस्था नहीं की गयी हैं, वहाँ के अध्यापक भी व्यवस्था को अनुकूल बनाये रखने में सहयोग नहीं देते हैं तथा वहाँ के निरंकुश मुक्त छात्र विद्यालय वातावरण को दूषित करने में नहीं हिचकते हैं।

(छ) रिक्त वादनों के सदुपयोग से निश्चित रूप से विद्यालय का वातावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।

शीर्षक (3) राज्य के दो हजार से अधिक छात्र संख्या वाले इण्टर कालेजों की समस्यायें—एक अध्ययन

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर विद्यालयों के खुलने पर भी विद्यालयों की छात्र संख्या में लगातार वृद्धि हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब ऐसे अनेक इण्टरमीडिएट विद्यालय हैं जिनकी छात्र संख्या दो हजार से अधिक हो गई हैं। इस बढ़ती हुई छात्र संख्या के कारण इन विद्यालयों के समक्ष प्रशासनिक शैक्षिक सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप आदि क्षेत्रों में विविध समस्यायें उभर कर आई हैं। यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश के इन अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाय।

उद्देश्य :

1. राज्य के दो हजार से अधिक संख्या वाले विद्यालयों का सर्वेक्षण करना ।
2. इन विद्यलयों के भौतिक संसाधनों का प्रशासनिक, शैक्षिक तथा सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप से संबंधित समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करना ।
3. समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत करना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981-82 में दो हजार या इससे अधिक छात्र संख्या वाले इण्टरमीडिएट कालेजों की कुल संख्या 85 है । इनमें बालकों के 70 विद्यालय है तथा अशासकीय 63 । सर्वाधिक विद्यालय मेरठ में है । नैनीताल एक ऐसा मण्डल है जहाँ पर कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसकी छात्र संख्या दो हजार या इससे अधिक है ।

1. अधिकांश विद्यालय द्विपाली में है ।
2. इन विद्यालयों की छात्र संख्या निरन्तर बढ़ रही है ।
3. परीक्षाफल अधिकतर ह्रास की ओर परिलक्षित होता है ।
4. अधिकांश विद्यालयों में भवन अपर्याप्त है । छात्रों के बैठने के लिए कमरे नहीं है । विज्ञान के प्रयोगशालाओं की कमी तथा अध्यापकों के लिए अध्यापक कक्ष की व्यवस्था बहुत से विद्यालयों में नहीं है ।
5. फर्नीचर की समस्या इन विद्यालयों में सर्वाधिक जटिल समस्या है ।
6. प्राय: सभी विद्यालयों में निरीक्षण सामग्री (मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, माडल, विज्ञान के उपकरण आदि) का भी नितान्त अभाव है ।
7. अधिकांश विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक कार्यरत हैं। सर्वाधिक कमी सी० टी० ग्रेड के अध्यापकों की है ।
8. विषयानुसार अध्यापकों की कमी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापकों की कमी है ।
9. विद्यालयों में पुस्तकालय के संबंध में सुधार की आवश्यकता है । अधिकांश विद्यालयों के पास अलग से पुस्तकालय भवन/वाचनालय कक्ष भी नहीं है । उपयुक्त फर्नीचर तथा पुस्तकों का भी अभाव है । पुस्तकालय की सुविधा ठीक न होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है ।
10. अधिकांश विद्यालयों के पास अपेक्षित माप के खेल के मैदान उपलब्ध नहीं हैं ।

शीर्षक (4) प्रचलित छात्र निधि एवं शुल्क आय का औचित्य-एक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

इस समय माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा, जलपान, श्रव्य-दृश्य, पत्रिका, परीक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालय रेडक्रास एवं स्काउटिंग, निर्धन छात्र, विज्ञान, पंखा आदि से संबंधित शुल्क लिए जाते हैं। बढ़ती हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुये वृद्धि की भी बात उठाई जाती है। इनके उचित रखरखाव में अव्यवस्था की बात भी छात्र प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों द्वारा की जाती है। विद्यालय के प्रधानाचार्यो द्वारा एक फण्ड की धनराशि दूसरे फण्ड के साथ मिलाकर खर्च करने की भी शिकायत मिलती है। अतः इस अध्ययन का प्रयोजन छात्र निधियों के वर्तमान ढांचे का सर्वेक्षण एवं उनके प्रभावी उपभोग के लिए प्रस्तुत करना है।

उद्देश्य :

1. वर्तमान छात्र निधियों से संबंधित लिये जाने वाले शुल्क के ढाँचे एवं उपभोग का अध्ययन करना।
2. इन छात्र निधियों के प्रभावी उपभोग हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

निष्कर्ष

1. सभी विद्यालयों में निधियों की आय को डाक घरों अथवा बैंकों में जमा किया जाता है। इन विधियों के लेखा का रख रखाव कार्यालय द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यापकों का भी योगदान पाया गया।

2. अधिकांश विद्यालयों में छात्र निधि के व्यय हेतु छात्र समितियों के योगदान का अभाव है।

3. विभिन्न विद्यालयों में लिए जाने वाले क्रीड़ा शुल्क में एक समता का अभाव है। क्रीड़ा शुल्क के अन्तर्गत प्राप्त धन का व्यय क्रीड़ा सामग्री के क्रय में किया जाता है। जलपान आदि के व्यय का प्रतिशत अधिक रहता है। अधिकांश विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है।

4. कतिपय विद्यालयों में सरकारी छात्र निर्धारित शुल्क 50 पैसे प्रति छात्र की दर से लिया जाता है परन्तु यह अपर्याप्त है और प्रति दिन इससे जलपान की व्यवस्था करना संभव नहीं है। अतः सभी विद्यालय विशेष अवसरों पर मिष्ठान आदि के वितरण पर ही व्यय करते हैं।

5. श्रव्य-दृश्य शुल्क भी विद्यालय में प्रति छात्र के हिसाब से लिया जाता है। कुछ विद्यालयों में रेडियो तथा प्रोजेक्टर मशीन भी है। श्रव्य-दृश्य एसोसियेशन की ओर से सभी विद्यालयों में चलचित्र की व्यवस्था है पर व्यावहारिक रूप में व्यवस्थित ढंग से यह योजना नहीं चल पा रही है।

6. विज्ञान शुल्क विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न दर से लिया जाता है जिसका सामान्यतः विज्ञान सामग्री के क्रय में उपयोग किया जाता है।

7. निर्धन छात्र शुल्क का भी वितरण अधिकांश विद्यालयों में एक समिति के माध्यम से निर्धन छात्रों को (जिन्हें शुल्क मुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है) वितरित किया जाता है।

8. सभी विद्यालयों में पंखा शुल्क लिया जाता है, परन्तु किसी भी विद्यालय में सभी कक्षाओं में वांछित संख्या में पंखे नहीं हैं। इस मद से बिजली के बिल का भुगतान एवं अन्य विद्युत समाग्रियों के क्रय करने में व्यय किया जाता हैं।

9. परीक्षा शुल्क का व्यय उत्तर पुस्तकों के क्रय, प्रश्न पत्रों की छपाई एवं अन्य लेखन सामग्री के क्रय पर किया जाता है। विभिन्न विद्यालयों में इस काम में पर्याप्त विभिन्नता पाई गई है ।

शीर्षक (5) एल० टी० [सामान्य] पाठ्यक्रम का अभिनवीकरण

संक्षिप्त विवरण :

वर्तमान एल०टी० पाठ्यक्रम की रचना काल से अब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुये हैं। इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का सीधा प्रभाव शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। फलस्वरूप शिक्षा की संकल्पना, उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में परिवर्तन हुये हैं। इनके प्रभाव से देश और उसके साथ-साथ हमारा राज्य भी अछूता नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में युगानुरूप पर्याप्त परिवर्तन किये गये है तथा किये जा रहे हैं।

किसी भी प्रकार की शैक्षिक योजना सुयोग्य अध्यापक के बिना सफल नहीं हो सकती। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कोठारी आयोग ने शिक्षा के साथ-साथ अध्यापक वृत्तिक शिक्षा के विषय में भी महत्वपूर्ण संस्तुतियों की थीं। तब से अब तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा एवं अध्यापक वृत्तिक शिक्षा के नवीनीकरण हेतु अनेक विचार समय-समय पर प्रस्तुत होते रहे हैं और उनके अनुरूप कुछ प्रयास भी किये गये हैं। इसी प्रसंग में अध्यापक वृत्तिक शिक्षा के प्रभावी निग्रोजन पर सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नेशनल कौंशिल फार टीचर एजूकेशन (1974) नामक संस्था की अलग से स्थापना की गई। एन. सी. टी. ई. यू. जी. सी. पैनेलआन टीचर एजूकेशन तथा डिपार्टमेंट आफ टीचर एजूकेशन एन. सी. ई. आर. टी. के सम्मिलित प्रयास से अध्यापक वृत्तिक शिक्षा के विषय पर व्यापक रूप से विचार किया गया है जिसके फलस्वरूप "टीचर एजूकेशन करीक्यूलम ए फ्रेम वर्क" नामक पुस्तिका का प्रकाशन (1978) में किया गया। इस पुस्तिका में अध्यापक वृत्तिक शिक्षा को अद्यतन बनाने के लिये प्रारूप प्रस्तुत किया गया है एवं बहुमूल्य सुझाव दिये गये हैं।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में चल रहे एल. टी. (सामान्य) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नवीनीकरण अपेक्षित था।

उद्देश्य :

(1) एन. सी. टी. ई. द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "टीचर एजूकेशन करीक्यूलम ए फ्रेम वर्क" से दिये गये सुझावों के आलोक में एल0 टी0 (सामान्य) में पाठ्यक्रम के संशोधन तथा नवीनीकरण के संरचनात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करना।

(2) उपर्युक्त संरचनात्मक स्वरूप के अनुसार विषयगत विस्तृत पाठ्यचर्याओं का निर्माण करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

1. शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों का शैक्षिकसत्र 15 जुलाई से 30 अप्रैल तक होता है। रविवार तथा अवकाश एवं परीक्षा के दिनों को छोड़कर सामान्यतया प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु सत्र में कुल 900 घण्टे उपलब्ध होते हैं। कालावधि को दृष्टि में रखते हुये सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्य निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभक्त है :—

1. सैद्धान्तिक ज्ञान तथा सत्रीय कार्य ।
2. शिक्षण सिद्धान्त तथा शिक्षण विधियाँ एवं कक्षा शिक्षण ।
3. समुदायिक कार्य ।

2– पाठ्यक्रम में तीनों क्षेत्रों का अधिभार कालावधि की दृष्टि से मोटे तौर पर 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत में पूर्णतः विनिर्देशित कर दिया गया है।

3. सैद्धान्तिक ज्ञान के क्षेत्र में नवीन आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण प्रकरणों का समावेश किया गया है। चतुर्थ प्रश्न प्रत्र को वैकल्पिक रखते हुए विशेष दक्षता प्रदान करने हेतु इसमें महत्त्वपूर्ण विषयों, उपचारात्मक शिक्षा निर्देशन और परामर्श, शैक्षिक मूल्यांकन तथा सांख्यिकी, क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक प्रबन्ध एवं शैक्षिक तकनीकी जैसे विषय रखे गये हैं।

4. परीक्षा को अधिक विश्वसनीय तथा वैध स्वरुप प्रदान करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में सत्रीय कार्य के आधार पर आन्तरिक मूल्यांकन को उचित स्थान दिया गया है।

5. समुदाय में कार्य की संकल्पना को व्यापक अर्थ में स्वीकार किया गया है।

6. कक्षा-शिक्षण पर अधिक बल दिया गया है। इस दिशा में व्यावहारिक दक्षता की प्राप्ति हेतु विशेष कार्यकलापों का समावेश किया गया है।

शीर्षक (6) कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के रूप में परिणत किए जाने की संभवानाओं का अध्ययन

छात्रों की संख्या निरन्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है। देश के प्रत्येक बच्चे को विद्यालयी स्तर तक की शैक्षिक सुविधा प्रदान करना हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। बढ़ती हुई छात्र संख्या के अनुपात में भौतिक संसाधनों की व्यवस्था न हो पाने के कारण हमें प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु मानक को शिथिल करना पड़ा।

इसी का दुष्परिणाम है कि अच्छे परीक्षाफल वाले विद्यालयों का पूर्व की भांति शैक्षिक स्तर एवं वातावरण नहीं रह गया है। विशेषतः मेधावी छात्रों को स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप इस विशाल जनसंख्या वाले राज्य के छात्रों का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों में, जनसंख्या के सापेक्ष में अत्यन्त कम रहता है।

इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए कतिपय ऐसे विद्यालयों में शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय जहाँ वे अपनी क्षमता के अनुकूल अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इस दृष्टि से उक्त उद्देश्य की पूर्ति कर सकने वाली कतिपय संस्थाओं एवं उनके विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन।

उद्देश्य :

1. मेधावी छात्र विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की संभावना से युक्त कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का चयन करना।
2. उक्त संस्थाओं के लिए अपेक्षित सुविधाओं के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम उपलब्धियाँ :

1. प्रति अनुभाग छात्र संख्या की स्थिति, भौतिक एवं मानवीय संशोधन तथा शैक्षिक एवं सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों में संस्थाओं की स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजकीय हुसेनाबाद इण्टर कालेज, राजकीय इण्टर कालेज, फैजाबाद, राजकीय इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर तथा राजकीय इण्टर कालेज, पिथौरागढ़ को मेधावी छात्र विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को अधिक जुटाने की आवश्यकता है।
2. राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अलमोड़ा, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, देहरादून, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फैजाबाद, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बरेली, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कोटद्वार आदि विद्यालयों को उक्त उद्देश्य से यथास्थिति के अनुसार चुना जा सकता है।
3. उपर्युक्त संस्थाओं में से अधिकांश में सह-पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों की स्थिति अच्छी नहीं हैं। यदि इनका चयन किया जाता है तो उनके प्रधानाचार्यों/प्रधानाचर्याओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना होगा।
4. उक्त प्रतिदर्श में प्रदेश के विभिन्न अचलों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। छात्रों एवं अभिभावकों की सुविधा का ध्यान रखते हुये आवश्यक है कि अछूते अंचलों के भी कुछ विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन किया जाय।

शीर्षक (7) प्राथमिक स्तर पर हिन्दी पठन शिक्षण की संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधियों का तुलनात्मक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

(क) महत्त्व—मातृभाषा प्रारंभिक स्तर पर बालक की सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षा एवं विकास का माध्यम होने के कारण विद्यालयीय पाठ्यक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इसे समस्त देशों के प्रारम्भिक स्तर के पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान प्राप्त रहता है। भाषायी योग्यता पर ही बालक की अन्य विषयों की शिक्षा निर्भर करती है। अतः इसे बढ़ाते रहने का प्रयास नितान्त आवश्यक है।

भाषायी योग्यता भाषा से सम्बिन्धित चार प्रमुख कौशलों भाषण, श्रवण, पठन तथा लेखन-में प्राप्त दक्षता पर निर्भर करती है। इन कौशलों में भी "पठन कौशल" को प्रायः अधिक महत्त्व दिया जाता है क्योंकि समस्त प्रकार के अधुनातन ज्ञान की प्राप्ति हेतु पठन कौशल में दक्षता ही आवश्यक होती है। प्रारम्भिक स्तर पर पठन कौशल के शिक्षण का महत्व कोठारी आयोग ने भी स्वीकार किया है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में प्राथमिक स्तर पर ह्रास एवं अनुरोध का एक प्रमुख कारण पठन शिक्षण की उपयुक्त विधि का अभाव है। और देवनगरी जैसी ध्वन्यात्मक विधि के माध्यम से पठन शिक्षण की उपयुक्त विधि का विकास किया जाना आवश्यक है।

(ख) पठन शिक्षण के उपागम—ध्वन्यात्मक लिपि मूलक भाषाओं में आजकल पठन-शिक्षण के मुख्यतः दो उपागम प्रचलित है। संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक उपागम में पठन शिक्षण की इकाई वर्ण और ध्वनि होती हैं। बच्चे को पहले ध्वनि एवं वर्ण से परिचित कराया जाता है तत्पश्चात् वह क्रमशः वर्णों को छोड़कर शब्दों और वाक्यों का पढ़ना सीखता है। ध्वन्यात्मक लिपि वाली भाषाओं में पठन-शिक्षण की यही विधि लोकप्रिय रही है।

विश्लेषणात्मक उपागम अपेक्षाकृत बाद का आविष्कार है। ध्वन्यात्मक लिपि वाली भाषाओं में समय के व्यवधान से उच्चारण में कुछ ध्वनियों का लोप हो गया किन्तु वर्तनी में उनका रूप सुरक्षित रहा है। इसी प्रकार अन्यान्य परिवर्तनों के होने में संश्लेषणात्मक विधि द्वारा पठन शिक्षण में कठिनाई होने लगी। फलस्वरूप अन्य विधियों की खोज प्रारम्भ हुई। विश्लेषणात्मक उपागम इसी प्रयास का परिणाम है। इस उपागम में शब्द या वाक्य को ही मूल इकाई मानकर प्रारम्भिक पठन कौशल सिखाया जाता है। वाक्यों पठन का अभ्यास हो जाने के पश्चात उनके विश्लेषण द्वारा वर्णों एवं ध्वनियों से भी परिचित कराया जाता है। यह विधि अंग्रेजी भाषा में "लुक ऐंड से" या "लुक ऐंड रीड" नाम से प्रचलित है।

(ग) दोनों उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन :—विश्लेषणात्मक विधि का प्रचलन होने के पश्चात इसकी अन्य अच्छाइयों से एवं लाभों का भी दावा किया जाने लगा, उदाहरणार्थ प्रारम्भ से ही निरर्थक ध्वनियों के स्थान पर सार्थक शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ने का अवसर मिलने के कारण इस विधि का अधिक रोचक होना, वर्णों को जोड़-जोड़ कर पढ़ने से पठन में मन्द गति की आदत पड़ने के स्थान पर द्रुत गति में पढ़ने की आदत का विकास आदि। इन बातों को लेकर दोनों विधियों की तुलनात्मक उपयुक्ता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक परीक्षण दिये गये हैं किन्तु किसी विधि की अकाट्य श्रेष्ठता नहीं प्रमाणित हुई है।

(घ) पुनः अध्ययन की आवश्यकता :—उत्तर प्रदेश में पुनः राज्य स्तर पर दोनों उपागमों के नबीन प्रयास हुए। सन 1977 में राज्य हिन्दी संथान, वाराणसी द्वारा संश्लेषणात्मक विधि पर लिखित तत्कालीन राष्ट्रीयकृत पुस्तक "प्रवेशिका" का संशोधन किया गया था जो अब "ज्ञान भारती भाग 1" के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रचलित है। उसी समय राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश ने "यूनीसेफ सहायता प्राप्त पाठ्यक्रम नवीनीकरण योजना के अंतर्गत विश्लेषणात्मक विधि पर "भाषा दीप भाग 1" पाठ्य पुस्तक तैयार की जिसका प्रयोग प्रदेश के लगभग 150 विद्यालयों में हो रहा है।

उद्देश्य :

(1) पूर्वोक्त दोनों पाठ्य पुस्तकों एवं उपागमों के प्रयोग द्वारा बच्चों में उत्पन्न पठन क्षमता का अध्ययन करना तथा उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता निर्धारित करना।

(2) प्रयोग के आधार पर पाठ्यपुस्तक एवं छात्रों की अधिगम प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विधि के सुझाव के सम्बन्ध में सुधार प्रस्तुत करना ।

परिणाम उपलब्धियाँ :

(1) प्रयोगात्मक वर्ग की उपस्थिति नियंत्रण वर्ग की अपेक्षा कम रही किन्तु फिर भी वाक्य, शब्द एवं वर्ण स्तर पर इसकी पठन क्षमता शब्द पठन में प्रवाह को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्रों में नियन्त्रित वर्ग से कुछ अधिक रही यद्यपि केवल प्रवाह पूर्ण शब्द पठन क्षमता में दोनों वर्गो की उपलब्धि समान रही । लेखन क्षमता में भी सभी स्तरों पर प्रयोगात्मक वर्ग की उपलब्धि नियन्त्रित वर्ग से कुछ अधिक रही यद्यपि सांख्यिकी दृष्टि से यह अन्तर सार्थक नहीं था ।

(2) यह अनुमान किया जा सकता हैं कि यदि प्रयोगात्मक वर्ग की उपस्थिति नियन्त्रित वर्ग के समान होती तो इसकी उपलब्धि भी उच्चतर होती क्योंकि दोनों वर्गों की उपस्थिति में 28 कार्य सत्रों का अन्तर रहा जिसे निश्चय नहीं कहा जा सकता ।

(3) पठन एवं लेखन क्षमता के समस्त क्षेत्रों में प्रयोगात्मक वर्ग की उपलब्धि उपस्थिति के कम होने पर भी अधिक या समान है । इस तथ्य से यह धारणा प्रबल होती है कि सुनियोजित सामग्री के प्रयोग से विश्लेषणात्मक उपागम द्वारा न केवल सफलतापूर्वक पठन एवं लेखन शिक्षण सम्भव है । वरन् बच्चों में पठन एवं लेखन क्षमता का स्तर उच्च भी किया जा सकता है ।

(4) संश्लेषणात्मक विधि पर लिखित "ज्ञान भारती भाग 1" नामक पाठय पुस्तक में पठनारम्भ योग्यता निर्माण सम्बन्धी सामग्री कम है । शिक्षण के समय इसकी पूर्ति का प्रयास किया गया किन्तु पाठ्य पुस्तक में इसका प्राविधान होने का प्रभाव निश्चय ही कुछ और होता और नियन्त्रित वर्ग की सम्प्राप्ति भी अनुकूल दिशा में प्रभावित होती हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि ज्ञान भारती 1 में मुद्रित वर्णो का आकार अपेक्षाकृत छोटा हैं । चित्र भी अपेक्षाकृत कम आर्कषक हैं । यदि दोनों उपागमों पर आधारित पाठ्य पुस्तकों में उपर्युक्त समस्त बातों की समानता होती तो बहुत कुछ सम्भव है कि दोनों वर्गो की उपलब्धि भी समान होती ।

शीर्षक (8) कमजोर छात्रों के उपचारात्मक शिक्षा के संदर्भ में जू० हा० स्कूल के लिए सामाजिक विषयों में निदानात्मक परीक्षणों की रचना

सक्षिप्त विवरण :

वर्तमान समय में विद्यालयों की छात्र संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है किन्तु कक्षा में जितने छात्र अध्ययन हेतु आते हैं उन सबका शारीरिक और मानसिक स्तर समान नहीं होता है । अतः कुछ छात्र विषयवस्तु को भली प्रकार ग्रहण कर पाते हैं तथा कुछ छात्र देर में समझ पाते हैं । ऐसी दशा में यदि अध्यापक पूर्ण रूप से सतर्क नहीं रहता है तो बहुत से छात्र पढ़ाई गयी विषयवस्तु को भली प्रकार नही ग्रहण कर पाते हैं । अतः वे पिछड़ जाते हैं । लोकतान्त्रिक शिक्षा व्यवस्था में उनकी कमजोरी को दूर करने का उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है । अस्तु कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस प्रकार के छात्रों के सामाजिक

विषयों के पिछड़ेपन का पता लगाने में प्रस्तुत जूनियर हाई स्कूल स्तर पर निदान सूचक परीक्षण का निर्माण किया गया है। इसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र विषयों में एक-एक निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया गया है।

उद्देश्य :

(1) सामूहिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान न दिये जाने के कारण असफल होने के कारणों को ज्ञात करना तथा उनको दूर करने का उपाय ढूंढ निकालना।

(2) ऐसे छात्रों की अरुचि-असंतोष और अपराध भावना को दूर करना।

(3) उक्त के परिप्रेक्ष्य में तत्संबंधी विषयगत दुर्बलताओं के स्वरूप तथा उनके निराकरण की संभावनाओं को ढूंढ निकालना।

(4) विषयवार-निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

(1) निर्मित निदानात्मक परीक्षणों को छात्रों को देने के पश्चात सामाजिक विषय के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया।

(2) इससे पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे पिछड़े छात्रों का कल्याण होगा।

शीर्षक (9) उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु सुविधाएँ [पाइलेट प्रोजेक्ट]

संक्षिप्त विवरण :

उत्तर प्रदेश में बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत न्यून है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों में उपेक्षा के भाव हैं। बहुत कम ऐसी संख्या है जो अभी भी पाठशालाओं तक नही पहुँच पायी है। प्रदेश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर एक क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन किया गया। उपलब्ध निष्कर्षो के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभिभावक बालिकाओं को घरेलू कार्यो में लगाये रखते हैं। इस तरह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक न्यून है। इसलिये त्वरित उत्थान की अपेक्षा है तथा परिस्थितियों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाना है जिससे साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हो सके।

उद्देश्य : (1) छात्राओं को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना तथा उन्हें इसकी जानकारी देना।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को शिक्षा के महत्त्व, प्रभाव एवं उद्देश्यों की जानकारी देना

(3) अभिभावकों को यह बताना कि एक शिक्षित माँ स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करती है।

(4) महिला साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करना ।

(5) शिक्षा के वैज्ञानिक महत्त्व से अभिभावकों को परिचित कराना ।

(6) ऐसे तरीके ढूंढ़ निकालना जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए अभिप्रेरित हों ।

परिणाम/उपलब्धियाँ

(1) इस अग्रगामी योजना के निष्कर्षों से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जन समाज की रुचि में वृद्धि हुई है ।

(2) अविकसित क्षेत्रों की तुलना में विकसित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में प्रसार होने के साथ शिक्षा के बारे में प्रचार भी हुआ है ।

(3) बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई तथा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पृथक्-पृथक् विद्यालयों की मांग की गयी । ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं ।

(4) वे तमाम व्यवधान जिनके कारण अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते दूर करने के सुझाव दिये गये ।

(5) बालिकाओं की शिक्षा के लिए हर स्तर पर प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जाना अपेक्षित है ।

शीर्षक (10) हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाफल का एक अध्ययन जिससे कम परीक्षाफल के उत्तरदायी घटकों को ज्ञात किया जा सके ।

संक्षिप्त विवरण :

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के न्यून परीक्षाफल के उत्तरदायी घटक यथा (1) विद्यालय का भौतिक तथा मानवीय संसाधन (2) अभिभावक की अजागरूकता (3) पाठ्य-सहगामी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन (4) विद्यालय प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप आदि प्रमुख कारकों का इस अध्ययन में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया । इस विश्लेषण की संप्राप्ति से क्रमशः परीक्षाफल में वृद्धि होगी तथा उन कारकों की जानकारी हो सकेगी जो कम परीक्षाफल के लिये उत्तरदायी हैं ।

उद्देश्य : (1) हाईस्कूल/इण्टर के परीक्षाफल की प्रतिशतता में वृद्धि करना ।

(2) छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना ।

(3) विद्यार्थियों में ह्रास एवं अवरोध को कम करना ।

(4) वित्तीय संसाधनों की उपादेयता बढ़ाना ।

(5) कम परीक्षाफल के घटकों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों को उसकी जानकारी देना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उत्तरदायी घटकों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें इन तत्वों से अवगत कराया गया और हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट के परीक्षाफल के प्रतिशत में वृद्धि के लिये ठोस सुझाव दिये गये ।

माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमीय भार का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण

सत्र 1983–84 में प्रदेश में हाई स्कूल स्तर पर नया पाठ्यक्रम लागू किया गया । इसके माध्यम से यह जानने की चेष्टा की गई कि पाठ्यक्रम बोझिल तो नहीं है । इसलिए हाई स्कूल स्तर पर छात्र एवं अध्यापकों को, पृच्छापत्र देकर उनसे यह ज्ञात किया गया कि किस विषयवस्तु की पाठ्यवस्तु में भार अधिक है और कितनी मात्रा में अधिक हैं ।

उद्देश्य

1– पाठ्यक्रम में बोझिल विषय सामग्री के भार को ज्ञात करना ।

2– किस विषय वस्तु में कितनी मात्रा में भार अधिक है, को ज्ञात करना ।

3– भार युक्त विषयों की विषय सामग्री को अनुमानित कम करने हेतु सुझाव देना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ

(1) विज्ञान वर्ग लेने वाले छात्रों का पाठ्यक्रम बोझिल पाया गया तथा जीव विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से थोप देने के कारण पाठ्यक्रम और अधिक बोझिल हो गया ।

(2) अन्य वर्गों के पाठ्यक्रम समयानुकूल पाये गये ।

शीर्षक (11) प्राथमिक/जूनियर हाईस्कूल स्तर पर हिन्दी में निदान सूचक परीक्षणों की रचना ।

संक्षिप्त विवरण :

सामूहिक शिक्षण में कक्षा का आकार विस्तृत होने पर प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षक के लिये संभव नहीं हो पाता । हमारा प्रदेश हिन्दी भाषायी क्षेत्र होने पर भी अध्यापकों के छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान न दिये जाने के कारण अधिकांश छात्र हिन्दी भाषा में वाँछित स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते । ऐसी स्थिति में यदि अध्यापक पूर्णरूप से सतर्क नहीं रहता तो अधिकाश छात्र हिन्दी भाषा संबंधी अनेक त्रुटियां करते रहते हैं । लोकतंत्रीय शिक्षा व्यवस्था में छात्रों की शैक्षिक दुर्बलताओं का पता लगाकर उन्हें दूर करना अध्यापक का उत्तरदायित्व है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल स्तर पर हिन्दी भाषा के निदान सूचक परीक्षण की रचना की गई ।

उद्देश्य :

(1) शैक्षिक दृष्टि से दुर्बल छात्रों की अरुचि, असन्तोष एवं हीन भावना को दूर करना।

(2) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में तत्संबंधी विषयगत दुर्बलताओं के स्वरूप तथा उनके निराकरण की संभावनाओं का पता लगाना।

(3) विषय से संबंधित परीक्षणों का निर्माण।

परिणाम/उपलब्धियाँ

1– निर्मित निदानात्मक परीक्षणों से छात्रों की भाषा संबंधी कमजोरियों को ज्ञात किया गया।

2– इस प्रकार के परीक्षण से पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रेरणा और मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे हिन्दी भाषा के पिछड़े वर्ग के छात्रों को लाभ होगा।

शीर्षक (12) जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के प्रशासन का दायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी पर होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुख्य रूप में दो तरह के दायित्व हैं :— (1) प्रशासन तथा (2) शैक्षिक प्रशासन। प्रशासन के अन्तर्गत प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के सामान्य प्रशासन के व्यक्तिगत स्कूलों के प्रबंधकीय प्रशासन और अध्यापकों की नियुक्ति तथा अनुमोदन संबंधी प्रकरण महत्त्वपूर्ण हैं। स्थानान्तरण तथा बी. टी. सी. का चुनाव एवं कार्यालय प्रशासन के कुछ महत्तर दायित्वों का निर्वाह, बेसिक शिक्षा अधिकारी को करना होता है। शैक्षिक प्रशासन के दायित्वों के निर्वहन में प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर की कक्षाओं के शैक्षिक स्तर का निरीक्षण, मूल्यांकन तथा सुधार के लिये सुझाव देना और उन्हें कार्यान्वित कराना है। वर्तमान विधाओं का निरीक्षण कर उसे अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाने हेतु प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है। उक्त संदर्भ को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :

1– जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के प्रचलित प्रशासन का अध्ययन करना।

2– जनपद स्तर पर प्राथमिक तथा जूनियर स्तर के प्रबंधकीय प्रशासन का सम्यक विवेचन करना।

3– बेसिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक उन्नयन हेतु अपनाए गये प्रयासों का अध्ययन करना।

4– विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कार्यशालाओं के संचालन संबंधी प्रशासन का अध्ययन।

5– जनपद स्तर पर संचालित जूनियर हाई स्कूल परीक्षा संचालन, संकलन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य प्रणाली का अध्ययन ।

6– प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु अपनाये गये उपायों का अध्ययन ।

7– उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक संबंधों का निर्वहन का विश्लेषण करना ।

अध्ययन के फलस्वरूप निम्नांकित तथ्य सामने आए :–

1– प्रशासन में गुणात्मक सुधार हेतु प्रशासनिक निरीक्षण में वृद्धि अपेक्षित है ।

2– शैक्षिक प्रशासनिक चुस्ती के लिये शिक्षणेत्तर कार्यकलापों पर बल दिया जाय ।

3– जूनियर हाई स्कूल स्तर की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु सचल दलों में वृद्धि की जाय ।

4– प्रभावी प्रशासन के लिये प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन पर अपेक्षित बल दिया जाय ।

शीर्षक (13) उ० प्र० में माध्यमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु सर्वेक्षण एवं सुझाव ।

संक्षिप्त विवरण ।

आज छात्रों की संख्या अत्यधिक हो गयी है और निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है । बढ़ती हुई छात्र संख्या के अनुपात में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था न हो पाने के कारण हमें प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित मानक को शिथिल करना पड़ा है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर के स्तरोन्नयन हेतु यह सर्वेक्षण किया गया और प्राप्त आँकड़ों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत किये गये ।

उद्देश्य :–

(1) अधिक भौतिक तथा मानवीय संसाधन की व्यवस्था वाले विद्यालयों का सर्वेक्षण करना ।

(2) अधिका छात्र संख्या वाले विद्यालयों का सर्वेक्षण करना ।

(3) इन विद्यालयों के भौतिक संसाधनों प्रशासनिक, शैक्षिक तथा सह पाठ्यक्रमीय क्रिया कलापों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन तथा विश्लेषण ।

(4) समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत करना

परिणाम/उपलब्धियाँ :–

माध्यमिक शिक्षा का स्तरोन्नयन में विद्यालय के भौतिक संसाधनों, प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त छात्र के मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कारण भी है जो बाधक हैं।

शीर्षक (14) उत्तर प्रदेश परीक्षा सुधार : सर्वेक्षण एवं सुझाव

संक्षिप्त विवरण :

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० में परीक्षा प्रणाली न तो छात्र के व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन करने में समर्थ हो पा रही है और न ही इससे परीक्षा का मानक स्थिर हो पा रहा है। वैसे तो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद ने हाई स्कूल में वर्ष 1976 से प्रोफेसर ब्लूम की टैक्सोनोमी पर आधारित तथा एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में नवीन प्रकार के प्रश्न पत्रों के प्रारूप लागू किये । किन्तु उससे वाँछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त तथ्य के कारण की जानकारी प्राप्त करने हेतु यह सर्वेक्षण किया गया एवं उससे सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत किये गये।

उद्देश्य :–

1– वर्तमान प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का उद्देश्य निर्धारित करना।

2– विषयवस्तु का पर्याप्त नमूनाकरण निर्धारित करना।

3– उददेश्यों का पर्याप्त नमूनाकरण निर्धारित करना।

4– वर्तमान मूल्यांकन पद्धति का सर्वेक्षण करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :–

प्रश्न-पत्र निर्माताओं को ब्लूम टैक्सोनोमी का अभिज्ञान न होने के कारण प्रश्न पत्र उस स्तर के नहीं निर्मित हो सके जिस स्तर के वाँछित थे।

शीर्षक (15) अध्यापक शिक्षण में फिल्मों का प्रयोग।

संक्षिप्त विवरण :–

शिक्षण को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने में श्रव्यदृश्य से सम्बन्धित फिल्मों का अत्यधिक महत्व है। इसी मन्तव्य से एल० टी० के 20 छात्राध्यापकों को लिया गया था। इन छात्राध्यापकों का चयन प्रथम फेरे के क्रियात्मक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षण के बाद किया गया। इन सभी की सम्प्राप्ति लगभग एक स्तर की थी। इसके पश्चात् 10-10 छात्राध्यपकों के दो ग्रुप बना दिये गये। प्रयोगात्मक ग्रुप को श्रव्य-दृश्य से संबंधित फिल्में दिखाई गई और अनियमित ग्रुप की कोई फिल्म नही दिखाई गई।

उद्देश्य :–

1– दृश्य-उपादानों द्वारा शिक्षण में गुणात्मकता की वृद्धि करना।

2– चलचित्रको प्रभावी शिक्षण का माध्यम बनाकर क्रान्तिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा करना।

3– देखकर अच्छा सीखा जा सकता है—के सिद्धान्त पर चलचित्रों का शिक्षण में उपयोग करना।

4– चलचित्र और चित्र पहियों के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली उपयोगी और उपादेय बनाना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

1– प्रयोगात्मक ग्रुप जिन्हें श्रव्य-दृश्य से सम्बन्धित फिल्म दिखाई गई उनकी सम्प्राप्ति कक्षा शिक्षण के दूसरे फेरे में अधिक पाई गई।

2– प्रयोगात्मक ग्रुप का औसत अनियमित ग्रुप के औसत से अधिक आया।

शीर्षक (16) उ०प्र० में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा सुविधाओं का एक अग्रगामी अध्ययन

ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की माध्यमिक स्तरीय शिक्षा का अध्ययन दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था। प्रथम वर्ष में केवल इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों का अध्ययन किया गया। द्वितीय वर्ष में प्रदेश के दो जिलों उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों (गोरखपुर और ललितपुर) का अध्ययन किया गया। 84-85 में प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों अलीगढ़ और गढ़वाल के दो ब्लाकों का अध्ययन किया गया।

उद्देश्य : (1) छात्राओं को छात्रों की अपेक्षा शुल्क की छूट आदि सम्बन्धित सुविधाओं से अवगत कराना।

(2) अभिभावकों को शिक्षा के उद्देश्यों, प्रभावों एवं महत्व से अवगत कराना।

(3) छात्रों एवं उनके अभिभावकों को यह ज्ञान देना कि एक शिक्षित माँ और गृहिणी अपनी संतान का लालन पालन और गृहस्थी की देखभाल अधिक अच्छे ढंग से करके राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है।

(4) महिला साक्षरता में वृद्धि करना।

(5) वैज्ञानिक, स्वास्थ्य, कुपोषण आदि सम्बन्धी ज्ञान देना।

परिणाम/उपलब्धियाँ

(1) पश्चिमी उ० प्र० के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जनरुचि में समुचित वृद्धि हुई है।

(2) विभिन्न विकास खण्डों की पारस्परिक तुलना के यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृषि उत्पादन में सम्पन्न क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा का अधिक प्रचार हुआ।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा बढ़ी है और बालिकाओं के लिए पृथक माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों की मांग की जा रही है। ग्रामीण लोग कन्याओं को विज्ञान तथा व्यवसाय परक शिक्षा देने के लिए भी जागरूक हो रहे हैं।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के साथ वयस्क बालिकाओं को आने जाने की समुचित व्यवस्था न होने से उन्हें विद्यालय भेजने में अभिभावक हिचकिचाते हैं।

शीर्षक (18) जूनियर हाई स्कूल स्तर का गणित एवं हिन्दी में निदान सूचक परीक्षण की रचना

संक्षिप्त विवरण :

सामूहिक शिक्षण में कक्षा का आकार बृहद होने के कारण प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षक के लिए असंभव है। व्यक्तिगत ध्यान से वंचित होने के कारण गणित एक क्रमिक विषय है। अतः किसी एक संक्रिया या क्रिया पद के स्पष्ट न होने पर अग्रिम संक्रिया या क्रिया पद को समझना असंभव है। इस कारण छात्रों में अरुचि, संवेगात्मक असंतोष और अपराध भावना आदि उत्पन्न होती है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व के संतुलित तथा स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में गणित के प्रकरण सरल तथा युगपत समीकरण के दुर्बलताओं के स्वरूप तथा विस्तार की तथ्यात्मक जानकारी हेतु निदानात्मक परीक्षणों की बैटरी का निर्माण किया गया।

उद्देश्य :

सरल समीकरण तथा युगपत समीकरण के विभिन्न शिक्षण बिन्दुओं पर—

1. विभिन्न मानसिक स्तर के प्रश्न बनकर यह पता लगाना कि त्रुटि बिन्दु क्या है तथा उनके स्वरूप क्या हैं।
2. त्रुटि बिन्दु तथा उनके स्वरूप को जान लेने के उपरान्त उपचारी शिक्षण के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
3. छात्रों के असंभाग बृहद समुच्चय को एक साथ अध्यापन करने योग बनाना।
4. इस प्रकार छात्रों की अरुचि असंतोष और अपराध भावना दूर करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

1. जिन छात्रों पर यह परीक्षण किया जायगा उनके अपने त्रुटि क्षेत्र तथा बिन्दु और उनके स्वरूप की जानकारी होगी।
2. शिक्षक यह जान सकेंगे कि सरल तथा युगपत समीकरण में छात्र त्रुटि कहाँ है, और उसका निराकरण कैसे होगा।

शीर्षक (19) जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक के शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

उ0 प्र0 शिक्षा विभाग में जिला विद्यालय निरीक्षक का पद महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य दायित्व मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के प्रबन्धकीय एवं शैक्षिक कार्यों का निरीक्षण करना है। प्रशासकीय एवं शैक्षिक

स्तरोन्नयन की दृष्टि से निरीक्षण कार्य विशेष महत्व रखता है। इसकी वर्तमान विधा का विश्लेषण कर उसे और लाभकारी बनाने हेतु सुझाव सम्बन्धी विशेष कार्य अपेक्षित है। इस दृष्टि से यह अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :

1. शिक्षा संबंधी शैक्षिक उद्देश्यों की जनपदीय स्तर पर उपलब्धि हेतु शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न समयों पर दिये गये निर्देशों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियोजन तथा संचालन करना।
2. जनपदीय स्तर पर विद्यालयों में शिक्षणोत्तर कार्यकलापों का आयोजन एवं संचालन का अध्ययन।
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूलों एवं इण्टर की जनपद में होने वाली परीक्षाओं का संचालन, संकलन एवं मूल्यांकन की विधाओं का अध्ययन करना।
4. जनपद में स्थिति हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में छात्रों के अनुशासन बनाये रखने हेतु अपनायी गयी विधाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन के फलस्वरूप निम्नांकित तथ्य सामने आए :—

1. शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु पैनल निरीक्षण प्रति वर्ष किया जाय।
2. जनपद में स्थिति ऐसे विद्यालय जिसका शैक्षिक स्तर मानक से उच्च हो उन विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दिखाया जाय।
3. शिक्षणेत्तर कार्यों विशेषकर खेलकूद पर बल दिया जाय।
4. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा संचालित परीक्षाओं का और सुचारक रूप से संचालन करने हेतु सचल दलों में वृद्धि की जाय और उनके द्वारा विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण हो।

शीर्षक (20) एल० टी० सामान्य परीक्षा के परीक्षाफल में वाह्य तथा आन्तरिक मूल्यांकन का विश्लेषण

संक्षिप्त विवरण :

सन् 1984 से एल0 टी0 सामान्य पाठ्यक्रम की मूल्यांकन विधा में वाहय एवं आन्तरिक मूल्यांकन का प्रावधान है। इससे पूर्व परीक्षा में आन्तरिक्क मूल्यांकन का कोई स्थान नहीं था। इस बात की आवश्यकता हुई कि वर्तमान पाठ्यकस में मूल्यांकन के वाह्य एवं आन्तरिक पक्ष पर पुनर्विचार किया जाय। आवश्यकतानुसार मूल्यांकन में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किया जाय। इस दृष्टि से यह शोध अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :

1. आन्तरिक मूल्यांकन पर पुनर्विचार एवं उसमें वस्तुनिष्ठता प्रदान करने हेतु सुझाव।
2. 1984 के परोक्षाफल की सांख्यकीय मीमांसा।

3. उपयुक्त के आलोक में संभव संशोधनों पर सुझाव ।

परिणाम/उपलब्धियाँ

राजकीय सी० पी० आई० एल० टी० (सामान्य) परीक्षाफल अनुशीलन किया जाय और उसके आधार पर वाह्य तथा आन्तरिक मूल्यांकन पर विचार किया जाय ।

शीर्षक (21) उत्तर प्रदेश माध्यमिक स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण सर्वेक्षण एवं सुझाव ।

संक्षिप्त विवरण .

प्रस्तुत सर्वेक्षण में शिक्षक प्रशिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण करते हुए प्रदेश की वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षण व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही प्रदेश की वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावी तथा उपादेय बनाने हेतु कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये हैं ।

उद्देश्य :

प्रदेश की वर्तमान शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावी एवं उपादेय बनाना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

उपर्युक्त सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षक-प्रशिक्षण में निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है :—

1– प्रशिक्षण महाविद्यालयों का स्वतंत्र इकाई के रूप में न होना ।

2– प्रदेश के एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाओं का बी0 एड0 के व्याख्याताओं के समान वेतन न होना ।

3– प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश की निर्धारित सीमा तथा सत्र का अनुपालन न होना ।

4– माँग के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या को सीमित न करना ।

सुझाव :

1– प्रशिक्षण महाविद्यालयों को स्वतन्त्र इकाई के रूप में विकसित किया जाय तथा इनसे आदर्श विद्यालय भी संलग्न किये जाने का प्रावधान किया जाय ।

2– एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याताओं को बी0 एड0 के प्रवक्ताओं के समान वेतन दिया जाय ।

3– निर्धारित सत्र व सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

4– केन्द्रीय नियन्त्रण परिषद का निर्माण किया जाय जिसमें शैक्षिक गुणात्मक सुधार एकरूपता, समानता तथा वैधानिक स्थिति को संचारित किया जा सके।

शीर्षक (22) व्यवसायिक शिक्षा—शिक्षा का एक अनिवार्य आयाम।

संक्षिप्त विवरण :

इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के संदर्भित विद्यालयों के 18 प्राचार्यों 8 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों एवं वरिष्ठ अनुदेशकों के लिए अलग-अलग प्रश्नावलियाँ निर्मित कर, संदर्भित व्यक्तियों को प्रेषित की गई है। इस तरह इनसे प्राप्त प्रदत्तों का अध्ययन इस विश्लेषण में किया गया हैं।

प्रश्नावली के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1– वर्तमान माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सहमति/असहमति।

2– वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, सहमति/असहमति।

3– पढ़ाओ और कमाओं योजना से सहमति/असहमति इत्यादि।

अध्ययन को और अधिक प्रमाणिक बनाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा के 10 विशेषज्ञों से भी सुझाव एवं प्रतिक्रियायें आमन्त्रित की गई हैं।

उद्देश्य :

1– वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा के स्वरूप एवं व्यावहारिकता का अध्ययन करना।

2– व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त उपागमों तथा कार्यान्वयन योजना का पता लगाना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

प्रधानाचार्यों एवं विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाओं से इस बात को बल मिलता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आज के समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल नहीं है। फलतः बेरोजगारी बढ़ रही है। बालकों में श्रमशीलता का अभाव रहता है और वे जीवन में श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अतः शिक्षा में परिवर्तन कर व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। आज की सैद्धान्तिक शिक्षा व्यवस्था का विकल्प शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा उसका कार्यान्वयन ही है जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अपेक्षित है।

प्रस्तुत अध्ययन में छात्रों में श्रम संबंधी आस्था का पता लगाने हेतु निम्नलिखित उपकरण प्रयुक्त हुए हैं :—

(क) कक्षा 6 से 12 तक का पाठ्यक्रम (ख) व्यक्तिगत विवरण।

शीर्षक (23) छात्रों में श्रम के प्रति आस्था एवं दायित्वबोध के विकास में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की भूमिका - एक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

एतदर्थ कक्षा से 12 तक के पाठ्यक्रम में शारीरिक श्रम से सम्बंधित पाठों, क्रियाकलापों का अध्ययन तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्रों में श्रम के प्रति आस्था के विकास के आँकलन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली से प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यकीय विधि का अध्ययन किया गया।

उद्देश्य :

(1) 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके उसमें विद्यमान पाठों में श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करने की क्षमता का अध्ययन करना।

(2) वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में छात्रों में श्रम के प्रति आस्था की अभिवृत्ति का पता लगाना।

(3) श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करने हेतु पाठ्यक्रम में परिमार्जन संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों से प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण एवं अध्ययन के फलस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष निरूपित किये गये हैं :—

(1) जिन छात्र/छात्राओं में श्रम के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है उसका कारण घरेलू, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक बन्धन है।

(2) जिन परिवारों में माता-पिता शारीरिक काम नहीं करते, उन परिवारों के छात्र-छात्राओं में श्रम के प्रति कोई आस्था नहीं है।

(3) निर्धन व पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राएँ भी श्रम से दूर भागते हैं। यदि उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन का मौका दिया जाय तो यह ऐसे कार्यों को पसन्द करेंगे जिनमें शारीरिक-श्रम की आवश्यकता नहीं है।

(4) श्रमिकों के प्रति समाज का हेय दृष्टिकोण है।

(5) बौद्धिक कार्य से संबंधित सेवाओं को लोग अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।

समस्या से संबंधित उक्त निष्कर्षों के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किये गये हैं :—

1– देश की प्रगति हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्था से ही बच्चों में श्रम के प्रति आस्था विकसित की जाय। यह कार्य तभी संभव हो सकता है, जब प्रत्येक परिवार में माता-पिता तथा अन्य अग्रज श्रमशील हों।

2– प्रारम्भिक अवस्था से ही दैनिक जीवन के कार्य कलापों को स्वयं करने की आदत बच्चों में डाली जाय, उन्हें हेय दृष्टि से न देखा जाय।

3– समाज के ऐसे लोग जो श्रम संबंधी कार्य करते हैं, उनके प्रति स्वस्थ मानसिकता विकसित की जाय। उन्हें हेय दृष्टि से न देखा जाय।

4– अभिभावकों की समय-समय पर विद्यालयोंष्ठियाँ आयोजित की जाय। उन्हें तथा छात्र/छात्राओं को श्रम की आस्था से अवगत कराया जाय।

5– विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की प्रतिभा का आँकलन मात्र उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर न की जाय, बल्कि विद्यालय में ऐसी योजनाएं बनाई जाय, जिसमें छात्र/छात्राओं को श्रम करने का अवसर मिल सके तथा उनके परीक्षाफल में श्रम को भी प्रोत्साहन दिया जाय। श्रम संबंधी क्रियाकलापों के लिए अंक प्रदान किये जायें।

शीर्षक (24) माध्यमिक स्तरीय अध्यापकों के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन

संक्षिप्त विवरण :

माध्यमिक स्तरीय अध्यापकों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु दो प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया गया। पहली प्रश्नावली छात्रों तथा अभिभावकों हेतु निर्मित की गई। इन प्रश्नावली के निर्माण का लक्ष्य छात्रों में व्यवहार परिवर्तन तथा उनमें शिक्षा में उत्पन्न उपयुक्त संस्कारों के निर्माण की जांच निश्चित करना है दूसरी प्रश्नावली शिक्षकों के स्वमूल्यांकन हेतु निर्मित की गई। इस प्रश्नावली का लक्ष्य अपने व्यवसाय में शिक्षकों की कुशलता समर्पण तथा उत्साह के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

उद्देश्य :

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गये :—

1– जनसंख्या ज्ञान तथा प्रत्याशी विस्फोट के संदर्भ में अध्यापकों की भूमिका का अध्ययन।

2– नवीन संदर्भों तथा बदली हुई परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका को प्रभावकारिता का अध्ययन।

3– शिक्षा के व्यापक सदर्भ में शिक्षक की कार्यनिष्ठा, व्यावसायिक गतिशीलता तथा समायोजन की प्रवृत्ति का अध्ययन।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

(1) शिक्षक अपने को मात्र वेतन भोगी कर्मचारी समझता है, उसमें संस्था तथा छात्रों के प्रति लगाव की भावना न्यून हो गई है।

(2) शिक्षक अपने पारिवारिक दायित्व के निर्वाह में इतना अधिक उलझ गया है कि उसे व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि का समय ही नहीं है।

(3) बढ़ी हुई मंहगाई के संदर्भ में वह अहर्निश अपने को अल्प आय वाला महसूस करता है और आवश्यक भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए कोचिंग ट्यूशन आदि का सहारा लेता है।

(4) यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शिक्षक द्वारा अपने दायित्व के निर्वाह के लिए उसे अधिक वेतन तथा सुविधायें उपलब्ध कराई जाएँ।

शीर्षक (25) माध्यमिक विद्यालयों की प्रचलित निरीक्षक व्यवस्था का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था के अध्ययन हेतु सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के 32 विद्यालयों का अध्ययन किया गया है।

शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार से क्या तात्पर्य है, उसकी व्याख्या भी इसमें की गई है। गुणात्मक सुधार से तात्पर्य शैक्षिक स्तर के उन्नयन से है, जबकि परिणात्मक सुधार को उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में वृद्धि माना गया है। अध्ययन के उपकरण में दो चयनित विद्यालयों की निरीक्षण आख्या तथा पांच पृच्छा-पत्रों का प्रयोग किया गया। पृच्छा पत्र इनको 32 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा चयनित अध्यापकों के पास प्रेषित किया गया। अन्य तीन पृच्छापत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षकों, शिक्षाविदों एवं प्रबन्धकों के पास प्रेषित किया गया। पृच्छा पत्र का मूल ध्येय यह जानना है कि वर्तमान निरीक्षण व्यवस्था के प्रति उनके क्या सुझाव है। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया गया तथा कुछ उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

उद्देश्य :

(1) निरीक्षण द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में होने वाले उन्नयन का अध्ययन करना।

(2) निरीक्षण द्वारा विद्यालय के अन्य कार्यों भौतिक स्तर, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाकलापों आदि में होने वाली प्रगति का मूल्यांकन करना।

(3) निरीक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

(1) नामिका निरीक्षण का समय तीन दिन पर्याप्त है।

(2) नामिका निरीक्षण के सदस्यों की संख्या पर्याप्त है।

(3) जिला विद्यालय निरीक्षक पर निरीक्षण का भार अत्यधिक है।

(4) निरीक्षक का पारिश्रमिक कम है।

(5) आदर्श पाठ पर्याप्त संख्या में नहीं दिये गये हैं।

(6) सुझावों का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है ।

(7) अध्यापकों को आख्यायें देखने को नहीं मिलती ।

(8) निरीक्षण अब औपचारिकता मात्र रह गया हैं ।

शीर्षक (26) उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर अपवंचित वर्ग के छात्रों की शिक्षा संबंधी सुविधाओं का सर्वेक्षण

संक्षिप्त विवरण :

उपर्युक्त सर्वेक्षण हेतु प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के ग्रामीण तथा नगरीय अंचलों का नमूने के रूप में चयन किया गया । एतदर्थ एक प्रश्नावली जिसमें अपवंचित वर्ग के छात्रों की शैक्षिक सुविधाओं से सम्बद्ध समस्याओं की जानकारी एवं निराकरण को केन्द्रित करते हुए निर्माण किया गया । इस प्रश्नावली का प्रयोग चयनित क्षेत्र के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच किया गया । सर्वेक्षण को और प्रामाणिक और प्रभावी बनाने की दृष्टि से कुछ अभिभावकों एवं छात्रों का साक्षात्कार भी किया गया और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण किया गया ।

उद्देश्य :

(1) अपवंचित वर्ग के छात्रों के जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त असमानता एवं सन्तुलन के कारणों की जानकारी करना ।

(2) अपवंचित वर्ग के छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना ।

(3) इस वर्ग के छात्रों की सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना ।

(4) इस बात का पता लगाना कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुबिधायें इन छात्रों को कितनी उपलब्ध हैं तथा वे इन सुविधाओं का कितना लाभ उठा रहे हैं ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की असुविधायें अपवंचन का प्रमुख कारण हैं ।
2. सामाजिक विचारधाराओं की संकीर्णता, रुढ़िग्रस्तता, परम्परावादिता और आर्थिक विपन्नता के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग न हो पाना ।
3. अधिकारियों एवं सन्बन्धित क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों का इस कार्य के प्रति उदासीनता ।

शीर्षक (27) विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान में पाठ्यपुस्तक की समीक्षा (एक अग्रगामी योजना)

संक्षिप्त विवरण :

उत्तर प्रदेश में सन् 1982 में पाठ्यक्रम निर्धारकों ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के माध्यम से यह अपेक्षा की है कि छात्र मानव सभ्यता के क्रमिक विकास से परिचित हो, उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का मानव

जीवन पर प्रभाव स्पष्ट हो अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारतीय समाज की जानकारी के साथ-साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष्यता, भावात्मक एकता, दायित्व बोध, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना जैसे मूल्यों के प्रति उनमें जागरूकता तथा निष्ठा उत्पन्न हो। इनके अतिरिक्त उनमें नागरिकता के गुणों का विकास, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान की क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्यों के परीक्षण की चेतना, पारस्परिक सहयोग, सद्भाव और भ्रातृत्व भावना के संस्कारों का उदय होना भी अपेक्षित है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का उद्देश्य उपरोक्त सामाजिक गुणों से छात्रों को ओतप्रोत करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालयी स्तर पर सामाजिक विज्ञान की राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक भाग 1 की समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः इस शोध परियोजना में इसी पुस्तक की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के उद्देश्य अग्रलिखित है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किये गये हैं।

उद्देश्य :

(1) प्रस्तुत पुस्तक उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति में किस सीमा तक सहायक है।

(2) विषयवस्तु तथा प्रस्तुतीकरण के स्वरूप की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

(3) पुस्तक में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

समीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सामाजिक विज्ञान भाग एक पुस्तक शीघ्रता में लिखी गई है। अतः त्रुटियाँ पाई गई हैं। पुस्तक का संक्षिप्तीकरण, सरलीकरण तथा पुर्नवीकरण अपेक्षित है। इन पुस्तक की समीक्षा हेतु लेखक मंडल, परामर्शदाता, हाईस्कूल स्तर पर यह विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों, विशिष्ट संस्थान के विषय विशेषज्ञो डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को आमंत्रित करके पुनः समीक्षा कराई जाय ताकि पुस्तक के पुनःलेखन की संभावनाएँ बढ़ सके।

शीर्षक (28) एल० टी० सामान्य के प्रचलित पाठ्यक्रय के अनुसार क्षेत्रवार संदर्शिकाओं की रचना

संक्षिप्त विवरण :

एल० टी० सामान्य के प्रचलित पाठ्यक्रम को प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रथम क्षेत्र में सैद्धान्तिक ज्ञान तथा द्वितीय क्षेत्र में विषयवस्तु शिक्षण विधियाँ तथा कक्षा शिक्षण अभ्यास रखा गया। प्रत्येक क्षत्र के दुरूह बिन्दुओं का पता लगाकर उन पर शिक्षण संकेतों का निर्माण किया गया।

उद्देश्य :

(1) पाठ्यचर्चा का विश्लेषण करना :

(2) क्षेत्रवार दुरूह बिन्दुओं की पहचान करना।

(3) दुरुह बिन्दुओं पर शिक्षण संकेतों का निर्माण करना ।

(4) शिक्षण व्यवसाय को अधिक उपादेय बनाने हेतु शिक्षक संदर्शिका की प्रभावकारिता का सत्यापन करना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

शिक्षण कार्य को सुगम बनाने हेतु शिक्षक संदर्शिका अत्यन्त उपयोगी है ।

शीर्षक (29) सामाजिक विज्ञान एवं हिन्दी भाषा में निदान सूचक परीक्षणों का निर्माण

संक्षिप्त विवरण :

सामान्यत: यह देखा जाता है कि परीक्षाओं में अथवा कक्षा में छात्रों का मूल्यांकन करने पर कुछ आच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते है परन्तु कुछ छात्र अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह जानना आवश्यक हैं कि छात्रों की विषयगत दुर्बलता किस क्षेत्र में है । दुर्बलता का क्या कारण है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक विज्ञान तथा हिन्दी में निदान सूचक परीक्षण का निर्माण किया गया ।

इस कार्य के लिए कतिपय चयनित विद्यालय के कक्षा 9 के छात्रों के लिए एक उपलब्धि परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया और इसका प्रयोग चयनित छात्रों पर किया गया । इस विश्लेषण के आधार पर उन छात्रों का चयन किया गया, जिनको लब्धांक निर्धारित सीमा से कम थे एवं उन प्रकरणों को भी लिया गया जिनमें छात्रों के लब्धांक न्यून थे ।

उद्देश्य :

1. छात्रों के हिन्दी तथा सामाजिक विज्ञान में दुर्बलता के कारणों का पता लगाना ।
2. दुरुह प्रकरण तथा त्रुटि क्षेत्र का पता लगाना ।
3. उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से छात्र में विषयगत दुर्बलता उत्पन्न हुई है ।
4. छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाना तथा उनके निवारण के उपाय खोजना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ

1. भाषा में सन्धि, व्याकरण, वर्तनी तथा उच्चारण का दोष प्रमुख रूप से छात्रों में पाया गया ।
2. सामाजिक विज्ञान में विषय की अवधारणा घटक चक्र तथा समय ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में छात्र असफल रहे ।
3. विज्ञान वर्ग के छात्रों की इस विषय में रुचि नहीं है तथा वे इन विषयों का बोझ स्वरूप निर्वाह कर रहे हैं । इस कारण भी उनकी उपलब्धि इस विषय मे कम है ।

शीर्षक (30) परम्परागत एवं सपुस्तक परीक्षा का निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष में तुलनात्मक अध्ययन (क) उपलब्धि (ख) कार्यान्वयन (ग) अनुचित साधनों का प्रयोग (घ) व्यय (ङ) प्रश्नपत्र संख्या ।

संक्षिप्त विवरण :—

शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के क्षेत्र में परम्परागत परीक्षा प्रणाली की कठिनाइयों, समस्याओं एवं असफलताओं के कारण निदान स्वरूप सपुस्तक परीक्षा प्रणाली उभर कर सामने आई है और राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न चरणों में इसे लागू भी किया जा रहा है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सतत प्रयत्नशील रहा है । वर्ष 1960, 1967 एवं 1976 में कतिपय परम्परागत प्रश्नपत्रों को समाप्त करके उनके स्थान पर नये प्रकार के प्रश्नपत्र प्रोफेसर ब्लूम की नवीनतम टेक्सोनामी पर आधारित एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार युगानुरूप पर्याप्त परिवर्तन किये गये । तब से निरन्तर इस दिशा में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन का क्रम जारी है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इधर कई वर्षों से सपुस्तक परीक्षा के सम्बन्ध में चिन्तन मनन चल रहा है । परन्तु अभी तक कोई साहसिक कदम नहीं उठाया गया है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम—एक प्रारूप 1986 में सपुस्तक परीक्षा प्रणाली को प्रयोग में लाने के लिए सबल संस्तुति की गयी है । यह अध्ययन शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की प्रेरणा से संस्थान द्वारा प्रस्तुत विषय अध्ययनार्थ चुना गया है जिनमें परम्परागत एवं सपुस्तक, परीक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, उपलब्धि, कार्यान्वयन, अनुचित साधनों का प्रयोग व्यय तथा प्रश्नपत्र के स्वरूप पर विचार किया जाना है ।

उद्देश्य :—

(अ) परीक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में सपुस्तक परीक्षा की उपादेयता का अध्ययन ।

(ब) सपुस्तक परीक्षा के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन तथा सुझाव एकत्र करना ।

(स) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करना ।

(द) परम्परागत एवं सपुस्तक परीक्षा प्रणाणी के अन्तर्गत होने वाले व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

(य) प्रश्नपत्रों के स्वरूप का अध्ययन कर उसके सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :—

(क) छात्रों में रटने की प्रवृति (ख) परीक्षा भय का ह्रास (ग) स्वाध्याय की प्रवृति का विकास (घ) अनुचित साधनों के प्रयोग में निरन्तर कमी आ सकेगी । (ङ) परम्परागत एवं सपुस्तक परीक्षा प्रणाली दोनों के व्यय में कोई अन्तर नहीं आ सकेगा ।

शीर्षक (31) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाईयों/समस्याओं का अध्ययन ।

संक्षिप्त विवरण :—

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें पढ़ने वाले छात्रों की सख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। छात्रों की संख्या तथा माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की मात्रा, का अनुपात वर्तमान समम में असंतुलित हो गया हैं जिसके कारण माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनेकानेक कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है । अत: यह आवश्यक समझा गया कि प्रधानाचार्यो के कार्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का अध्ययन करके उनके निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायें। इस शोध अध्ययन के लिये तीन प्रकार की प्रश्नावलियाँ तैयार की गई जिनके द्वारा प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचर्यो प्रबन्धकों एवं शिक्षाविदों के विचारों का संकलन किया गया। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से प्रदेश के कुछ ही विद्यालयों के प्रधानाचार्यों प्रबन्धकों एवं शिक्षा विदों के विचार प्राप्त हुये।

शिक्षाविदों के विचार से आज की शिक्षा उद्देश्य हीन है। शिक्षा पर शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय का केवल 5% भाग ही वास्तव में शिक्षा पर व्यय होता है, शेष 95% भाग का दुरुपयोग ही होता है। प्रधानाचार्यों के सम्मुख विद्यालय की छात्र संख्या के अनुसार भौतिक संसाधनों को जुटाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है राजनैतिक क्षेत्र के व्यक्तियों का शिक्षा सस्थाओं में प्रवेश भी इन समस्याओं का एक कारण है। विद्यालयों में नौकरशाही एव भ्रष्टाचार को प्रबलता है। प्रबन्धकों के स्वार्थपरक हस्तक्षेप एवं अधिकारियों के नकारात्मक रवैये से प्रधानाचार्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाते जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

उद्देश्य :

(1) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का पता लगाना।

(2) शैक्षिक वातावरण को उपलब्धिपरक बनाने के लिये उन कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान हेतु सशक्त एवं व्यावहारिक सुझावों की संस्तुति करना।

(3) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कठिनाइयों एवं समस्याओं से शासन को अवगत कराना।

(5) प्रधानाचार्यों की कठिनाइयों एव समस्याओं को दूर करने हेतु प्राप्त विचारों से शासन को अवगत कराना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में शिक्षाविदों

प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों द्वारा जो विचार प्राप्त हुये हैं उनका विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये —

(क) प्रधानाचार्यों की प्रशासन सबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण प्रधानाचार्य एवं अध्यापक के आपसी मतभेद हैं।

(ख) प्रबन्धकों एवं शिक्षाधिकारियों की अनावश्यक दखलंदाजी के कारण प्रशासन की समस्या उत्पन्न होती है।

(ग) विद्यार्थियों का प्रवेश प्रधानाचार्यों की प्रमुख समस्या है। दबाव के कारण प्रधानाचार्यों को निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों का प्रवेश करना पड़ता हैं जिससे भौतिक संसाधन कम पड़ जाते हैं और प्रधानाचार्यों के सामने अनुशासन की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(घ) प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में कठिनाइयों एवं समस्याओं के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण कक्षा में छात्रों की वृद्धि के अनुसार धनराशि का स्वीकृत न किया जाना भी है।

(च) प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में उत्पन्न कठिनाइयों एवं समस्याओं को दूर करने के लिये शिक्षकों प्रबन्धकों एवं शिक्षाधिकारियों का पूर्ण एवं प्रभावी सहयोग अत्यावश्यक है तथा विद्यालय के लिये आबंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग छात्रों को शिक्षा एवं विद्यालय के विकास पर किया जाना अत्यावश्यक है।

शीर्षक (32) माध्यमिक विद्यालयों में लिखित/गृह कार्य के सम्पादन एवं मूल्यांकन संबंधी स्थिति का सर्वेक्षण

संक्षिप्त विवरण :

शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बालक ही माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसके सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ही सर्वोपरि है। एतदर्थ, शिक्षण विद्या में मौखिक और लिखित कार्य में सह-संबंध तथा संतुलन की स्वाभाविक अपेक्षा होती है। ऐसा न होने पर बालक का स्वाभाविक विकास निश्चय ही बाधित हो जाता है।

लिखित कार्य से बालक में गुणात्मक सुधार होता है। कक्षा में मौखिक रूप में सम्पादित विषयवस्तु लिखित/गृह कार्य से अधिक स्पष्ट तथा सुपुष्ट हो जाती है। छात्र/छात्राओं में विषय के प्रति रुचि और विश्वास का भाव सृजित होता है।

स्वातंत्र्योपरान्त माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में छात्रों की संख्यात्मक वृद्धि की वरीयता पर अवश्य ध्यान दिया गया किन्तु छात्रों का गुणात्मक पक्ष उपेक्षित होने लगा। कक्षा में छात्रों का अनपेक्षित आधिक्य, अध्यापकों की लिखित और गृह कार्य के प्रति उदासीनता तथा छात्रों की अरुचि आदि बाधक तत्वों के कारण छात्रों के सर्वांगीण विकास में अवरोध की स्थिति आ गयी। इस प्रकार शिक्षा की विविध समस्याओं के साथ ही लिखित कार्य की समस्या का अध्याय भी जुड़ गया।

शिक्षा जगत की अनेकानेक समस्याओं के मौखिक समाधान के लिए माध्यमिक विद्यालयों में लिखित/गृह कार्य का सम्पादन तथा मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण एवं सापेक्ष बिन्दु है। अस्तु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इसके महत्वपूर्ण अंग लिखित/गृह कार्यों के सम्पादन एवं मूल्यांकन की स्थिति तथा इसके कार्यान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण उपायों का अध्ययन किया जाए और आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये जायें।

उद्देश्य :

(1) माध्यमिक विद्यालयों में लिखित एवं गृह कार्य की स्थिति का अध्ययन करना।

(2) लिखित/गृहकार्य के मूल्यांकन की स्थिति एवं तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

(3) वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखित कार्यों एवं गृहकार्यों के सम्पादन तथा अध्यापक-छात्रों को इसके लिए अभिप्रेरित करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

(क) माध्यमिक विद्यालयों में लिखित/गृह कार्य का मूलांयकन एक अपरिहार्य अपेक्षा है।

(ख) इसके सुधार के लिए प्रशासन, प्रधानाचार्य, अध्यापक तथा छात्र/छात्राओं का सम्मिलित प्रयास होना चाहिए।

शीर्षक (33) माध्यमिक विद्यालयों के संसाधनों एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं के मानकों का अध्ययन एवं स्थिरीकरण।

संक्षिप्त विवरण :

अप्रत्यासित जनसंख्या वृद्धि एवं बदलते भौतिक परिवेश में माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों और छात्र संख्या के अनुपात के पूर्व स्थिर मानदण्ड टूट गये हैं। शिक्षण दिवसों में समानता नहीं रह गयी है। अध्यापकों के कार्य के घंटों में सन्तुलन नहीं रहता है तथा इससे शिक्षा जगत के सारे पूर्ववर्ती मानक प्रभावहीन होते दिखाई दे रहे है।

चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1978) के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात में अत्यधिक भिन्नता पायी गयी है। यह अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1.41 माध्यमिक स्तर पर 1.25 और हा0 से0 स्तर पर 1.18 का रहा। सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात होता है कि देश में 35% प्राथमिक विद्यालय एकाकी अध्यापक वाले हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यालय संसाधन विहीन हैं। कही खेल के मैदान नहीं, तो कहीं भवन हैं तो पुस्तकालय नहीं। कहीं अध्यापक नहीं है तो कहीं शिक्षण सामग्री की कमी है। इसके अतिरिक्त उनके लिए 220 दिन सत्र में विद्यालय चलाना अनिवार्य है किन्तु वे निर्धारित दिवसों के अनुसार सत्र नहीं चला सकते जिससे शिक्षण प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं।

इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के आयोजकों की उच्च स्तरीय कई बैठकें आयोजित की गयी। कार्यकारी दल की बैठक में निर्णय लिया गया मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में माध्यमिक विद्यालयों के संसाधनों एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं के मानकों का अध्ययन व्यापक रूप में कराया जाय। उस अध्ययन के माध्यम से पूर्ववर्ती मानकों में संशोधन एवं स्थिरीकरण हेतु आवश्यक सुझाव एकत्र किये गये।

उद्देश्य :

(1) माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के परिप्रेक्ष्य में भौतिक एवं मानवीय संसाधन की स्थिति का अध्ययन करना।

(2) शिक्षण प्रक्रिया के उपादानों/संसाधनों का छात्र संख्या के अनुसार उपलब्ध एवं आवश्यकता का आंकलन करना तथा उसके मानकों के स्थिरीकरण हेतु सुझाव एकत्र करना।

(3) अध्यापकों के कार्यभार की स्थिति ज्ञात करना तथा उनके स्थिरीकरण के संबंध में सुझाव एकत्र करना।

(4) सत्र के कार्य का सर्वेक्षण तथा उनके स्थिरीकरण संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना।

(5) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति छात्रों की अभिरुचि के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का सर्वेक्षण करना तथा इन्हें अभिप्रेरित करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

(6) माध्यमिक विद्यालयों की वर्तमान अनुशासन व्यवस्था का सर्वेक्षण करना तथा अनुशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव एकत्र करना।

(7) माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षाफल का अध्ययत करना तथा उसमें सुधार हेतु सुझाव एकत्र करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस अध्ययन द्वारा शिक्षा विभाग को विद्यालय की आवश्यकता भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को निर्धारित करने में सहायता मिल सकेगी। साथ ही अध्यापक छात्र अनुपात विद्यालय के सत्र में शुद्ध शिक्षण दिवसों की संख्या एवं अध्यापक द्वारा पढ़ावें जाने वाले वादनों के मानकों के स्थिरीकरण में यह विशेष योगदान प्रदान कर सकेगा।

शीर्षक (34) नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एल० टी० पाठ्यक्रम एवं प्रवेश नियमों के पुनरीक्षित प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। ऐसी संकल्पना की गई हैं कि शिक्षण कार्य से सम्बद्ध व्यक्ति ऐसे अध्यापकों को तैयार करें जो शैक्षिक चेतना और राष्ट्रीय भावना के प्रति सजग हों तथा विश्वबन्धुत्व, राष्ट्रीय एकता और देश की अखण्डता के लिए प्रतिबद्ध हों।

राष्ट्रीय धारा के अनुकूल अध्यापक प्रशिक्षण का एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिये जिससे देश में समस्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का समान स्तर बना रहे। प्रशिक्षित अध्यापक राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्थावान हों तथा युवापीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में सक्षम हों।

एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये सन् 1976 से चली आ रही चयन पद्धति शैक्षिक योग्यताओं पर आधारित है। प्रवेश की यह पद्धति दोषपूर्ण है क्योंकि इस पद्धति में उन गुणों के मूल्यांकन का अभाव जो शिक्षक में होने अत्यावश्यक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शिक्षा की चुनौती संबंधी कथन के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण के लिये एल0 टी0 यह विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की रुचि एवं उपलब्धि परीक्षा होनी चाहिये। तथा साक्षात्कार में विज्ञान के छात्रों तथा खिलाड़ियों को वरीयता दी जानी चाहिये।

उद्देश्य :

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत समाविष्ट पाठ्यक्रम (माध्यमिक) के संदर्भ में प्रचलित एल0 टी0 पाठ्यक्रम की समीक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में उक्त समीक्षा के आधार पर एल0 टी0 पाठ्यक्रम का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

(3) वर्तमान एल0 टी0 प्रवेश के नियमो की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में समीक्षा करना॥

(4) समीक्षा के आधार पर एल0 टी0 नियमों के लिये पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस शोध परियोजना के लिये तीन प्रकार के अलग-अलग पृच्छा प्रपत्र तैयार किये गये और उसके द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों वरिष्ठ अध्यापकों एवं विषय अध्यापकों के विचार संग्रहीता किये गये। प्राप्त विचारों का विश्लेषण करके एल0 टी0 पाठयक्रम का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। एल0 टी0 प्रवेश के नियमों में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों के आधार पर एल0 टी0 में प्रवेश पद्धति अपनायी जायगी तथा नियमों की उपयुक्तता की समय समय पर समीक्षा की जायेगी।

शीर्षक (35) राज्य में गृह परीक्षा में निवेशित सपुस्तक परीक्षा के प्राप्त अनुभवों का संकलन एवं समीक्षा

संक्षिप्त विवरण :

सपुस्तक परीक्षा का आशय यह है कि परीक्षाओं में छात्रों को प्रश्न पत्र के वांछित तत्वों को एकत्र करने हेतु निर्धारित समय के अन्दर परीक्षा भवन में पुस्तक की प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाय।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हाई स्कूल में वर्ष 1976 से एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार नये प्रकार के प्रश्न पत्रों का प्रारूप लागू किया गया। किन्तु, इससे वांछित परिणाम नहीं मिल सके। छात्र इन उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन करने वाले प्रश्नपत्रों को हल

करने में अपने को असमर्थ पाते हैं । अतः निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर बाजार में मिलने वाली गाइड एवं संक्षिप्त नोट आदि पढ़कर परीक्षा देते हैं । अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होने की लालसा से परीक्षा भवन में अनुचित साधन का भी प्रयोग करने का प्रयास करते हैं ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित सुझाव को प्रयोग के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने कक्षा 9 की गृह परीक्षाओं में सपुस्तक परीक्षा प्रणाली का समावेश किया है और अनुकूल परिणाम मिलने पर आगामी वर्षो में सार्वजनिक परीक्षाओं में लागू करने का विचार है ।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह प्रणाली किस सीमा तक आज के परिवेश उपयुक्त हो सकती है । इसका पता लगाया जाय । अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों एवं संस्था के प्रधानाचार्यों के विचारों एवं सुझावों का संकलन करके इस परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय ।

उद्देश्य :

(1) सपुस्तक परीक्षा से प्राप्त विभिन्न अनुभवों की जानकारी करना ।

(2) सपुस्तक परीक्षा प्रणाली के अनुभवों एवं सुझाओं का संकलन ।

(3) प्राप्त अनुभवों एवं सुझावों के आधार पर सपुस्तक परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की दिशा में चिन्तन ।

(4) छात्रों में पाठ्य पुस्तकों का गहन अध्ययन करने की अभिरुचि उत्पन्न करना ।

परिणाम/उपलब्धियां :

इस शोध परियोजना के अतर्गत प्रधानाचार्यों के विचारों का अध्ययन करने हेतु एक प्रश्न पत्रक तैयार किया गया और ग्रामीण तथा नगरीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विचार ज्ञात करने के प्रयास किये गये । विभिन्न विद्यालयो के प्रधानाचार्यों द्वारा प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि पुस्तक परीक्षा प्रणाली छात्रों को अधिक पढ़ने की ओर प्रेरित करती है । परीक्षा भवन में पुस्तक रखने की अनुमति प्राप्त होने से छात्रों में आत्म विश्वास की वृद्धि होती हैं। परीक्षा संचालन में उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक एवं अनुशासन-हीनता की समस्यायें दूर होती हैं । छात्र परीक्षा भय जैसे संवेग से मुक्त होते हैं । इससे उनकी प्रश्नोत्तर दक्षता में वृद्धि होती है अध्यापकों के विचार से इस परीक्षा प्रणाली द्वारा छात्रों में क्रियाशीलता बढ़ेगी । ह्रास एवं अवरोध में कमी आयेगी तथा छात्रों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी । उपर्युक्त विचारों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सपुस्तक परीक्षा प्रणाली को लागू किया जा सकता है ।

शीर्षक (36) सामाजिक विज्ञान में (हाई स्कूल कक्षाओं के लिए) निदान सूचक परीक्षणों की रचना

संक्षिप्त विवरण :

उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गयी हैं। यह एक नये अनुशासन के रूप में उभर रहा है। इस नवीन अनुशासन के अन्तर्गत इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल. अर्थशास्त्र, एवं समाज शास्त्र के सामाजिक तथ्यों एवं संरचना से संबंधित तथ्यों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्राय: यह देखा गया है कि इस नवीन विषय को समझने में छात्र कठिनाई का अनुभव करते हैं। अत: विभिन्न प्रकरणों में कठिन स्थलों की सम्यक जानकारी करके त्रुटि क्षेत्र का पता लगाना आवश्यक है।

इस परिपेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान में निहित नवीन सम्बोधों, धारणाओं तथ्यों की सही जानकारी छात्रों को हो रही है अथवा नहीं इसे ज्ञात करने के लिए निदान सूचक परीक्षणों की आवश्यकता है जिससे छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों, त्रुटि क्षेत्रों एवं कठिन स्थलों का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास किया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हाई स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान भाग एक में कक्षा 10 के छात्रों हेतु निदान सूचक परीक्षण विषयक परियोजना का चयन वर्ष 1986-87 में किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत निदान सूचक परीक्षण का अर्थ, उसकी व्याख्या एवं विशेषताओं के विषय में विस्तार से स्पष्ट किया गया तथा परीक्षण हेतु राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद की कक्षा 9 के लगभग 50 छात्रों का चयन एक आदर्श के रूप में किया गया। छात्रों के परीक्षण हेतु (1) प्रागैतिहासिक (2) नदी घाटी की सभ्यताएं (3) प्राचीन संसार की सभ्यताएं (4) विश्व के प्रमुख धर्म (5) मध्य कालीन संसार और (6) योरप में पुनर्जागरण, प्रकरण निर्धारित किये गये।

उद्देश्य :

(1) उपर्युक्त प्रकरणों से प्राप्त त्रुटि क्षेत्रों की कठिनाई स्थल की जानकारी प्राप्त करना।

(2) निदान सूचक परीक्षण के फलस्रूप छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई के निवारण एवं विषयवस्तु को बोधगम्य बनाने हेतु उपचारी शिक्षण विन्दुओं पर सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस परियोजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है, जिससे सामाजिक विज्ञान के सम्बन्धों में अध्यापक एवं छात्र पुर्ण रूप से अवगत हो सके। सम्बन्धित छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण करने के बाद शिक्षक का दायित्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे छात्रों के प्रति निरन्तर सजग एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए छात्रों से समय-समय पर साक्षात्कार करके यह जानना उचित होगा कि कहीं उनकी प्रगति में अवरोध तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। उपचारी शिक्षक का यह दायित्व होगा कि वह पाक्षिक अथवा मासिक परीक्षणों द्वारा बालकों को सजग करता रहे तथा उन्हें प्रेरणा भी प्रदान करता रहे।

शीर्षक (37) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के संदर्भ में प्रदेश के वर्तमान दसवर्षीय पाठ्यक्रम की समीक्षा ।

संक्षिप्त विवरण :

शिक्षा मानव के आचार व्यवहार में परिवर्तन करके उसे राष्ट्र का एक जागरूक नागरिक बनाती है। सामाजिक आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित होगा तो समाज में असंतोष एवं क्षोभ उत्पन्न होगा। शिक्षित नागरिक हताश एवं कुण्ठा के वशीभूत होकर ध्वंसात्मक कार्यों की ओर उन्मुख होगा। इसलिये शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

शिक्षा में परिवर्तन के लिये आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाय। इस उद्देश्य से नई शिक्षा नीति के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पाठ्यक्रम निर्मित किया गया। नवीन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें इस बात की संकल्पना की गई है कि आगामी वर्षों में आने वाली युवा पीढ़ी राष्ट्रीय एकता विज्ञान व तकनीकी विकास के संदर्भ में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकतानुसार दसवर्षीय पाठ्यक्रम में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करके राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार समाज का निर्माण किया जाय।

उद्देश्य :

(1) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में प्रदेशीय दसवर्षीय पाठ्यक्रम की समीक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के आलोक में प्रदेशीय दस वर्षीय पाठ्यक्रम पर विचार करना।

(3) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रदेशीय पाठ्यक्रम में संशोधन के लिये सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

उपर्युक्त शोध परियोजना के लिये प्रदेश की कक्षा 9 एव 10 के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया गया। वर्तमान पाठ्य की संशोधन के लिये प्रदेश के 50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं कुछ शिक्षाविदों के विचार आहूत किये गये। प्रधानाचार्यों, वरिष्ठ अध्यापकों एवं शिक्षाविदों के विचार प्राप्त करने के लिये प्रश्नावलियाँ तैयार करके भेजी गयी। उनके विचार प्राप्त होने पर बिश्लेषण प्रस्तुत किये जायेंगे।

विश्लेषण में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर प्रदेश के दसवर्षीय पाठ्यक्रम में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये।

शीर्षक (38) राज्य की गृह परीक्षा में निवेशित सपुस्तक परीक्षा के प्राप्त अनुभवों का संकलन एवं समीक्षा ।

संक्षिप्त विवरण :

सपुस्तक परीक्षा का आशय परीक्षाफल में छात्रों को प्रश्न पत्र वाँछित उत्तरों के संकलन हेतु पुस्तकों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना है ।

इस परीक्षा प्रणाली को प्रस्तावित करने में कई कारक महत्वपूर्ण हैं । परम्परागत प्रणाली के दोष, छात्रों को ह्रास एवं अवरोध से बचाना, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व, प्रश्नपत्र में निहित प्रश्नों के प्रकार, आकार, उद्देश्यनिष्ठता, कि ष्टता स्तर तथा बहु आयामी चिन्तन प्रक्रिया आदि को ध्यान में रखते हुए इसकी आवश्यकता की अनुभूति की गई । फलस्वरूप एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली ने इस विषय पर कुछ कार्य किया जिसके परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने कक्षा 9 की गृह परीक्षा में सपुस्तक परीक्षा प्रणाली का समावेश किया है ।

उद्देश्य :

(1) गत वर्षों में कक्षा 9 सम्पन्न सपुस्तक परीक्षा से प्राप्त विभिन्न अनुभवों की जानकारी करना ।

(2) इससे प्राप्त अनुभवों एवं सुझाओं को संकलित करना ।

(3) अनुभवों एवं सुझावों क विश्लेषण एवं समीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस परीक्षा प्रणाली से संबंधित प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के पृच्छा पत्रों में निहित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया जिसमें निष्कर्ष निकलता है कि सपुस्तक परीक्षा प्रणाली द्वारा छात्रों के ज्ञान एवं व्यवहार का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

अधिकांश का मत है कि इस परीक्षा प्रणाली से छात्र, अध्ययन के प्रति लापरवाह तथा अध्यापन के प्रति उदासीन हो सकता है । छात्र में आत्म विश्वास की कमी, स्मरण क्षमता का ह्रास तथा स्व-अभिव्यक्ति की क्षमता में अवरोध उत्पन्न हो सकता है । इससे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

शीर्षक (39) सामाजिक विज्ञान भाग 1 हाईस्कूल स्तर पर कक्षा 10 के छात्रों हेतु निदान सूचक परीक्षणों की रचना ।

संक्षिप्त विवरण :

हाईस्कूल स्तर पर निर्धारित पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान भाग–1 में प्रायः यह देखा गया है कि इस नवीन अनुशासन की विषयवस्तु से संबंधित कतिपय मूल तथ्य ऐसे हैं जिन्हें समझने में अधिकांश छात्र कठिनाई का अनुभव करते हैं । अतः ऐसे कठिन स्थलों का पता लगाने हेतु विभिन्न प्रकरणों को लेकर छात्रों के त्रुटि क्षेत्र का पता लगाना आवश्यक है ताकि उनकी कठिनाइयों का निवारण संभव हो सके । त्रुटि क्षेत्र

अथवा कठिनाई स्थल की जानकारी करने के लिए निदान सूचक परीक्षणों की विशेष आवश्यकता होती है। इस परीक्षण से यह भी ज्ञात हो सकेगा कि सामाजिक विज्ञान में निहित विभिन्न सम्बोधों, धारणाओं, तथ्यों एवं प्रकरणों में दी गई विषयवस्तु और घटनाओं की सही जानकारी छात्रों को हो रही है अथवा नही।

उद्देश्य :

(1) गत वर्ष 86-87 की शोध परियोजनाओं से प्राप्त निष्कर्षों पर एक समालोचनात्मक दृष्टिपात करना।

(2) गत वर्ष के प्राप्त निष्कर्षों को सत्यापति करना

(3) चयनित प्रकरणों में संबंधित त्रुटि क्षेत्रों का पता लगाना।

(4) त्रुटि क्षेत्रों के अंतर्गत छात्र की कठिनाई स्थल की जानकारी करना।

(5) काठिन्य निवारण संबंधी उपचारी उपक्रम प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलधियाँ

उपरोक्त अन्वेषणात्मक परीक्षण के विश्लेषण के आधार पर सामाजिक विज्ञान भाग—1 में दो प्रमुख प्रकरण "संसार की महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रान्तियाँ" तथा "भारत की सांस्कृतिक विरासत" में छात्रों की उपलब्ध सब से कम रही। किन्तु उपरोक्त प्रथम प्रकरण में 33% से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या सब से अधिक 39 रही। अतः निदान सूचक परीक्षण के लिए "संसार की महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांतियों" का चयन किया गया। इस प्रकरणको कई उप विषयों में विभाजित करके उन पर निदान सूचक प्रश्न बनाकर उसका परीक्षण किया गया जिससे इस सम्पूर्ण प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दु त्रुटिस्थल के रूप में उद्धृत हुए (क) क्रांतियाँ क्यों और कैसे (ख) इंगलैंड की क्रांति (ग) अमेरिका की क्रांति (घ) फ्रांस की क्रांति (ङ) रूस की क्रांति।

उपर्युक्त विषय बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए इस परियोजना में उपचारी शिक्षण सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

शीर्षक (40) हाईस्कूल स्तर पर यौन पूर्वाग्रह निराकरण शिक्षा का अनिवार्य आयाम के संदर्भ में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का अनुशीलनात्मक अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

यौन पूर्वाग्रह से व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाता है। स्त्री-पुरुषों और बालक बालिकाओं में अनेक तरह की हीन भावनायें और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विचारों और हीन भावनाओं से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास बाधित होता है। नई शिक्षा नीति में भी ऐसी आकांक्षा व्यक्त की गई है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री यौन पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में यौन पूर्वाग्रह निराकरण संदर्भों का अनुशीलनात्मक अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :

(1) यह ज्ञात करना कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री में यौन पूर्वाग्रह से संबंधित प्रकरण तो नहीं है ।

(2) ऐसा तो नहीं है कि पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण निहित हैं जो मानसिक एवं वैचारिक हीनता की भावना पैदा करती है ।

(3) पाठ्यक्रम से ऐसे प्रकरणों को हटाना जो यौन पूर्वाग्रह से सम्बद्ध हों ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस अध्ययन एवं अनुशीलन से हाई स्कूल स्तर पर यौन पूर्वाग्रह मुक्त पाठ् सामग्री एवं पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता मिलेगी ताकि परस्पर सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बना रहे और लिंगाधारित भेदभाव दूर हो सकें।

शीर्षक (41) माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के शिक्षण एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्यकलापों की स्थिति का सर्वेक्षण

संक्षिप्त विवरण :

नैतिक शिक्षा का अर्थ है नीति अर्थात सदाचार की शिक्षा छात्रों को सदाचारी, संयमी, दयालु, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सहिष्णु एवं स्वावलम्बी बनाने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा कहलाती है । आज देश में नैतिक संकट उत्पन्न है जिससे अराजकता संत्रास एवं संघर्ष का वातावरण है । नैतिक मूल्यों का ह्रास राष्ट्र उत्थान के संबंध में चिन्ता का विषय बन गया है । प्रदेश में 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा को विषय के रूप में रखा गया है । इस तरह यह कदम जो नैतिक उत्थान के लिए उठाये गये हैं वे किस सीमा तक ठीक है । यदि नहीं तो क्या त्रुटियां है आदि इसका निराकरण किस प्रकार किया जाए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए यह सर्वेक्षण कार्यक्रम अपनाया गया है ।

उद्देश्य :

(1) माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा कार्यकलापों का सर्वेक्षण ।

(2) उक्त स्तर पर पठन-पाठन के कारकों का पता लगाना ।

(3) नैतिक शिक्षा के प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षक हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

परिणाम :

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के सफल अध्ययन एवं अध्यापन हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाय । छात्रों के आचार-विचार एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाय । केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करना उचित नहीं है । नैतिक शिक्षा को पूर्ण विषय के रूप में पाठ्यक्रम में समायोजित किया जाय जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके ।

शीर्षक (42) माध्यमिक कक्षाओं के समाजोपयोगी उत्पादक कार्यकलापों का सर्वेक्षण

संक्षिप्त विवरण :

सामान्यतः जनाकक्षाओं को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम ही उपयोगी माना जाता है। गांधी जी ने इसी भावना से प्रेरित होकर भारतीय समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समाजोपयोगी उत्पादक कार्यो के माध्यम से शिक्षा देने का विकल्प प्रस्तुत किया था। इसलिये नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवसायपरक तथा जीवनोपयोगी बनाने के लिए समाजोपयोगी उत्पादक कार्यो की शिक्षा को अन्य शिक्षण कार्यो के साथ जोड़ा गया है। इस दृष्टि से छात्र जहां विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जीवनोपयोगी उत्पादक कार्यों की शिक्षा भी उन्हें दी जा रही हैं अथवा नहीं। यह सर्वेक्षण इस शोध का मूल विषय है।

उद्देश्य :

(1) माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्यो का पता लगाना।

(2) यह जानकारी प्राप्त करना कि विषय ज्ञान के साथ छात्र उत्पादक कार्यो की शिक्षा प्राप्त कर रहें, अथवा नहीं।

(3) वे उत्पादक कार्य-जो उन्हें सिखाये जाते हैं-का उपयोग वे जीवन में कितना कर पा रहें, की जावकारी करना।

(4) पाठयक्रम में व्यवसायपरक प्रकरण को समाबिष्ट करने का सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस सर्वेक्षण में माध्यमिक विद्यालयों के समाजोपयोगी उत्पादक कार्यो का विशद विवेचन प्रस्तुत कर, नये जीवनोपयोगी उत्पादक कार्यो को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने का सुझाव दिया गया है जो जीवन के लिये उपयोगी ही नहीं उपादेय भी है। यह निष्कर्ष एवं सुझाव बहुत उपयोगी हैं।

शीर्षक (43) : पत्राचार शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सतत शिक्षा सम्पर्क अध्ययन योजना के अन्तर्गत सान्ध्य कक्षाओं में शिक्षण का सर्वेक्षण (एक अग्रगामी योजना)

संक्षिप्त विवरण :

दूर शिक्षा आधुनिक विश्व की शैक्षिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति का एक सशक्त साधन है। यह शिक्षा निश्चय ही सब को समान अवसर प्रदान करने की मानवीय आवश्यकता को न केवल रेखांकित करती है अपितु समाधान की दिशा में भी अग्रसर है। सतत शिक्षा सम्पर्क अध्ययन योजना पत्राचार शिक्षा का एक सशक्त आयाम हैं, इसका लक्ष्य कक्षा शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन की दिशा में साहचर्य हेतु उचित अवसर प्रदान करना है। उपयुक्त अवसर की उपलब्धता के साथ ही उपलब्धियों की सार्थकता के सत्यापन द्वारा छात्र को आत्म विश्वास के साथ कक्षा की ओर अग्रसर करना भी सम्पर्क योजना का लक्ष्य है और इसी उद्देश्य से यह शोध कार्य किया गया है।

उद्देश्य :

(1) सांध्य कक्षाओं में शिक्षण की वास्तविक स्थिति की जांच करना ।

(2) सांध्य कक्षाओं में बालकों की वास्तविक सहभागिता को ज्ञात करना ।

(3) सांध्य कक्षाओं में शिक्षण और बालकों की सहभागिता को ज्ञात करना ।

(4) सांध्य शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावकारिता और अवरोध कारकों की पहिचान करना ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

पत्राचार शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सतत शिक्षा सम्पर्क अध्ययन योजना के अन्तर्गत सांध्य कक्षाओं में शिक्षण का सर्वेक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि इन कक्षाओं द्वारा छात्रों को वास्तविक विषय ज्ञान दिया जा सकता है और उन्हें अज्ञान के अधिकार में भटकने के स्थान पर इन कक्षाओं के माध्यम में सही दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं ।

शीर्षक (44) शैक्षिक विकास में सामुदायिक सहभागिता की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण एवं सुझाव ।

संक्षिप्त विवरण :

वर्तमान समय में शैक्षिक प्रसार का उत्तरदायित्व स्थानीय समुदायों की अपेक्षा सरकार पर अधिक आ गया है । अब स्थानीय समुदाय इस कार्य हेतु सरकारी सहायता और समर्थन की अपेक्षा करने लगे हैं । वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शिक्षा सीमित वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है अपितु प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए समान शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य बन गया है । इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में सदियों से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय अंचलों, पिछड़े एवं आर्थिक दृष्टि से विपन्न क्षेत्रों में सरकार शिक्षण संस्थाएँ खोलने का कार्य कर रही है । क्योंकि ये क्षेत्र गरीबी एवं शिक्षा के प्रति जागरूक न होने के कारण, पिछड़ी अवस्था में रहे । फलस्वरूप स्थानीय समुदायों का इस क्षेत्र में योगदान नगण्य रहा ।

किसी स्थान विशेष के स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के स्थानीय समुदाय की सहभागिता की प्रकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है । समय परिवर्तन के साथ यह देखा जा रहा है कि स्थानीय समुदायों शैक्षिक प्रसार में सहभागिता कम होती जा रही है । दूसरी ओर अनेक शैक्षिक विकास योजनाओं के फलस्वरूप सरकार पर अधिक व्यय भार पड़ रहा है ।

अत: यह आवश्यक है कि शैक्षिक विकास में सामुदायिक सहभाग का सर्वेक्षण किया जाय तथा समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने संबंधी उपायों पर विचार कर उन्हें सुझाव रूप में प्रस्तुत किया जाय ।

उद्देश्य :

(1) आज की शैक्षिक व्यवस्था में स्थानीय समुदाय की सहभागिता को समझना ।

(2) सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु नयी तकनीक ढूँढ़ना ।

(3) विद्यालयी शिक्षा में उन क्षेत्रों को स्पष्ट करना जिनमें सामुदायिक सहभागिता से शैक्षिक विकास में सहायता मिल सकती है।

(4) सामुदायिक सहभागिता के कुछ विषयों का चयन करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

(1) अधिकांश स्थानों में स्थानीय लोग विद्यालय के कार्यक्रम में सहयोग नहीं देते हैं।

(2) अधिक सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने का माध्यम जनसंपर्क गोष्ठियाँ, शैक्षिक मेले तथा अभिभावकों को प्रेरणा हो सकती है।

(3) अपेक्षित सहयोग व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों, सामग्री क्रय, अनुशासन आदि के क्षेत्रों में हो सकती हैं।

(4) स्थानीय संसाधनों के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम समाजोपयोगी कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाकलाप क्रियान्वित किये जायें।

शीर्षक (45) राष्ट्रीय एकता के उन्नयन हेतु माध्यमिक विद्यालयों में सामुदायिक गायन के प्रयासों का अध्ययन।

संक्षिप्त विवरण :

भारत एक विशाल और बहुजातीय देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी यह संसार का दूसरा राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न सम्प्रदाय, धर्मों, मतावलम्बियों के अनुयायी हैं। मनुष्य की भाषा, संस्कृति तथा मान्यताएँ संगीत के माध्यम से बड़ी सरलता से मुखरित होती है। अतः स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी ने इसी-लिए सामुदायिक गायन को राष्ट्रप्रेम की सुदृढ आधारशिला मानते हुए विद्यालयों में सामुदायिक गायन की ऐसी उद्भावना व्यक्त की, जिसके अन्तर्गत देश की सभी भाषाओं के कतिपय चुने हुए मधुर और प्रेरक गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संचार प्रारंभ से ही बालक/बालिकाओं में प्रस्फुटित हो और रूप रंग, वेशभूषा, भाषा और प्रान्त की विभिन्नताओं के होते हुए भी वे आपस में एकाकार हो जायें। यह कार्यक्रम भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रयास से चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, राज्य तथा जनपद स्तर पर शिक्षकों को सामुदायिक गान में प्रशिक्षित किया जाता है।

उद्देश्य :

(1) राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता में सामुदायिक गायन के प्रभाव का अध्ययन करना।

(2) मानवीय मूल्यों और चरित्र निर्माण हेतु पथ प्रशस्त करना।

(3) विभिन्न भाषाओं के प्रति आदर उत्पन्न करना।

(4) विश्व शान्ति के लिए भारत के सक्रिय योगदान को उजागर करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

प्रधानाचार्यों अध्यापकों तथा छात्रों की अवधारणा है कि सामुदायिक गान से राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं भारत एक है, की भावना को बल मिलेगा। छात्र अन्य भाषाओं के गीतों को सीखने में व्यग्र दिखाई देते हैं। इसके प्रचार प्रसार की और अधिक आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों को सुविधा एवं समय की व्यवस्था अपेक्षित है। इन गीतों से अभिप्रेरित होकर छात्र तथा अध्यापकों में विभिन्न भाषाओं को सीखने की रुचि उत्पन्न होगी। अतः स्पष्ट है कि सामुदायिक गायन का राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में व्यापक महत्त्व और प्रभाव है।

शीर्षक (46) सामाजिक विज्ञान के दुरुह प्रकरणों पर शिक्षण संकेत।

संक्षिप्त विवरण :

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० के हाईस्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। इस विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों के तथ्यों को विभिन्न सामाजिक प्रकरणों के अन्तर्गत समेकित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय के प्रति अध्यापकों एवं छात्रों की रुचि सामान्य की अपेक्षा कम है। यह भी देखा गया है कि इस विषय के सभी प्रकरणों में छात्रों की उपलब्धि समान रूप से नहीं है। फलतः यह आवश्यक है कि इस विषय में दुरुह प्रकरणों का चयन किया जाय तथा उनको सरल तथा ग्राह्य बनाने के लिए उचित शिक्षण संकेतों का सुझाव प्रस्तुत किया जाय। प्रत्येक प्रकरण के अनुकूल किन शिक्षण सूत्रों, तकनीकों तथा प्रविधियों का प्रयोग किया जाय कि अध्यापक को पढ़ाने में सरलता तथा छात्रों को सहज अधिगम में आसानी हो एवं अधिगम को स्थायी बनाया जा सके, इस पर विचार करना आवश्यक है।

उद्देश्य :—

(1) सामाजिक विज्ञान भाग 2 में निहित दुरुह प्रकरणों की पहचान करना।

(2) इनमें आये हुए संप्रत्ययों, तथ्यों, सम्बन्धों, सिद्धान्तों तथा कार्य कारण सम्बन्धों को स्पष्ट करना।

(3) विषयवस्तु को रुचिकर एवं ग्राह्य बनाना।

(4) दुरुह प्रकरणों के शिक्षण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिणाम/उपलब्धियाँ :—

दुरुह प्रकरणों के चयन के लिए विषय अध्यापकों के विचार प्राप्त किये गये तथा कक्षा 10 के छात्रों पर उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्यापकों के विचार तथा छात्रों के परीक्षाफल के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष रूप में निम्नलिखित प्रकरण दुरुह समझे गये :—

(1) हमारी आर्थिक समस्याएँ तथा आर्थिक विकास-पूंजी

(2) राज्यों की अन्योन्याश्रिता-सहकारिता

(3) प्रधान प्राकृतिक प्रदेश

(4) शीतोष्ण कटबन्धिय क्षेत्र-भूमध्य सागरीय प्रदेश

(5) विकशित देशों में जन जीवन

यह परामर्श दिया गया है कि प्रत्येक प्रकरण से सम्बन्धित ज्ञानात्मक तथ्यों का विश्लेषण किया जाय तथा उनके उपखण्डों को छात्रों तक पहुंचाया जाय। प्रकरण में निहित सिद्धान्तों टर्मिनालाजी, कार्य कारण सम्बन्धों को पूर्ण रूप से उदाहरणों, समताओं आदि से स्पष्ट किया जाय। चित्रों रेखाचित्रों, माडल, उपकरण, प्रयोग, उद्धरण फिल्म्स आदि का उपयोग किया जाय। छात्रों को प्रोत्साहित करें। गृहकार्य समाजकार्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो तथा छात्र एवं अध्यापक सक्रिय रूप से भाग लें।

शीर्षक (47) माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं सहगामी कार्यकलापों का समीक्षात्मक अध्ययन।

संक्षिप्त विवरण :

विज्ञान और तकनीकी धारित विषय में राष्ट्र की सम्पन्नता और जन कल्याण की भावना को मूर्तरूप प्रदान करने का दायित्व देश की शिक्षा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामान्य जीवन स्तर में सुधार के लिए उत्तर-दायी है। राष्ट्र की बढ़ती आवश्यकताओं और ज्ञान के बढ़ते कदमों के साथ इसमें व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि शरीर और मस्तिष्क दोनों का सम्यक विकास कर बालक को आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बनाना है ताकि आगे वह राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को वहन कर सके। सह गामी कार्य-कलापों द्वारा आत्म केन्द्रित प्रवृत्ति से ऊपर उठकर वह सामाजिक जीवन जी सके। शिक्षालय सामाजिक उत्पादक कार्यों के प्रशिक्षणालय हो जिसमें बच्चा स्वावलम्बी बन सके और वह परमुखापेक्षी न रहे। पाठ्यक्रम एवं सहगामी कार्यकलापों का यह समीक्षात्मक अध्ययन इसी दृष्टि से किया गया है ताकि बालकों के व्यक्तित्व का विकास हो सके।

उद्देश्य :

(1) माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सहगामी कार्यकलापों के समावेश की स्थिति ज्ञात करना।

(2) सहगामी कार्यकलापों में बालकों की सहभागिता की जानकारी प्राप्त करना।

(3) यह ज्ञात करना की सहगामी कार्यकलापों से बालक एवं बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सुझाये गये उपायों पर ध्यान दिया जाय।

(4) ऐसे सहगामी कार्यकलापों के पाठ्यक्रम में समावेश की संस्तुति करना जो अब तक समाविष्ट नहीं है लेकिन जिनका समावेश किया जाना बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस अध्ययन से सुस्पष्ट है कि सहगामी कार्यकलापों में जितनी क्रियाशीलता होगी तथा बच्चे का अपना कार्यानुभव होगा और स्काउटिंग और गाइडिंग में उसे जो सामाजिकता प्राप्त होती है उससे उसमें श्रम के प्रति निष्ठा और स्वावलम्बन की भावना पैदा होती है। इस तरह बालक के व्यक्तित्व का विकास स्वयंमेव सही दिशा में होता है।

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग

शीर्षक (1) दस वर्षीय सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत हाई स्कूल विज्ञान–I के अध्यापकों हेतु शिक्षक निर्देशिका का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

हाई स्कूल विज्ञान–1 शिक्षण को प्रभावी एवं उपयोगी बनाना ।

हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान–1 शिक्षण को प्रभावी, सरल एवं रोचक बनाने हेतु विज्ञान संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा हाईस्कूल विज्ञान-1 पाठ्यक्रम के गहन चिन्तन, अध्ययन एवं विचार विमर्श के आधार पर संबधित पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित शिक्षक निर्देशिका का विकास किया गया है । इस निर्देशिका में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का विस्तार, कठिन सम्बोधों का विस्तार तथा गाइड लाइन्स एवं नवीन प्रकरण संबधी सामग्री आदि का विवरण दिया गया है । इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 द्वारा मुद्रित कराया गया है । इसका वितरण भी किया है ।

शीर्षक (2) पर्यावरण एवं स्थानीय साधनों के उपयोग पर आधारित प्राइमरी विज्ञान किट एवं किट संदर्शिका का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :

पर्यावरण एवं स्थानीय साधनों से प्राइमरी स्तर पर विज्ञान शिक्षण को प्रभावी एवं क्रिया आधारित बनाना ।

प्रदेश के बहुत से प्राइमरी विद्यालयों में एन. सी. ई. आर.टी. के विज्ञान किट उपलब्ध नहीं हो पाए हैं । विज्ञान संस्थान द्वारा प्राथमिक विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु एक ऐसे विज्ञान किट/किट संदर्शिका का विकास किया गया है जिसकी सहायता से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण से संबंधित सभी आवश्यक प्रयोगों को प्रदर्शित किया जा सकता है । किट में अधिकांश सामग्री निर्मूल्य अथवा कम मूल्य पर स्थानीय साधनों से प्राप्त की जा साकती है ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

विज्ञान किट/विज्ञान किट संदर्शिका प्राथमिक स्तरीय विज्ञान शिक्षण को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होगी ।

शीर्षक (3) हाईस्कूल विज्ञान–I की पाठ्यपुस्तकों की रचना हेतु आधारभूत सिद्धान्त का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :

हाईस्कूल विज्ञान–1 की उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की रचना हेतु आधार भूत सिद्धान्तों एवं निर्देशों का विकास करना ।

दस वर्षीय सामान्य शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अनिवार्य विषय विज्ञान के पाठ्यक्रम की परिकल्पना एवं उपागम अब तक के प्रचलित वैकल्पिक विज्ञान के उपागम से भिन्न है । यह पाठ्यक्रम भौतिकी, रसायन, विज्ञान एवं जीव विज्ञान का एक विशिष्ट समन्वित पाठ्यक्रम है । पाठ्यक्रमों को भिन्नता को स्पष्ट करते हुए विज्ञान–1 की पाठ्य पुस्तकों की रचना हेतु कतिपय आधारभूत सिद्धान्तों एवं उनके अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देशों का विकास संस्थान के प्रोफेसरों द्वारा हाई स्कूल विज्ञान–1 पाठ्यक्रम के गहन अध्ययन, विचार विमर्श और अनुभव के आधार पर प्रचलित पाठ्यक्रम पुस्तकों की कमियों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों के लेखन में आधार भूत सिद्धान्त एवं निर्देश सहायक सिद्ध होंगे ।

शीर्षक (4) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु दिग्दर्शिका/निर्देशिका का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मलित होने वाले अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन प्रदान करना ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उपर्युक्त परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है । विज्ञान संस्थान द्वारा विगत वर्षों के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गये प्रश्न पत्रों की सहायता से अध्ययन, विचार विमर्श के पश्चात राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रश्न पत्रों एवं प्रश्नों के स्वरूप से परिचित कराने तथा परीक्षा के नियमों, छात्रवृत्तियों का विवरण की जानकारी और प्रश्न पत्रों को सफलतापूर्वक हल करने के विशेष सुझाव सहित एक दिग्दर्शिका का विकास किया गया है । संदर्शिका को चक्रमुद्रित कराकर वितरित किया गया है ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

दिग्दर्शिका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों तथा संबंधित अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

शीर्षक (5) : नए दस वर्षीय विज्ञान–I पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक संदर्शिका का विकास।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :

हाईस्कूल विज्ञान–1 शिक्षण को रोचक, ग्राह्य एवं क्रिया आधारित बनाना।

हाई स्कूल विज्ञान–1 के पाठ्यक्रम की रचना इस दृष्टिकोण से की गई है कि बालकों में ज्ञानवर्द्धन के के साथ-साथ उनमें उपयोगी कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं दैनिक जीवन में समाधान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो। विज्ञान संस्थान द्वारा विज्ञान–1 के पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु शिक्षण प्रक्रम, क्रिया कलाप एवं मूल्यांकन संकेत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवम् विचार विमर्श के पश्चात शिक्षक संदर्शिका का विकास किया गया है। इसे मुद्रित कराकर संबंधित को वितरित किया गया है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

शिक्षक संदर्शिका हाई स्कूल विज्ञान–1 शिक्षण को सुगम, रोचक, ग्राह्य एवं प्रभावी बनाने में अध्यापकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

शीर्षक (6) : जू० हाई स्कूल जीवविज्ञान किट संदर्शिका एवं प्रायोगिक कार्य दिग्दर्शिका का विकास।

संक्षिप्त विवरण :

जू0 हा0 स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण को प्रभावी एवं क्रिया आधारित बनाना।

राष्ट्रीयकृत विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें जू0 हा0 स्कूल स्तर पर पर पढ़ाई जा रही है। जीव विज्ञान शिक्षण को प्रभावी एवं क्रिया आधारित बनाने हेतु पग-पग पर प्रयोग प्रदर्शन आवश्यक है। उपर्युक्त बिन्दुओं । परिप्रेक्ष्य में प्रयोग एवं प्रेक्षण की सुविधा हेतु विज्ञान संस्थान द्वारा संदर्भित दिग्दर्शिका का विकास जू0 हा0 कूल स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की सहायता से अध्ययन एवं विचार विमर्श के पश्चात किया गया है।

रिणाम/उपलब्धियाँ :

संबंधित दिग्दर्शिका जू0 हा0 स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उन्ननयन में सहायक सिद्ध होगी तथा संबंधित विज्ञान अध्यापकों के लिए उपयोगी होगी।

शीर्षक (7) : नए दस वर्षीय पाठ्यक्रम विज्ञान–I (हाई स्कूल विज्ञान–I) एवं न्यूनतम उपकरण प्रयोगशाला हेतु संदर्शिका का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

हाई स्कूल विज्ञान–I शिक्षण को प्रभावी बनाना ।

प्रदेश में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान–I को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है । बिज्ञान–I का पाठ्यक्रम भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान का समन्वित पाठ्यक्रम है । अब तक जिन विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था नही है वहाँ भी विज्ञान–I के शिक्षण की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है । उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में हाई स्कूल विज्ञान–I पाठ्यक्रम की सहायता से विज्ञान संस्थान द्वारा एक ऐसी संदर्शिका का विकास किया गया है जिसमें प्रयोगात्मक कार्य, प्रयोगशाला का मानचित्र न्यूनतम उपकरण आदि के संबंध में आवश्यक विवरण दिया गया है ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

संदर्शिका की प्रथम चरण में चक्रमुद्रित एवं तत्पश्चात मुद्रित कराकर वितरित किया गया है । यह संदर्शिका संबंधित प्रधानाचार्यों, अध्यापकों एवं विद्यालयों के प्रबन्धकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

शीर्षक (8) : जू० हा० स्कूल कक्षाओं हेतु रसायन विज्ञान किट संदर्शिका (गाइड) का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :

जू0 हा0 स्कूल स्तर पर रसायन विज्ञान शिक्षण को प्रभावी एवं क्रिया आधारित बनाना ।

जू0 हा0 स्कूल स्तर पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं एवं उनमें निहित सिद्धान्तों को छात्र समझ सके तथा विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है कि छात्र प्रयोगात्मक कार्य स्वयं करें तथा शिक्षण के साथ प्रयोग प्रदर्शन करें । इस दृष्टिकोण से जू0 हा0 स्कूल स्तर पर रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम के अनुसार रसायन विज्ञान किट में उपलब्ध उपकरण/सामाग्री द्वारा प्रयोग प्रदर्शन हेतु विज्ञान संस्थान द्वारा रसायन विज्ञान किट गाइड (संदर्शिका) का विकास किया गया है । संदर्शिका मुद्रित कराकर संबंधित को वितरित की गई है ।

परिणाम/उपलब्धियां :—

रसायन विज्ञान किट संदर्शिका जू० हा० स्कूल स्तर पर रसायन विज्ञान शिक्षण के उन्नयन और अध्यापकों द्वारा प्रयोग प्रदर्शन में सहायक होगी ।

शीर्षक : (9) प्रारम्भिक स्तरीय विज्ञान/गणित के नवीन पाठ्यक्रम का विकास

संक्षिप्त विवरण :—

उद्देश्य :—

प्रारम्भिक स्तरीय विज्ञान/गणित पाठ्यक्रम का विस्तार करना एवं इसमें गुणात्मक सुधार लाना।

विज्ञान के बदलते परिवेश एवं उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम के संशोधन एवं नवीनीकरण के दृष्टिकोण से विज्ञान संस्थान द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित के नवीन पाठ्यक्रम का विकास किया गया। इस कार्य हेतु एक कार्यशाला का आयोजन 20-7-85 से 24-7-85 तक किया गया जिसमें अनुभवी एवं योग्य विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। नवीन पाठ्यक्रम की चक्रमुद्रित प्रतियां तैयार कर वितरित की गई। पाठ्यक्रम को उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि, क्रियाकलाप एवं मूल्यांकन शीर्षकों के अन्तर्गत विकसित किया गया।

परिणाम/उपलब्धियाँ :—

नवीन पाठ्यक्रम में प्रारम्भिक स्तर पर पाठ्यक्रम नवीनता के विज्ञान/गणित के शिक्षण को प्रभावी एवं बोधगम्य बनाने में सहायक होगा।

शीर्षक : (10) प्रारम्भिक (जू०हा० स्कूल) स्तर पर विज्ञान शिक्षण में उन्नयन

संक्षिप्त विवरण :—

उद्देश्य :—

प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार

प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में उन्नयन हेतु विज्ञान संस्थान द्वारा एक नवीन कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में चार विद्यालय चयनित किये गए। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों से सम्पर्क स्थापित कर कार्यक्रम को विस्तृत रूपरेखा से अवगत कराया गया। विज्ञान शिक्षण हेतु एक समय सारिणी प्रेषित की गई तथा विज्ञान संस्थान द्वारा निर्मित एक विशेष परीक्षण प्रश्न-पत्र के आधार पर संबंधित छात्रों का मूल्यांकन किया गया। छात्रों के दुर्बलता क्षेत्रों से सम्बन्धित विद्यालयों को अवगत कराया गया तथा सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पुनः तीन माह पश्चात मूल्यांकन करने से ज्ञात हुआ कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में सुधार हुआ है।

परिणाम/उपलब्धियां :—

छात्रों के परीक्षाफल में सुधार हुआ तथा अध्यापक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण समय से पूरा करने हेतु अभिप्रेरित हुए।

शीर्षक : (11) माध्यमिक स्तरीय गणित पाठ्यक्रम की विवेचना ।

संक्षिप्त विवरण :—

उद्देश्य :—

(1) छात्रों के वय वर्ग एवं मानसिक स्तर के अनुकूलन हाईस्कूल गणित-1 पाठ्यक्रम की विषमताओं का विषलेषण करना ।

(2) दैनिक जीवन में उपयोगी गणित के आवश्यक प्रकरणों को पाठ्यक्रम में समायोजन का पता लगाना ।

(3) जूनियर हाईस्कूल स्तर के गणित पाठ्यक्रम का हाईस्कूल स्तरीय गणित पाठ्यक्रम से सातत्व का पता लगाना ।

विज्ञान संस्थान द्वारा जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर तक के गणित पाठ्यक्रम का मिलान किया गया और निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया ।

(1) पाठ्यक्रम में सातत्य का आभाव है या नहीं ।

(2) प्रकरणों के किसी अंक का अनावश्यक पुनरावृत्ति तो नहीं है । पाठ्यक्रम का सामान्य, बोझिला एवं निम्नस्तर की कोटि में वर्गीकरण भी किया गया ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :—

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रदेश के गणित-1 पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी अंश का समावेश है तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम से सातत्व है ।

शीर्षक : (12) जूनियर हाईस्कूल कक्षाओं के विज्ञान शिक्षण में विज्ञान किटों का उपयोग/अनुपयोग किया जाना-एक अध्ययन ।

संक्षिप्त विवरण :—

उद्देश्य :—

जूनियर हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान किटों के अनुपयोग सम्बन्धी कारणों का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु सुझावों का निर्माण करना ।

विज्ञान संस्थान द्वारा निर्मित विशेष सर्वेक्षण पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से विभिन्न जू० हा० स्कूलों में विज्ञान किटों उपयोग/अनुपयोग सम्बन्धी आकड़ों का सकलन किया गया । कुछ जू० हा० स्कलों का विज्ञान संस्थान द्वारा वीक्षण भी किया गया ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :–

(1) सभी जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान किट नहीं पहुंच पाए हैं ।

(2) जिन जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान किट हैं वहाँ सभी प्रकार की किटें नहीं हैं ।

(3) जिन जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान किटे हैं वहीं के अध्यापक विभिन्न कारणों से उनका उपयोग नहीं करते हैं ।

(4) थोड़े से अध्यापक विज्ञान किटों का उपयोग विज्ञान शिक्षण में करते हैं ।

शीर्षक (13) : हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु न्यूनतम उपकरण/सामग्री की सूची का विकास ।

संक्षिप्त विवरण :

उद्देश्य :

हाईस्कूल/इण्टर विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने हेतु न्यूनतम उपकरण/सामग्री से अवगत कराना ।

विज्ञान शिक्षा को प्रभावी बनाने में प्रयोगात्मक कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान प्रयोगशालाओं को पूर्णतः सुसज्जित होना आवश्यक है । अतः प्रयोगशालाओं के सुधार हेतु विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ प्रोफेसरों द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के वर्तमान पाठ्यक्रम की सहायता से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट प्रयोगशालाओं हेतु न्यूनतम उपकरण/सामग्री की सूची का विकास किया गया है । इसे मुद्रित कराकर वितरित किया गया है ।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

न्यूनतम उपकरण/सामग्री सूची विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुधार हेतु शासन द्वारा की जाने वाली संस्तुति में सहायक होगी ।

(6) मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग

शीर्षक :

An Inrestigation into the predicative Capability of the Integrated Scholorship examination for selection of Meritorious students for special education in Uttar Pradesh.

संक्षिप्त विवरण :

प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी देश की अमूल्य निधि है। यह विचार धारा अति प्राचीन है किन्तु कुछ वर्षों से ऐसे प्रतिभावान बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक विकासशील एवं विकसित देश अपने राष्ट्र के प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा को ज्ञात कर उन्हें उसके अनुरूप शिक्षा देने का कार्य सक्रिय रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतवर्ष भी इस दिशा में पीछे नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना शिक्षा के उत्थान हेतु निर्मित की गई। इस योजना में प्रतिभावान बच्चों को ज्ञात करने पर विशेष बल दिया गया क्योंकि प्रत्येक विद्वान और शिक्षाविद का मत था कि कोई भी राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस देश के प्रतिभाशाली बच्चों को ज्ञात कर उनकी प्रतिभा का अधिकाधिक प्रयोग न किया जायें।

सन् 1952–53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964—66 में भारतीय शिक्षा आयोग ने ऐसे बच्चों को ज्ञात करके उनके विशिष्ट प्रशिक्षण पर बल दिया। इन दोनों आयोगों के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार और विभिन्न प्रदेशों ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति पुस्तकीय सहायता आदि का प्राविधान किया ताकि प्रतिभावान छात्र उपयुक्त शैक्षिक उपकरणों और साधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।

इस दिशा में एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली ने सन् 1963 में एक कार्यक्रम 'राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना" के नाम से आरम्भ किया। सन् 1977 में 1963 की चयन विधि में कुछ परिवर्तन किये गये और योजना का पुनः नामकरण "राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना" किया गया। इस योजना के अंतर्गत 550 छात्रवृत्तियाँ निर्धारित है जो पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से चयनित प्रतिभाशाली छात्रों की प्रदत्त की जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने प्रदेश में सन् 1976 में आवासीय योजना का शुभारम्भ एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से किया। जिला स्तर पर प्रतिभाशाली छात्र चयन परीक्षा रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाओं द्वारा सम्पादित कराई जाती है। चयनित छात्र राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ में प्रवेश लेते हैं जिनके शिक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का होता है। इन प्रतिभाशाली छात्रों के बौद्धिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों, विषय-विशेष की उत्कृष्टता तथा दुर्बलता की जानकारी हेतु कक्षा नौ में मनोवैज्ञानिक (सामूहिक-व्यक्तिगत) परीक्षणों का प्रशासन किया जाता है परीक्षण और अन्य सूचना स्तोत्रों के आधार पर इन छात्रों को शिक्षा के वर्ग तथा वैकल्पिक विषयों के चयन में सहायता दी जाती है। इन परीक्षणों के परिणामों की वैधता और इस योजना की सफलता के लिये वर्तमान शोध करने की आवश्यकता अनुभव की गई जिसके द्वारा अधिक से अधिक प्रतिभावान बच्चे लाभान्वित हो सके।

उद्देश्य :

इस शोध का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक छात्र के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों का उसके हाईस्कूल परीक्षा के परिणामों से वैधता ज्ञात करना है जो प्रत्येक छात्र की उच्च शैक्षिक सम्प्राप्ति का पूर्वानुमान कर सके।

इस उद्देश्य को चार बिन्दुओं में निर्णित किया गया।

1– एकीकृत छात्र परीक्षा में प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण प्राप्तांक उस छात्र के कक्षा दस की परीक्षा की निष्पत्ति का किस सीमा तक पूर्वानुमान करती है।

2– इस तथ्य की भी जांच करना कि क्या एक मात्र स्वतंत्र रूप से बुद्धि परीक्षा छात्रों को शैक्षिक सम्प्राप्ति की पूर्व निर्णित करने की क्षमता रखती है।

3– हाईस्कूल परीक्षा में छात्र के व्यक्तिगत विषय विशेष के परिणामों के तारतम्य में नम्बर (एक) व (दो) की पूर्वानुमानित करने की क्षमता की जांच करना।

4– वर्तमान प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन के साथ चयन परीक्षा की पूर्वानुमानित वैधता की बढ़ती संभावनाओं की जांच करना।

वर्तमान शोध के लिये 1977 में एकाकी छात्रवृत्ति पाने वाले उन 359 आवासीय छात्रों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किया गया जो 1979 की हाई स्कूल परीक्षा में बैठे थे तथा जिनके सभी परिणाम उपलब्ध थे।

प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन सांख्यकीय विधि द्वारा विभिन्न सह संबंधों की ज्ञात करके किया गया।

एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा का सांख्यकीय सह संबंध 0.48 बुद्धि परीक्षा का 0.52 और एकीकृत छात्र वृत्ति परीक्षा एवं बुद्धि परीक्षा का संयुक्त सह संबंध 0.57 प्राप्त हुआ।

प्राप्त परिणामों से यह स्पष्ट है कि संशोधित परीक्षण बैटरी हाईस्कूल के व्यक्तिगत विषयों में निष्पत्ति को पूर्वानुमानों की अपेक्षा अधिक पूर्वानुमानित करती है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

इस शोध अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि उत्तर प्रदेश के आवासीय विद्यालयों के लिये छात्र के चयन करने हेतु एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा की पूर्वानुमानित वैधता में, सामाजिक अध्ययन

विषयों से निकाल कर और बुद्धि परीक्षण को जोड़कर भलीभाँति बुद्धि की जा सकती है। इस निष्कर्ष के आधार पर वर्तमान एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षण बैटरी का परिवर्तित स्वरूप निम्नवत् होना चाहिए :—

1– बुद्धि परीक्षण

2– हिन्दी

3– गणित

4– विज्ञान

इससे यह भी निष्कर्ष निकला हैं कि प्रचलित छात्रवृत्ति परीक्षण बैटरी के दूषित स्वरूप के कारण ही कम योग्यता वाले छात्रों का प्रति वर्ष चयन हो रहा है और अधिक योग्यता वाले छात्र इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः प्रचलित बैटरी के प्रारूप (पैटर्न) को ऊपर प्रस्तावित किये गये (पैटर्न) प्रारूप से शीघ्रातिशीघ्र प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

शीर्षक (2) : "बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण (चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट) द्वारा उत्तर प्रदेश के बालक/बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन"।

संक्षिप्त विवरण :

बालक की सहज दुनियां जानवर की होती है बालक मानव से अपना तादात्मीयकरण नहीं कर पाता क्योंकि मनुष्य उसके सम्मुख प्रभुता सम्पन्न होता है जिससे वह डरता है। इसी कारण बालक को मानव माध्यम द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त करना संभव नहीं है। सन् 1948 में इसी धारणा से प्रेरित होकर डा0 एल0 बैलेक ने एक प्रक्षेपण परीक्षण का निर्माण किया जिसे "चिल्ड्रेन अपर सेप्शन टेस्ट" (सी. ए. टी.) के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षण में दस चित्र युक्त कार्डो का सृजन किया गया जिसमें विभिन्न स्थिति में (संगठित असंगठित, स्पष्ट-अस्पष्ट) विभिन्न आयु वर्ग के जानवर पात्रों को दर्शाया गया है। इन तस्वीरों को देखकर बच्चों को कहानी बोलने का इस आशय से निर्देश दिया जाता है कि बच्चा तस्वीर के संबंध में जो कुछ भी बतायेगा वह उसकी अबदमित इच्छाओं, ईडाओं और विभिन्न मनोकामनाओं का ही प्रदर्शन होगा। इस परीक्षण द्वारा बालक/बालिकाओं के सह संबंध और बौद्धिक स्तर का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक निदानान्तम परीक्षण है जिससे बालक व्यवहार को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। विदेशों में इस दिशा में काफी कार्य किया गया है किन्तु भारतवर्ष में इससे सम्बंधित कार्य बहुत कम हुआ है। मनोविज्ञानशाला में बच्चों पर डा0 उमा चौधरी द्वारा निर्मित सी. ए. टी. परीक्षण का उपयोग किया जाता है जिसकी तस्वीरें भारतीय परिप्रेक्ष्य के उपयुक्त है। इस दिशा में संलग्न होने के कारण मनोविज्ञानशालाओं ने इस परीक्षण की महत्ता को अनुभव किया तथा 1984 में शोध करने का निर्णय लिया।

उद्देश्य :

इस शोध का मुख्य उद्देश्य बालक/बालिकाओं की अनुक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना और उसी के आधार पर उसके माता पिता को बच्चों के स्वस्थ समायोजन के साथ लालन पालन करने में सहायता प्रदान करना है।

मनोविज्ञानशाला में समय समय पर माता पिता अपने बच्चों को व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु लाते हैं। इस शोध के लिये इन्हीं समस्यात्मक बच्चों में से 100 बच्चों को (आयु वर्ष 3 से 12 वर्ष तक) प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। प्रतिदर्श को बच्चों की आयु, बुद्धिलब्धि तथा आर्थिक स्तर के आधार पर विभाजित कर दिया गया। बालक/बालिकाओं द्वारा दी विभिन्न कार्डों पर प्राप्त अनुक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-मनोकामना तादात्मीयकरण, चिन्ता, अन्तद्वन्द कहानियों के परिणामों, परीक्षण में परिलक्षित प्रौढ़ता और परिपक्वता, के स्तर के आधार पर किया गया। अनुक्रियाओं को बारम्बारता वंटन के आधार पर विभाजित किया गया तथा उनके विश्लेषण को प्रतिशत में दर्शाया गया।

परिणाम/उपलब्धियाँ :–

शोध परिणामों से स्पष्ट है कि आयु वर्ष 9 से वर्ष के मध्यमवर्गीय बच्चे सामान्य बौद्धिक स्तर के होते हैं जिनकी प्रमुख आवश्यकता मुखाहार, क्रीड़ा और आकमकता सबंधी है, अन्य आवश्यकताएँ गौंण हैं। मुख्यत: बच्चे तादात्म्य अपने हम उम्र पात्रों के साथ ही करते हैं। अपनी दमित इच्छाओं का प्रक्षेपक वह चित्रों के जानवर पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित करके करते हैं। इस अवस्था की प्रमुख मनोकामना जो विषलेषण के उपरान्त उभर कर आई है वह असुरक्षा की है। बच्चे सबसे अधिक चिन्तित अपने को सुरक्षित रखने के लिए पाये गये जिसके फलस्वरूप उनमें भय, आक्रमकता, आन्तिरिक द्वन्द, संचय शारीरिक क्षति, अभाव आदि मनोभावों का विकास हो जाता है। सामान्यत: बालक/बालिकाओं कहानियों को सुखद अभिलाषा युक्त अन्त देते हैं। समस्या या अवरोध की अवस्था में ही इसके विपरीत अन्त प्राप्त होता है। यद्यपि प्रतिकूल अन्त का प्रतिशत न्यून ही है।

उपरोक्त निष्करणों से स्पस्ट है कि बाल जीवन को सुसंगठित करने में कहानी का अपना एक अनूठा स्थान है। बच्चों में कल्पना शक्ति, रुचि, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने और निर्णय लेने की क्षमता स्वस्थ समायोजन का विकास, सद्भाव,स्नेह प्यार, सहनशीलता आदि गुणों का विकास, कहानी सुनने तथा पढ़ने से स्वत: हो जाता है। जैसे परिवेश में बालक का लालन पालन होता है उसी का प्रदर्शन वह अपनी कहानियों में करता है। इस कारण अभिभावक/माता पिता को कहानियों को बाल चरित्र निर्माण का माध्यम मानकर बच्चों को उनकी वयानुकूल ऐसा साहित्य जिसमें बाल कहानियां प्रमुख हो, सुनाने का प्रयास करना चाहिये। इसकी महत्ता आज ही नहीं सदियों से अनुभव की गई है। चिरकाल में भी जब इन कहानियों की महत्ता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था तब भी बच्चे दादा-दादी, नाना-नानी से कहानियाँ सुनने में असीम आनन्द की अनुभूति करते व उनके पात्रों के अनुरूप व्यवहार करने के प्रयास करते थे।

अत: वर्तमान अध्ययन बाल जीवन में कहानियों के महत्व को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करते हुए माता-पिता/अभिभावक को अपने बच्चों की समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने का सुझाव देता है

शीर्षक : (3) "वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण" (कक्षा नौ में उच्च विज्ञान तथा उच्च गणित में प्रवेश हेतु)

संक्षिप्त विवरण :–

मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद तथा उसकी विभिन्न जिला/मंडल स्तर पर संलग्न इकाईयां कक्षा नौ स्तर पर शैक्षिक निर्देशन कार्य में आरम्भ से ही संलग्न है। प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों के लिये सभी विषयों

को पढ़ना अनिवार्य है किन्तु कक्षा आठ उत्तीर्ण होने के उपरान्त यह विषय विभिन्न 7 वर्गों (साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, रचनात्मक, कृषि, टेकनिकल और वाणिज्य) में विभाजित हो गये हैं। इन विभिन्न विषय वर्गों के मध्य बालक की उपयुक्त क्षमता और योग्यता के अनुरूप विषय वर्ग का चयन करना माता पिता/अभिभावक/बच्चों के लिए आज संभव नही है। मनोविज्ञान शाला इसी विषम स्थिति में मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण माला के आधार पर छात्र/छात्राओं को कक्षा 9 में उपयुक्त वर्ग चयन में सहायता प्रदान करती है।

1985-86 में बोर्ड पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। फलतः विज्ञान एक (बालकों) /गृहविज्ञान (बालिकाओं) उन सभी छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है जो उच्च विज्ञान (विज्ञान 2) नहीं लेते। उच्च विज्ञान लेने वाले बालकों/बालिकाओं की विज्ञान में उत्कृष्ट अभिरुचि मापन के लिये मनोविज्ञानशाला के पास ऐसा कोई भी विश्वसनीय उपकरण उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर वह छात्रों को विज्ञान लेने के लिए निर्णित निर्देश दे सके। शैक्षिक निर्देश कार्य को छात्रों/छात्राओं के लिये अधिक उपयुक्त और लाभकारी बनाने की दृष्टि से इस परीक्षण का निर्माण 1986 में किया गया।

उद्देश्य :-

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 में उच्च विज्ञान (विज्ञान 2) लेने वाले उपयुक्त छात्र/छात्राओं का चयन करना हैं।

परीक्षण विवरण :-

यह परीक्षण एक प्रश्न पुस्तिका के रूप में सृजित किया गया है जिसके उत्तर के लिए अलग उत्तर पत्र निर्मित किया गया हैं।

यह परीक्षण दो खण्डों में विभाजित है खण्ड-"क" और "ख" खण्ड "क" में मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों और अभिवृत्तियों से सम्बन्धित 45 प्रश्न पद हैं जिनके उत्तर "हाँ" "नहीं" और "अनिश्चित" में देना है।

खण्ड "ख" में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित सम्बन्धी भी 45 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पद के चार संभावित उत्तर भी दिये गये हैं। जिनमे से केवल एक उत्तर सही है। छात्र की उस सही उत्तर को ज्ञात करके उत्तर पद पर बने वर्गो में जिनके ऊपर उत्तर की संख्या 1,2,3,4 पड़ा है, से किसी एक ही संख्या के वर्ग में गुणा का निशान अंकित करके देना पड़ता है।

पदों की वैधता :-

पदों का सृजन विषय विशेषज्ञों के अनुमोदन पर किया गया हैं। छात्रों की सुविधा हेतु निर्देश प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित किये गये हैं।

परीक्षण के मानांक अभी निर्मित नहीं किये गये हैं। सम्पूर्ण प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 90 मिनट का समय निश्चित है।

शीर्षक (4) : खेल निरीक्षण द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व के स्वरूप का अध्ययन

संक्षिप्त विवरण :

इस शोध का मुख्य उद्देश्य खेल निरीक्षण द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करके उनकी अन्तर्निहित शक्तियों को उचित मार्ग-दर्शन देना है जिससे बालकों का स्वस्थ विकास हो सके तथा वह भावी जीवन में भी स्वस्थ रूप से समायोजित हो सकें।

खेल बालक की सहज एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया का प्रतीक है। सामान्यतः खेल बच्चे की भाषा है जिसके माध्यम से वह अपने संज्ञानात्मक एवं अव्यक्त व्यक्तित्व के गुणों की अभिव्यक्ति निर्भीकतापूर्वक उन्मुक्त रूप से करता है। उसके अर्न्तनिहित भावों, संवेगों, रुचियों, कल्पना, सृजनात्मकता, विध्वंस करने की प्रवृत्ति आदि की अभिव्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से खेल की क्रियाओं में हो जाती है। खेल ही खेल में वह अपनी अतिरिक्त शक्ति का बर्हिगमन कर देता है तथा अतिरिक्त शक्ति का अर्जन भी कर लेता है। वह अपने परिवेश के व्यक्तियों के व्यवहार को अपने व्यवहार में अनुकरण द्वारा संकलित करके उनकी भी अभिव्यक्ति खेल के माध्यम से ही करता है। खिलौनों की दुनियाँ से वह बहुत सी नई-नई बातें व व्यवहार सीखता है।

इस शोध अध्ययन के लिये मनोविज्ञानशाला में बाल निर्देशन एवं परामर्श हेतु आये हुए आयु 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के कुल 390 बालक/बालिकाओं (240 बालक, 150 बालिकायें) को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है।

बालकों की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण खेल कक्ष में किया गया। उनके व्यवहारों की विभिन्न उल्लिखित बिन्दुओं पर मूल्यांकित किया गया। प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, खिलौनों को प्रयोग करने की शैली, खिलौने की प्राथमिकता तथा खेल कक्ष में किया गया व्यवहार। बौद्धिक स्तर को ज्ञात करने के लिये व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे पर 'स्टेन फर्ड बिने' बुद्धि परीक्षण का प्रशासन किया गया। प्राप्त आंकड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण किया।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

शोध में प्रयोग प्रतिदर्श में लगभग सामान्य से सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चे सम्मिलित किये गये जिनकी बुद्धि लब्धि का विस्तार 85 से 110 के मध्य सीमित हैं। खेल कक्ष में प्रवेश प्रतिक्रिया के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बालक पूर्ण स्वेच्छा, रुचि, विश्वास, इच्छा, क्रियाशीलता और स्वाभाविकता के साथ खेलने के लिये प्रस्तुत रहता है।

3 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वयं अकेले खेलना रुचिकर लगता है, वे दूसरों के साथ हिलमिल कर नहीं खेलते किन्तु आयु वर्ष 6 से 9 सहयोग व सहभागिता की भावना विकसित हो जाती हैं। वे अपने साथियों के साथ मिल जुल कर खेलना पसन्द करते हैं।

बालक मुख्यतः रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, पहियेदार खिलौने, रायेदार खिलौनों व आक्रामक खिलौनों से खेलना अधिक पसन्द करते हैं। बालिकाओं के खेलने का रुचि क्षेत्र अलग हैं। वे गुड़िया, पारिवारिक खिलौनों आदि से खेलना अधिक पसन्द करती है। अधिकांशतः बच्चे ऐसे खिलौनों को स्पर्श नहीं करते जिसमें रंग, रूप, आकार व ध्वनि का अभाव हो। संगीतात्मक, खिलौने सभी वय के बच्चे खेलते हैं। सृजनात्मक खिलौने केवल 6 से 9 वर्ष के बच्चे ही खेलते पाये गये।

इस अध्ययन से बच्चों की रुचि, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक स्तर, कल्पना शक्ति, प्रत्यय निर्माण, गति समन्वय, शाब्दिक विकास, सामाजिक समायोजन तथा तर्कना शक्ति के विकास का ज्ञान प्राप्त कर उसी के परिप्रेक्ष्य में अभिभाबकों को अपने बच्चे के पालन पोषण आधार पर बच्चों के स्वस्थ सर्वांगीण विकास हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिभावकों को पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता प्रस्तुत की गई है :—

(1) बच्चों को खेल का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाये।

(2) संस्कारी और सचरित्र अच्छे आचरण के समवस्क वच्चों के साथ खेलने के लिये बच्चों को प्रोत्साहित किया जाये।

(3) आर्थिक स्थिति के अनुरूप आकर्षक रग बिरंगे खिलौने खेलने के लिये उपलब्ध कराये जायें।

(4) वय वृद्धि के अनुरूप खेलों को उपलब्ध कराया जाये।

(5) माता पिता या अभिभावक अपने व्यक्तित्व को बच्चों पर आरोपित न करें वरन उन्हें उन्मुक्त रूप से स्वयं अभिव्यक्ति का अवसर दें।

(6) बाल आदर्शात्मक कहानियाँ सुनाये। संभव हो तो रंग बिरंगा चित्रयुक्त बाल साहित्य भी पढ़ने के लिये उपलब्ध करायें।

(7) खेल को बाल शिक्षा का अंग समझे क्योंकि खेल द्वारा बच्चा बहुत सी नवीन वस्तुओं और क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करता है।

शीर्षक : (5) संक्षिप्त अभिरुचि परीक्षण।

संक्षिप्त विवरण :—

मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद तथा उसके सभी मंडलीय केन्द्रों में कार्यरत मनोवैज्ञानिक विगत कई वर्षों से यह अनुभव कर रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बालक/बालिकाओं के कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिये कोई भी परीक्षण उपलब्ध नहीं हैं अतः सन 1987-88 में मनोविज्ञानशाला ने हिन्दी के जी. पी. टी.–6 का अंग्रेजी में अनुवाद किया।

उद्देश्य :

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कक्षा 6 के उन छात्र/छात्राओं को, जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कक्षा 6 में प्रवेश चाहते हैं, उनके बौद्धिक स्तर को मापना है।

संक्षिप्त विवरण :

यह परीक्षण एक पुस्तिका के रूप में है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर छात्र/छात्राओं के लिए निर्देश दिये गये हैं। इसमें 60 पद हैं। ये सभी पद, वस्तुनिष्ठ हैं। ये पद छात्र/छात्राओं की संश्लेषण और तर्कना शक्ति, भाषाज्ञान तथा आंकित योग्यता मापते हैं। इस परीक्षण की हल करने के लिए 30 मिनट का समय है।

पदों की वैधता :

पदों का सृजन विशेषज्ञों के अनुमोदन पर किया गया है। परीक्षण के मानांक अभी निर्मित नहीं किये गये हैं।

शीर्षक (6) "खेल अभिरुचि परीक्षण" आयु वर्ष 9 से 14 वर्ष या ऊपर के लिये

संक्षिप्त विवरण:

आज खेलों के विश्वव्यापी बढ़ते हुए महत्व ने सभी शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में खेल को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए बाध्य कर दिया है। बालक/बालिकाओं की खेल अभिरुचि को ज्ञात करके, उसे प्रोत्साहित और विकसित करके सही दिशा में दिग्दर्शित करने के विभिन्न साधनों व उपायों को विकसित करने के लिये आज शिक्षा शास्त्री प्रयत्नशील हैं। सरकार भी इस दिशा में काफी सक्रीय है। शिक्षा में खेल के प्रोत्साहन हेतु खेल विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। खेल विद्यालयों में प्रवेश के लिये उपयुक्त खिलाड़ी छात्रों का चयन आवश्यक है ताकि वे भविष्य में खेल जगत में देश का नाम उजागर कर सकें।

खेल अभिरुचि परीक्षण स्पोर्टस-कालेज, लखनऊ के लिए प्रतिवर्ष कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के चयन हेतु "खेल अभिरुचि परीक्षण" निर्मित करके चयन प्रक्रिया में सहायता देता है। इस कालेज की क्रीड़ा मैदान की सफलता ही इस परीक्षण निर्माण का प्रेरणा स्रोत है।

उद्देश्य :

खेल अभिरुचि परीक्षण का लक्ष्य सामान्य बालक/बालिकाओं की खेल अभिरुचि प्रतिभा (Skill) को ज्ञात उसे उपयुक्त मार्गदर्शन देना हैं ताकि वह अपनी योग्यता (Skill) का विकास करके उसका अधिकतम उपयोग कर सके।

संक्षिप्त विवरण :

खण्ड "क" और खण्ड "ख" में विभाजन है। खण्ड "क" खेल अभिरुचि सम्बन्धी 50 प्रश्न पद और खण्ड "ख" में खेलकूद सामान्य ज्ञान सम्बन्धी 50 प्रश्न पद कुल 100 प्रश्न पद हैं।

खण्ड "क" के प्रश्न पदों का उद्देश्य बालक/बालिकाओं की खेल अभिरुचि सम्बन्धी व्यक्तिगत राय जानना है। प्रश्नों का कोई "गलत या "सही उत्तर नही है बालक/बालिका जो कुछ भी दिये गये कथन विशेष के लिये अपने सम्बन्ध में सोचता है, वही सही हैं। प्रत्येक कथन के तीन सम्भावित उत्तर हैं—"हाँ" "नहीं" "अनिश्चित"। उत्तर के लिये अलग से उत्तर पत्र निर्मित है जिसमें वर्गो के ऊपर "हाँ" "नही" "अनिश्चित" लिखा है। बालक/बालिका को अपने निर्णित उत्तर को वर्ग के अन्दर गुणा का चिन्ह लगा कर अंकित करना है।

इसी प्रकार खण्ड "ख" में खेलकूद सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पदों के भी चार-चार संभावित उत्तर दिये है, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। प्रत्येक प्रश्न के उस एक सही उत्तर को ज्ञात करके बालक/बालिका को अलग से दी गई उत्तर पत्री में बने निर्धारित वर्गो जिनके ऊपर वैकल्पिक उत्तरों की संख्या 1,2,3,4 पड़ी है, में से किसी एक ही संख्या के वर्ग में गुणा का चिन्ह अंकित करना है।

परिणाम उपलब्धियाँ :

पदों की वैधता :—परीक्षण पदों का चयन खेल विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक पद पर विचार विमर्श के उपरान्त किया गया है। परीक्षण निर्देशन प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है ताकि बालक/बालिका को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परीक्षण सम्पादन का समय 40 मिनट निर्धारित किया गया है।

1988 में इस परीक्षण के मानांक तैयार कर लिये जायेंगे तथा निर्धारित समय का भी मानकीकरण किया जायेगा।

शीर्षक (7) प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण (शाब्दिक)

संक्षिप्त विवरण :

दीर्घकाल से विज्ञानशाला, उ0 प्र0, इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवधि में बालकों के बौद्धिक स्तर के मापन हेतु अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया, जिनको व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है किन्तु समय-समय पर ऐसे अवसर भी आए जबकि यह अनुभव किया गया कि एक ऐसी शाब्दिक बुद्धि परीक्षा का निर्माण हो, जो वयस्क एवं प्रौढ़ व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर मापन कर सके। अतः मनोविज्ञानशाला द्वारा इस परीक्षण की कार्यविधि की रूपरेखा तैयार की गयी। तकनीकी कर्मचारियों के सतत प्रयास के उपरान्त प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण "शाब्दिक" फार्म "क" तथा "ख" निर्मित हुए।

प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण (शाब्दिक) "क" तथा "ख" दोनों एक दूसरे के विकल्प फार्म हैं। जिन्हें आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। वैसे तो प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण बहुत से निर्मित हो चुके हैं किन्तु शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जगत में उत्तर प्रदेश राज्य पर यह प्रथम परीक्षण है। परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से इन दोनों फार्म "क" और "ख" का मिश्रित रूप बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है।

उद्देश्य :

प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण (शाब्दिक) वयस्क और प्रौढ़ व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर को नापने के लिये निर्मित किया गया है।

परीक्षण विवरण :

यह परीक्षण एक पुस्तिका के रूप में हैं। इसके प्रथम पृष्ठ पर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये निर्देश दिये गये हैं। इनमें 100 पद हैं, जिन्हें हल करने के लिये 1 घंटे का समय है। पदों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं।

(1) समधर्मी (2) आंकिक वर्गीकरण (3) कोड (4) व्यवस्थितिकरण (5) गणित संबंधी तर्कना।

यह परीक्षण प्रौढ़ व्यक्तियों की संश्लेषण, विश्लेषण और तर्कना शक्ति, भाषा ज्ञान तथा आंकिक योग्यता को मापता है।

परिणाम/उपलब्धियाँ :

पदों का सृजन विशेषज्ञों के अनुमोदन पर किया गया है। परीक्षण के मानांक अभी निर्मित नहीं किये गये हैं।

अध्याय—4

परिषद के प्रकाशन

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के सभी विभाग अपने शोध, अध्ययनों, गोष्ठियों कार्यशालाओं और विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं की उपलब्धियों के सन्दर्भ में संलग्न विभिन्न सम-सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य का प्रकाशन कराती रहती है। इन प्रकाशनों में कुछ परिषद स्तर पर तथा कुछ विभिन्न विभागों के स्तर से प्रकाशित किये जाते हैं। परिषद स्तर पर 'समाचार-विचार' (News Vieus) का मासिक प्रकाशन-परिषद को मासिक गतिविधियों को इंगित करता है साथ ही किसी सम-सामयिक विषय पर शिक्षा विशेषज्ञों के विचार भी आमंत्रित किये जाते हैं। वर्ष 1982–83 से परिषद की वार्षिक आख्या का प्रकाशन कृत कार्रवाई से अवगत कराने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1946 से परिषद के वार्षिक वर्क बजट का प्रकाशन परिषद 'समय सारिणी' के रूप में किया जा रहा है ताकि वर्षगत प्रस्तावित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके एवं उनको विधिवत मौनीटरिंग की जा सके।

विभागीय स्तर पर प्रकाशन पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, अध्यापक संदर्शिका, शिक्षण विधियाँ, परीक्षा सुधार मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध-अध्ययन तथा परियोजना-प्रतिवेदन से संबंधित है। इनके अतिरिक्त विभिन्न पत्र/पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा मनीषा तथा जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत चेतना (त्रैमासिक), भारतीय भाषा विभाग द्वारा वाणी (त्रैमासिक) श्रव्य दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा नवज्योति (मासिक) का प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है। "आपका बालक" और व्यावसायिक साधना (दोनों त्रैमासिक प्रकाशन) मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग द्वारा वर्ष 1988 से पुनः प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

परिषद का प्रकाशन-विभाग राज्य में प्रचलित सभी पाठय पुस्तकों का प्रकाशन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में बहुत सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण विषयक साहित्य का राज्य स्तर पर प्रकाशन परिषद द्वारा ही हो रहा है।

वर्ष 1981–1982 से वर्ष 1987-88 तक के प्रकाशन :—

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

क्रमांक	प्रकाशन का नाम	वर्ष/माह
1	शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास (वार्षिक आख्या)	अप्रैल 1983
2	शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास	अप्रैल 1984

3	शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास	1985
4	तदैव 1985-86	1986
5	तदैव 1986-87	1987
6	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की 1987-88 की आख्या समय-सारणी वर्ष 1987-88	1988
7	समय-सारणी वर्ष 1988-89	1988
8	समाचार-विचार (मासिक)	फरवरी 1985 से प्रत्येक मास नियमित प्रकाशन

प्रारम्भिक शिक्षण विभाग

क्रम सं०	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	शिक्षक संदर्शिका - शिक्षा सिद्धान्त (प्रथम प्रश्न पत्र) बी०टी०सी० के नवीन पाठ्य क्रमानुसार	1981
2.	शिक्षक संदर्शिका-मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न पत्र)	1981
3.	शिक्षक संदर्शिका-शिक्षण सिद्धान्त (तृतीय प्रश्न पत्र)	1981
4.	शिक्षक संदर्शिका-प्रारम्भिक शिक्षा की समस्यायें तथा अभिनव प्रवृत्तियां एवं शैक्षिक मूल्यांकन (चतुर्थ प्रश्न पत्र)	1981
5.	शिक्षक संदर्शिका-पाठशाला प्रबंध सामुदायिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पंचम प्रश्न पत्र)	1981
6.	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण द्वितीय पाठ्य क्रम	1982
7.	गूँजते स्वर (राष्ट्रीय एकीकरण पर आधारिक प्रेरक गीत एवं विचार)	1984
8.	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण क्यों और कैसे	1985
9.	शैक्षिक परियोजनाएं	1985

10.	शिक्षा की नवीन संकल्पनाएं	1985
11.	निरीक्षण अधिकारियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण	1985
12.	नैतिक शिक्षा भाग 1 और 2	1986
13.	संस्थान समाचार (त्रैमासिक) अंक 62	1981-82
14.	,, ,, ,, 63	,,
15.	संस्थान समाचार (त्रैमासिक) अंक 64	1981-82
16.	,, ,, ,, ,, 65	1981—82
17.	,, ,, ,, ,, 66	1982—83
18.	,, ,, ,, ,, 67	1982—83
19.	,, ,, ,, ,, 68	1982—83
20.	,, ,, ,, ,, 69	1983—84
21.	,, ,, ,, ,, 70	1983—84
22.	,, ,, ,, ,, 71	1983—84
23.	,, ,, ,, ,, 72	1983—84
24.	,, ,, ,, ,, 73	1984—85
25.	,, ,, (संयुक्तांक) ,, 74–75	1984—85
26.	,, ,, (त्रैमासिक) ,, 76	1984—85
27.	,, ,, (संयुक्तांक) ,, 77–78	1985—86
28.	,, ,, ,, ,, 79–80	1985—86
29.	,, ,, ,, ,, 81–82	1986—87

30.	संस्थान समाचार (त्रैमासिक) अंक 83	1986–87
31.	संस्थान विचार (वार्षिक) अंक 12	1981–82
32.	,, ,, ,, ,, 13	1982–83
33.	,, ,, ,, ,, 14	1984-85
34.	,, ,, ,, ,, 15	1985–86
35.	,, ,, ,, ,, 16	1985–86
36.	,, ,, ,, ,, 17	1986–87
37.	प्रतिभा की किरण	1981
38.	,, ,, ,,	1982
39.	,, ,, ,,	1983
40.	,, ,, ,,	1984
41.	,, ,, ,,	1985
42.	,, ,, ,,	1986
43.	,, ,, ,,	1987
44.	मनीषा बैचारिक पत्रिका	1987
45.	उ० प्र० के प्राइमरी स्कूलों का पाठ्यक्रम कक्षा १ से ५ तक (साप्ताहिक विभाजन)	1986
46.	उ० प्र० के जू० हा० स्कूलों का पाठ्यक्रम कक्षा ६ से ८ तक (साप्ताहिक विभाजन)	1986
47.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा अपर शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारियों का सैद्धान्तिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण सम्बोधन–पत्र	1986

जनसंख्या शिक्षा

1.	जनसंख्या शिक्षा	जनसंख्या शिक्षा का परिचय	1981
2.	,,	डिस्टेन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पापुलेशन एजूकेशन	1981
3.	,,	फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोग्राम आन पापुलेशन एजूकेशन	1982

4.	जनसंख्या शिक्षा दिग्दर्शिका मुख्य विचारणीय विन्दु	1982
5.	जनसंख्या शिक्षा निर्देशिका	1982
6.	जनसंख्या शिक्षा दिग्दर्शिका	1982
7.	जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम (विभिन्न स्तरीय)	1983
8.	पापुलेशन एजूकेशन गाइड बुक	1984
9.	जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम एवं पाठावली (अनौपचारिक शिक्षा)	1984
10.	जनसंख्या शिक्षा पाठावली (प्रारम्भिक स्तरीय)	1985
11.	जनसंख्या शिक्षा शिक्षक संदर्शिका (प्राइमरी स्तरीय)	1985
12.	जनसंख्या शिक्षा शिक्षक संदर्शिका (मिडिल स्तरीय)	1985
13.	जनसंख्या शिक्षा मंजूषा	1986
14.	जनसंख्या शिक्षा फोल्डर	1986
15.	जनसंख्या शिक्षा चार्ट् परिचायिका	1986
16.	जनसंख्या शिक्षा–नई दिशा	1987
17.	जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा ११ तथा १२	1987
18.	जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित आलेख	1987
19.	इण्टरमीडिएट कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा के सम्बोधों समावेश हेतु प्लग प्लाइन्टस	1987
20.	चेतना (त्रैमासिक पत्रिका) अक्टूबर से दिसम्बर तक	1986
21.	,, ,, जनवरी से मार्च तक	1987
22.	,, ,, अप्रैल से जून तक	1987
23.	,, ,, जुलाई से सितम्बर तक	1987

परियोजना–1 ए पोषण स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरणीय स्वच्छता

1.		आओ स्वस्थ रहें—कक्षा १	1984
2.		,, ,, ,, —कक्षा २	1984
3.		,, ,, ,, —कक्षा ३	1984
4.		,, ,, ,, —कक्षा ४	1985
5.		,, ,, ,, —कक्षा ५	1985
6.		आओ स्वस्थ रहें—कक्षा १ शिक्षक संदर्शिका	1984
7.		आओ स्वस्थ रहें—कक्षा २ शिक्षक संदर्शिका	1984
8.		आओ स्वस्थ रहें—कक्षा १ से ५ शिक्षक संदर्शिका	1984
9.		पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरणीय स्वच्छता शिक्षा क्रम (कक्षा १ से ५ तक)	1985
10.	चार्ट एवं पोस्टर	प्रदूषण स्वास्थ्य का दुश्मन	1985
11.	,,	मेरी तन्दुरुस्त आखों का राज	1985
12.	,,	टीके लगवायें, रोगों से बचायें	1985
13	चार्ट एवं पोस्टर	मिली जुली सब्जियां खायें स्वास्थ्य बनायें	1985
14	,,	इन्हें बचाएं	,,
15	,,	सब्जियों का राजा (आलू)	,,
16	,,	संतुलित भोजन, निरोग जीवन	,,
17	,,	आरम्भ भला तो जीवन भला	,,
18	,,	ऐसी स्थिति न आने दें – क्या करें	,,
19	,,	पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (कैलेन्डर)	,,
20	फोल्डर	मिश्रित अन्न, जीवन धन्य	,,

21	फोल्डर	जलना या झुलसना	1985
22	,,	हम इतना तो अवश्य जानें	,,
23.	,,	सावधान ? इसमें करेन्ट है	,,
24.	,,	टेटनस घातक होता है	,,
25	,,	गर्भवती एवं धात्री माताएं–स्वयं अपनी देखभाल कैसे करें	,,
26	,,	लू से कैसे बचें	1986
27	,,	कुपोषण से हानियाँ	1985
28.	,,	घर–बाहर साफ रखें	,,
29.	,,	सफाई – स्वस्थ जीवन का मंत्र है	,,
30.	,,	निर्जलीकरण घातक है	1986
31.	,,	शारीरिक विकास कैसे ?	,,
32.	,,	स्वास्थ्य – खेल (साँप-सीढ़ी)	,,

परियोजना संख्या नं० २

(पाठ्यक्रम नवीनीकरण)

1.	भाषा दीप भाग १ (कक्षा १)	1981
2.	बाल गणित भाग १ (कक्षा १)	,,
3.	शिक्षक संदर्शिका पर्यावरणीय अध्ययन कक्षा १, २	,,
4.	,, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति (कक्षा १—२)	,,
5.	प्राइमरी स्तरीय पाठ्य क्रम कक्षा १ से ५ भाषा एवं गणित	,,
6.	(कक्षा १ से ५ तक) प्राइमरी स्तरीय पाठ्यक्रम अन्य सभी विषय	,,
7.	शिक्षक संदर्शिका भाषा — कक्षा १	,,
8.	,, गणित (कक्षा १)	,,

9.	भाषा दीप – भाग २ (कक्षा २)	1982
10.	बाल गणित भाग – २ (कक्षा २)	,,
11.	शिक्षक संदर्शिका — भाषा कक्षा २	,,
12.	,, गणित कक्षा २	,,
13.	परवेशीय अध्ययन (सामा० अध्य०) कक्षा ५	,,
14.	भाषा दीप – भाग ३ (कक्षा ३)	1983
15.	बाल गणित – भाग ३ (कक्षा ३)	,,
16.	शिक्षक संदर्शिका — भाषा कक्षा ३	,,
17.	,, गणित कक्षा ३	,,
18.	परिवेशीय अध्ययन (सामा० अध्य०) कक्षा ३	,,
19.	,, (विज्ञान) कक्षा ३	,,
20.	शिक्षक संदर्शिका स०उ०का० कक्षा ३	,,
21.	,, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कक्षा ३	,,
22.	,, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल कक्षा ३	,,
23.	परिवेशीय अध्ययन सामा० अध्ययन	,,
24.	जनपद (खण्ड) कक्षा ३	,,
25.	भाषा दीप भाग १ कक्षा १, (संशोधित)	9
26.	,, भाग ४ (कक्षा ४)	1984
27.	बाल गणित भाग ४ (कक्षा ४)	,,
28.	परिवेशीय अध्ययन (सामा० अध्ययन) कक्षा ४	,,
29.	,, (विज्ञान) कक्षा ४	1985
30.	भाषा दीप भाग २, कक्षा २ (संशोधित)	1984

31.	बाल गणित भाग २, कक्षा 2 (संशोधित)	1984
32.	शिक्षक संदर्शिका – सामा० अध्ययन कक्षा १ – २ (संशोधित)	,,
33.	,,, सृजनात्मक अभिव्यक्ति (संशोधित)	,,
34.	, सामा० अध्ययन कक्षा ३ (संशोधित)	,,
35.	,, ,, ,, कक्षा ४ (संशोधित)	,,
36.	,, भाषा कक्षा ४	,,
37.	,, गणित कक्षा ४	,,
38.	शिक्षक संदर्शिका कला, संगीत, नाटक, नृत्य, कक्षा ४	,,
39.	,, –समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	,,
40.	,, स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल कक्षा ४	1984
41.	भाषा दीप भाग – ५ कक्षा ५	1985
42.	बाल गणित भाग–५ कक्षा ५	,,
43.	परिवेशीय अध्ययन (सामा० अध्ययन) कक्षा ५	,,
44.	परिवेशीय अध्ययन (विज्ञान) कक्षा ५	,,
45.	शिक्षक संदर्शिका भाषा कक्षा ५	,,
46.	शिक्षक संदर्शिका गणित कक्षा ५	,,
47.	शिक्षक संदर्शिका (सामा० अध्ययन) कक्षा ५	,,
48.	शिक्षक संदर्शिका (सृजानात्मक अभिव्यक्ति) कक्षा ५	,,
49.	शिक्षक संदर्शिका (समाजोपयोगी उत्पादक कार्य) कक्षा ५	,,
50.	शिक्षक संदर्शिका (स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल) कक्षा ५	,,
51.	भाषा दीप भाग ३ कक्षा ३ (संशोधित)	,,
52.	परिवेशीय अध्ययन (सामा० अध्ययन) (संशोधित)	,,

53.	बाल गणित कक्षा ३ (संशोधित)	1985
54,	परिवेशीय अध्ययन (विज्ञान) संशोधित	,,
55.	शिक्षक संदर्शिका भाषा कक्षा—५	,,
56.	शिक्षक संदर्शिका गणित कक्षा—५	,,
57.	पाठ्यक्रम (कक्षा १—५) संशोधित	,,
58.	भाषा दीप भाग—४ कक्षा—४ (संशोधित)	1986
59.	बाल गणित भाग—४ कक्षा—४ (संशोधित)	,,
60.	परिवेशीय अध्ययन (सामा० अध्ययन) कक्षा—४ संशोधित	,,
61.	परिवेशीय अध्ययन (विज्ञान) कक्षा—४ (संशोधित)	,,
62.	शिक्षक संदर्शिका भाषा कक्षा—४ (संशोधित)	,,
63.	शिक्षक संदर्शिका-गणित कक्षा—४ (संशोधित)	,,
64.	शिक्षक संदर्शिका-सामा० अध्ययन कक्षा—४ (संशोधित)	,,

सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता में विकासात्मक क्रियाकलाप परियोजना सं० 3

1.	मातृ शिशु की देखभाल (संशोधित)	1981
2.	प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या	1981
3.	शिक्षा कक्षाओं हेतु शिक्षक संदर्शिका	1981
4.	गुड़िया और बाँस के खिलौने बनाना	1982
5.	सन्तुलित भोजन—क्या, क्यों और कितना खायें	1982
6.	नन्हें-मुन्नों को बचायें	1982
7.	पर्यावरण की स्वच्छता	1982
8.	मिट्टी और पेपर के खिलौने	1982

9.	भाषा भारती भाग—१ शिक्षक संदर्शिका	1982
10.	भाषा भारती भाग—१ (संशोधित)	1983
11.	आओ हम भी पढ़े	1983
12.	फल संरक्षण	1983
13.	चमड़े का झोला और बैग बनाना	1983
14.	अपना उद्योग स्थापित करें	1983
15.	वृक्ष हमारे साथी	1983
16.	रसोई बाटिका	1983
17.	परियोजना की आन्तरिक मूल्यांकन आस्था	1983
18.	सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों के सम्मेलन की आस्था	1983
19.	भाषा भारती भाग—१	1984
20.	बाल गणित भाग—१	1984
21.	बाल गणित भाग—२	1985
22.	शिशु शिक्षा	1985
23.	उजाले की ओर	1986
24.	शिक्षक संदर्शिका	1986
25.	स्वास्थ्य शल्याका प्रश्नावली	1986
26.	अब और नहीं	1986
27.	धुआँ उगलता चूल्हा और वायोगैस	1986
28.	साधन के दुर्लभ कुछ नहीं	1986
29.	घर फूंक तमासा क्यों देखें	1986
30.	नन्हें-मुन्नें को गूंगा बहरा होने से बचायें	1986

पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ परियोजना सं० 4 बी

1.	पूर्व प्राथमिक शिक्षा संदर्शिका	1984
2.	शिशु गीत	,,
3.	प्यारी-प्यारी मेरी माँ	1985
4.	कैसे जानते हैं ?	,,
5.	हमारे मददगार-लोहार	,,
6.	हमारे मददगार-डाकिया	,,
7.	हमारे मददगार बढ़ई	,,
8.	इलाहाबाद की सैर	,,
9.	आओ खेलें होली	,,
10.	माचिस की तीलियों से आकृतियां बनायें (फोल्डर)	,,
11.	हमारे शत्रु मक्खी, मच्छर	,,
12.	आओ खेले	1986
13.	पोल खुल गई	1987
14.	कलेण्डर	,,
15.	चार्ट (पूर्व प्राथमिक शिक्षा कैसे)	,,

परियोजना संख्या 5 प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम (केप)

1.	ढाक के पत्तों से पत्तल बनायें	1983
2.	अपशकुनों का विचार छोड़ें	,,
3.	मिट्टी का कटाव रोकें	,,
4.	सही इलाज करें, झाड़ फूंक से बचे	,,

5.	सोयावीन से दूध बनायें	1983
6.	दुधारू पशुओं को उचित आहार खिलायें, लाभ उठायें	,,
7.	आँख की देखभाल करें	,,
8.	जलने पर प्राथमिक उपचार करें	,,
9.	घर की सफाई	1984
10.	मोमबत्ती बनायें धन कमायें	,,
11.	आओ कान की देख भाल करें	,,
12.	सांचे द्वारा मिट्टी के बर्तन बनायें	,,
13.	कपड़ा धोने का पाउडर बनायें	,,
14.	मार्ग संकेतों को जाने	,,
15.	विवाह सम्बन्धी कुरीतियाँ	,,
16.	गाँव का विकास करें	,,
17.	आसन करें स्वस्थ रहें	,,
18.	शुद्ध हवा में सांस लें	,,
19.	शुद्ध पानी का प्रयोग करें	,,
20.	कुपोषण से बचे	,,
21.	शरीर साफ रखें	,,
22.	नाक की देखभाल करें	,,
23.	डूबे हुए व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करें	1985
24.	१ से ६ तक की गिनती में जोड़ घटाना सीखें	,,
25.	११ से ५० तक की गिनती में जोड़ घटाना सीखें	,,
26.	५० से ऊपर ,, ,,	,,

27.	बस्ती का विकास करें	1985
28.	सरसों की खेती करें	,,
29.	भण्डारण करें	,,
30.	गृह वाटिका लगायें	,,
31.	सब्जी की खेती करें	,,
32.	पूनी बनायें	,,
33.	सूत कातें, धन कमायें	,,
34.	मुँह की शोभा दाँतों से	,,
35.	आँवले का मुरब्बा बनायें	,,
36.	प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा करें	1987
37.	पकड़ी गई मछलियों को सड़ने से बचायें	,,
38.	पीने के पानी की व्यवस्था करें	,,
39.	दूध बेचें धन कमायें	,,

अनौपचारिक शिक्षा एकक

क–पाठ्य पुस्तकें

1.	ज्ञानदीप भाग १	1981 से
2.	ज्ञानदीप भाग २	1987 के मध्य
3.	ज्ञानदीप भाग ३ (दो खण्डों में)	
4.	ज्ञानदीप भाग ४ (दो खण्डों में)	
5.	ज्ञानदीप भाग ५ (दो खण्डों में)	

ख—पाठ्यक्रम एवं अन्य साहित्य

1.	अनौपचारिक शिक्षा प्राइमरी एवं मिडिल स्तरीय पाठ्यक्रम	1982
2.	अनौपचारिक शिक्षा शिक्षक निर्देशिका	1982
3.	नान फारमल एलीमेंटरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश	1983
4.	उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा	1983
5.	अनौपचारिक शिक्षा शिक्षक संदर्शिका	1987
6.	अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षण	"
7.	प्रेरणा 1977 (दिसम्बर अंक)	"
8.	अनौपचारिक पोस्टर	1987
9.	अनौपचारिक शिक्षा फोल्डर	1987
10.	वर्णमाला चार्टस्	1983
11.	अनौपचारिक शिक्षा सर्वेक्षण प्रपत्र	1983
12.	प्रेरणा मार्च अंक	1988

भारतीय तथा हिन्दी भाषा विभाग

क्रमांक	नाम प्रकाशन	वर्ष
1	हिन्दी शिक्षक निर्देशिका (कक्षा ६, ७, ८)	1981–82
2.	आओ बर्तनी सुधारें (पूर्व माध्यमिक स्तर)	,,
3.	आओ बर्तनी सुधारें (माध्यमिक स्तर)	,,
4.	भोजपुरी भाषा–भाषी छात्रों के हिन्दी अध्ययन पर भोजपुरी का प्रभाव	,,
5.	छात्रों की शब्द सम्पदा का अध्ययन (पू०मा० स्तर)	,,
6.	बर्तनी की अशुद्धियां वर्गीकरण एवं सुधार (पू० मा० स्तर)	1982–83
7.	बर्तनी की अशुद्धियाँ वर्गीकरण एवं सुधार (प्रा० स्तर)	,,
8.	बर्तनी की अशुद्धियां वर्गीकरण एवं सुधार (मा० स्तर)	,,
9.	राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी (कविता संग्रह)	1983–84
10.	उच्चारण संदर्शिका	1984–85
11.	हिन्दी शब्द संपदा	1984–85
12.	हिन्दी की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियों में प्रचलित शब्दों का अध्ययन	1985–86
13.	लोकोक्ति एवं मुहावरे (मा० स्तर)	1986–87
14.	छात्रों की भाषागत त्रुटियों का अध्ययन (माध्यमिक स्तर)	1986–87
15.	कहानी–शिक्षण	1987–88
16.	गद्य शिक्षण	,,
17.	पद्य शिक्षण	,,

18.	हिन्दी व्याकरण	1987–88
19.	सुलेख	,,

विभाग की नियमित त्रैमासिक पत्रिका–वाणी का प्रकाशन

1.	वाणी	1981–82
2.	वाणी	1981–82
3.	वाणी	1982–83
4.	वाणी (राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी विशेषांक)	1983–84
5.	वाणी (हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियां-विशेषांक)	,,
6.	वाणी (अन्य भाषायी प्रवेश और हिन्दी विशेषांक)	1984–85
7.	वाणी (हिन्दी गद्य शिक्षण-विशेषांक)	,,
8.	वाणी (हिन्दी पद्य शिक्षण-विशेषांक)	,,
9.	वाणी (हिन्दी भाषा शिक्षण विशेषांक)	,,
10.	वाणी (हिन्दी व्याकरण शिक्षण विशेषांक)	1985–86
11.	वाणी (हिन्दी साहित्य विशेषांक)	,,
12.	वाणी (हिन्दी उच्चारण शिक्षण-विशेषांक)	,,
13.	वाणी (हिन्दी गद्य शिक्षण मा० स्तर विशेषांक)	,,
14.	वाणी	1986–87
15.	वाणी	1986–87
16.	वाणी	1986–87
17.	वाणी	1986–87
18.	वाणी	1987–88
19.	वाणी	,,
20.	वाणी	,,
21.	वाणी	,,

विदेशी भाषा तथा अंग्रेजी बिभाग

क्रमांक	नाम प्रकाशन	वर्ष
1.	Improving Teaching of English at the middle stage. "A study of Public's Error in English in Junior High School"	1984
2.	Improving Teachers Pronunciation of English. "An Analyais of the Error of English Sonda in the Pronunciation of Traders of "English and Production of" Remadial Materials.	1984
3.	Effective Teaching of English "Suggestions for Bringing improvement in the Teaching of English Grammer part I	1984
4.	A reference Book of Literacy Henitage in English.	1984
5.	A study of Errors in written English committed by High School in U.P.	1985
6.	Improving Teachers pronunciation of English "Script of the tape material for teachers teaching English in Class IX of & X of U. P.	1985
7.	Bulletin of English Language Teaching Institute.	1985
8.	Recrientation Course in the Teaching of English at High School Stage.	1985
9.	Improvement of English Spelling of the students studying at Junior High School Stage.	1987
0.	Ways of Increasing support material to the teachers of English for oral work in the Class Room.	1987
1.	Effective Teaching of English suggestions for Bringing Improvement in the Teaching of English Grammer Part II	1988

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

क्रमांक	प्रकाशन का नाम	वर्ष
1.	संस्थान की शोध परियोजनायें भाग १	1981
2.	संस्थान की शोध परियोजनायें भाग २	,,
3.	परियोजिका (परिचायिका)	,,
4.	एल० टी० (सामान्य) पाठ्यक्रम का प्रथम प्रारूप	,,
5.	एल० टी० (सामान्य) पाठ्यक्रम जुलाई 83 से प्रभावी	,,
6.	अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा शिक्षक संदर्शिका	1982
7.	नये दसवर्गीय पाठ्यक्रम में आन्तरिक मूल्यांकन (शिक्षक संदर्शिका)	,,
8.	उपचारात्मक शिक्षण (शिक्षक संदर्शिका)	,,
9.	सामाजिक विज्ञान की संकल्पना और शिक्षण विधि	,,
10.	उत्तर प्रदेश में प्रतिभाशाली छात्रों की आवासीय शिक्षा योजना का अध्ययन	,,
11.	एल० टी० पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की उपलब्धियों का विषलेषणात्मक	,,
12.	माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा सुविधाओं की विषलेषणात्मक	,,
13.	अध्यापकों में वांछित गुणों का धारण,छात्रों अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों की दृष्टि में	1982
14.	निदानात्मक परीक्षण (सामाजिक विषय)	1983
15.	रा० उ०मा० विद्यालयों के प्रधानाचार्यों (सेवारत) के लिए प्रबन्धकीय विकास प्रशिक्षण	1984
16.	रा०उ०मा० विद्यालयों, रा०इ०का० के प्रधानों का प्रबन्धकीय विकास प्रशिक्षण की संक्षिप्त आख्या।	,,
17.	क्रियात्मक अनुसंधान कार्यशाला	,,

18.	गीतमाला (प्राथमिक कक्षाओं के लिए)	1984
19.	सतत शिक्षा प्रशिक्षण (प्रगति विवरणिका)	1985
20.	(किशोर) गीतमाला	1986
21.	रा०शै०अ०वि० संस्थान संक्षिप्त परिचय हिन्दी	,,
22.	,, ,, अंग्रेजी	,,
23.	शिक्षा में नव चिन्तन	1987
24.	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण सर्वेक्षण एवं सुधार	,,
25.	माध्यमिक विद्यालयों की प्रचलित निरीक्षण व्यवस्था का अध्ययन	,,
26.	विद्यालयीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा	,,
27.	व्यावसायिक शिक्षा-शिक्षा का एक अनिवार्य आयाम	,,
28.	छात्रों में श्रम के प्रति आस्था एवं दायित्व बोध के विकास में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की भूमिका—एक अध्ययन	,, ,,
29.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम-निर्माण की कार्यशाला	,,
30.	माध्यमिक विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन	1987-88
31.	सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा	,,

विज्ञान और गणित शिक्षा विज्ञान

क्रमांक	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी 81	1981
2.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी 82	1982
3.	राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी विवरण पत्रिका एवं प्रदर्शनी निर्देशन - 1981 के कुछ पुरस्कृत प्रतिमानों सहित	,,
4.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी—83	1983
5.	राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी–विवरण पत्रिका एवं प्रदर्शनी निर्देशन—1982 के कुछ पुरस्कृत प्रतिमानों सहित	,,
6.	राष्ट्रीय प्रतिज्ञा खोज हेतु दिग्दर्शिका	,,
7.	शिक्षक संदर्शिका–नये दस वर्षीय विषय पाठ्यक्रम के लिए	1984
8.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी—84	,,
9.	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु निर्देशिका	,,
10.	राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी विवरण पत्रिका एवं प्रदर्शनी निर्देशन–1983 के कुछ पुरस्कृत प्रतिमानों सहित	,,
11.	All India Science Education programme.	1984
12.	Science Syllabus at 2 Stage of Secondary School in Uttar Pradesh.	1984
13.	A.I.S.E.P. Workshop Chemistry.	1984
14.	A.I.S.E.P. Workshop Biology.	1984
15.	A.I.S.E.P. Workshop Physics.	1984
16.	A.I.S.E.P. Workshop Assessment in Physics Chemistry and Biology.	1984

1	2	3
17.	विज्ञान संस्थान पत्रिका	1984
18.	प्रारम्भिक स्तरीय विज्ञान एवं गणित पाठ्यक्रम संशोधम कार्यशाला (20-7-85–24-7-85)	1985
19.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी —85	,,
20.	राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी विवरण पत्रिका एवं प्रदर्शनी निदेशक 1984 के कुछ पुरस्कृत प्रतिमानों सहित	,,
21.	जूनियर हाई स्कूल जीव विज्ञान किट संदर्शिका एवं प्रायोगिक कार्य दिग्दर्शिका कक्षा ६, ७ तथा ८ के लिए	,,
22.	हाई स्कूल विज्ञान १ न्यूनतम उपकरण एवं प्रयोगशाला हेतु संदर्शिका	,,
23.	जूनियर हाई स्कूल रसायन विज्ञान किट संदर्शिका एवं प्रायोगिक कार्य दिग्दर्शिका कक्षा ६, ७ तथा ८ के लिए	1986 ,,
24.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी 1986	,,
25.	विज्ञानोदय	,,
26.	विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम-शिक्षक संदर्शिका प्राइमरी स्तर	1987
27.	विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम-शिक्षक संदर्शिका जूनियर हाई स्कूल स्तर	,,
28.	राज्य विज्ञान प्रदर्शनी 1987	,,
29.	माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इण्टर मीडिएट विज्ञान प्रयोग शालाओं हेतु न्यूनतम उपकरणों एवं सामग्रियों की सूची	,,

श्रव्य-दृश्य और शिक्षा प्रसार विभाग

क्रमांक	नाम प्रकाशन		वर्ष
1–नवजोति मासिक पत्रिका (नियमित मासिक प्रकाशन)—			
	अप्रैल	1981	1981-82
	मई	,,	,,
	जून	,,	,,
	जुलाई	,,	,,
	अगस्त	,,	,,
	सितम्बर	,, शिक्षक दिवस	,,
	अक्टूबर	,, प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
	नवम्बर	,, बाल दिवस अंक	,,
	दिसम्बर	,,	,,
	जनवरी	1982	,,
	फरवरी	,,	,,
	मार्च	,,	,,
नवजोति मासिक पत्रिका—			
	अप्रैल	1982	1982-83
	मई	,,	,,
	जून	,,	,,

जुलाई	1982		1982-83
अगस्त	,,		,,
सितम्बर	,,	शिक्षक दिवस	,,
अक्टूबर	,,	प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
नवम्बर	,,	बाल दिवस अंक	,,
दिसम्बर	,,		,,
जनवरी	1983		,,
फरवरी	,,		,,
मार्च	,,		,,

नवज्योति मासिक पत्रिका

अप्रैल	1983	किसान अंक	1983–84
मई	,,	उद्योग अंक	,,
जून	,,	कथा अंक	,,
जुलाई	,,	स्वास्थ्य रक्षा अंक	,,
अगस्त	,,	स्वतन्त्रता दिवस अंक	,,
सितम्बर	,,	शिक्षक दिवस अंक	,,
अक्टूबर	,,	प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
नवम्बर	,,	बाल दिवस अंक	,,
दिसम्बर	,,	युवा अंक	,,
जनवरी	1984	नव वर्ष अंक	,,
फरवरी	,,	महिला अंक	,,
मार्च	,,	होली अंक	,,

नवज्योति मासिक पत्रिका

अप्रैल	1984	किसान अंक	1984-85
मई	,,	उद्योग अंक	,,
जून	,,	कथा अंक	,,
जुलाई	,,	स्वास्थ्य रक्षा अंक	,,
अगस्त	,,	स्वतन्त्रता दिवस अंक	,,
सितम्बर	,,	शिक्षक दिवस अंक	,,
अक्टूबर	,,	प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
नवम्बर	,,	बाल दिवस अंक	,,
दिसम्बर	,,	युवा अंक	,,
जनवरी	1985	नववर्ष अंक	,,
फरवरी	,,	महिला अंक	,,
मार्च	,,	होली अंक	,,

नवज्योति मासिक पत्रिका

अप्रैल	1985	किसान अंक	वर्ष 1985-86
मई	,,	उद्योग अंक	,,
जून	,,	कथा अंक	,,
जुलाई	,,	स्वास्थ्य रक्षा अंक	,,
अगस्त	,,	स्वतन्त्रता दिवस अंक	,,
सितम्बर	,,	शिक्षक दिवस अंक	,,
अक्टूबर	,,	प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
नवम्बर	,,	बाल दिवस अंक	,,

दिसम्बर	,,	युवा अंक	1985–86
जनवरी	1986	नव वर्ष अंक	,,
फरवरी	,,	महिला अंक	,,
मार्च	,,	होली अंक	,,

नवज्योति मासिक पत्रिका 1986–87

अप्रैल	1986	किसान अंक	,,
मई	,,	उद्योग अंक	,,
जून	,,	कथा अंक	,,
जुलाई	,,	स्वास्थ्य रक्षा अंक	,,
अगस्त	,,	स्वतन्त्रता दिवस अंक	,,
सितम्बर	,,	शिक्षक दिवस अंक	,,
अक्टूबर	,,	प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
नवम्बर	,,	बाल दिवस अंक	,,
दिसम्बर	,,	युवा अंक	,,
जनवरी	1987	नव वर्ष अंक	,,
फरवरी	,,	महिला अंक	,,
मार्च	,,	होली अंक	,,
अप्रैल	,,	किसान अंक	1987–88
मई	,,	उद्योग अंक	,,
जून	,,	कथा अंक	,,
जुलाई	,,	स्वास्थ्य रक्षा अंक	,,

अगस्त	1987	स्वतन्त्रता दिवस अंक	1987–88
सितम्बर	,,	शिक्षक दिवस अंक	,,
अक्टूबर	,,	प्रौढ़ शिक्षा अंक	,,
नवम्बर	,,	बाल दिवस अंक	,,
दिसम्बर	,,	युवा अंक	,,
जनवरी	1988	नव वर्ष अंक	,,
फरवरी	,,	महिला अंक	,,
मार्च	,,	होली अंक	,,

2—नवसाक्षारोपयोगी साहित्य का सृजन एवं प्रकाशन

क्रमांक	पुस्तक का नाम	प्रकाशन का माह व (मुद्रण कार्य हुआ)
1.	छुआ-छूत	दिसम्बर 1.98
2.	सुवह का भूला	,,,
3.	नया सबेरा	,,,
4.	खेती के कीट रोग और उपचार	,,,
5.	नेकी की राह चलो	,,,
6.	वन सम्पदा	,,,
7.	आगे कैसे बढ़ें	अप्रैल 198
8.	गोबर गैस	,,
9.	खेती और उर्वरक	जुलाई 19
10.	टुकड़े टुकड़े जमीन	अगस्त ,,

11.	नया सूरज	अगस्त 1985
12..	लोक कथाएं	दिसम्बर 1985
13..	हमारा स्वास्थ्य	,,
14..	गांव के लिए गांव की ओर	फरवरी 1986
15..	पशुओं के मुख्य रोग और उपचार	,,
16..	लम्बी कतार क्यों	,,
17..	हरियाली और खुशहाली	जुलाई ,,
18..	सामाजिक न्याय	अगस्त ,,
19..	सुखी गांव अगस्त 1986	,,
20..	सब के लिए शिक्षा	,,
21.	स्वास्थ्य और पोषण	सितम्बर ,,
22.	चतुरी काका की चौपाल	अक्टूबर ,,
23.	देश प्रेम बंबंधी गीत एवं कविताएं	नवम्बर ,,
24.	उत्तर प्रदेश के लोक गीत	दिसम्बर ,,
25.	भोजपुरी लोकगीत और हमारा जनजीवन	सितम्बर 1987
26.	उ०प्र० के प्रमुख पर्वतीय स्थल	मुद्रण कार्य आरम्भ

[प्रथम खण्ड]

प्रकाशन के लिए अनुमोदित पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं

27.	हम और हमारा देश	1984–85	अमुद्रित
28.	अंतरिक्ष में भारतीय चरण	,,	,,
29.	सुख के साधन	,,	,,
30.	जन संचार के प्रमुख माध्यम	1985–86	,,

31.	स्वतंत्र भारत के बढ़ते चरण (प्रथम खण्ड)	1985–86	अमुद्रित
32.	नदी एक धारा अनेक	,,	,,
33.	उ०प्र० के प्रमुख दर्शनी स्थल (द्वितीय खण्ड)	1986–87	,,
34.	स्वतंत्र भारत के बढ़ते चरण (द्वितीय खण्ड)	,,	,,
35.	अवधी लोकगीत और हमारा जनजीवन	,,	,,
36.	अपनी धरती अपना देश	,,	,,
37.	मैथिलीशरण गुप्त जीवन और साहित्य	1987–88	मुद्रित
38.	अमरवाणी	,,	,,
39.	ब्रजलोक गीत और हमारा जनजीवन	,,	,,
40.	आखिर कब तक	,,	,,

3. श्रव्य दृश्य शिक्षा सम्बन्धी साहित्य

क्रमांक	प्रकाशन का नाम	मुद्रण का वर्ष
1.	कम व्ययशील श्रव्य दृश्य उपकरण	1983–84
2.	श्रव्य दृश्य शिक्षा के प्रक्षेप उपकरण	1985–86
3.	श्रव्य दृश्य शिक्षा के नये आयाम	1986–87
4.	स्थिर चित्रांकन मुद्रणाधीन	1987–88

मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग

क्र०सं०	प्रकाशन का नाम	वर्ष
1	An Investigetion into the preictive Capability of the integrated scholar ship Examination for selection of Monitonous Students for special Education in Uttar Pradesh.	1984
2.	A Catalogue of Indian Tests Compiled by Bureau of Psychology U.P., Allahabad.	1984
3.	उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा(छात्रों और अध्यापकों के लिए) तथा मनोविज्ञानशाला और मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के अन्य कार्य	1984
4.	प्रदेश के मनोवैज्ञानिक सेवा—एक परिचय	1985
5.	विद्यार्थियों के व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव	,,
6.	खेल निरीक्षण द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व के स्वरूप का अध्ययन	,,
7.	वर्ष 1984–85 मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के शैक्षिक कार्यकलापों की विवणिका	,,
8.	मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 'एक परिचय' (फोल्डर)	,,
9.	चित्र कथानक परीक्षण—निर्देशिका	1986
10.	बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण (चिल्ड्रेन एण्ड सैप्सन टेस्ट) द्वारा उत्तर प्रदेश के बालक/बालिकाओं की मनोविज्ञान प्रतिक्रियाओं का अध्ययन	,,
11.	राज्य मनोविज्ञान, उ०प्र० इलाहाबाद "समस्यायें आपकी, सुझाव हमारे"	,,
12.	राज्य मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रदेश की आवासीय योजना	,,
13.	आवासीय विद्यालयीय, भारत सरकार छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा निर्देशिका	,,
14.	वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण (कक्षा १ में उच्च विज्ञान तथा उच्च गणित में प्रवेश हेतु)	,,
15.	खेल अभिरुचि परीक्षण (आयु १४ से)	1987
16.	शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण 'इंगलिश वरसयन' (कक्षा ६ के छात्रों के प्रवेश चयन हेतु)	,,
17.	प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण	,,

शैक्षिक तकनीकी विभाग

1.	सेवारत अध्यापकों के लाभार्थ रेडियो वार्ता माला	1979
2.	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक दूरदर्शन योजना की रूपरेखा	1982
3.	रेडियो पर लेखन प्रशिक्षण स्मारिका	1986
4.	अध्यापक कण्टोडियन संदर्शिका अनौपचारिक शिक्षा एकक	

अध्याय —5

हमारा भविष्य

भविष्य अदृश्य होता है लेकिन भविष्य निर्माण की मूल कल्पना ही शिक्षा का स्रोत है और इसीलिये इसे वर्तमान और भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन माना है। शिक्षा की प्रकृति, भूमिका और प्रक्रिया की विशेषता यही है कि वह सामयिक हो अतीत के दायित्व निर्वहन के साथ ही उदीयमान भविष्य के प्रति उन्मुख हो। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इन्हीं समीकरणों को स्थापित कर एक अग्रदर्शी की भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा का गुणात्मक विकास एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जो अनुरेखीय न होकर एक आवर्ती प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया का सुनियोजित सुविचारित होना जरूरी हैं, तभी शिक्षा का भविष्य संगतिमान बनाने में हम सफल होंगे। प्रश्न चाहे शिक्षा व्यवस्था का हो या विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन अथवा शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देने का, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका अहम् हो जाती हैं। इसी परिपेक्ष्य में परिषद की अनेक योजनायें हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, डायट की स्थापना, पाठ्यक्रम नवीनीकरण एवं पाठ्य पुस्तकों की रचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक सम्भावनाएं तथा सेवापूर्ण और सेवाकालीन प्रशिक्षण कुछ ऐसे विषय हैं जिनका शिक्षा के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए परिषद का अकादमिक और प्रशासनिक दृष्टि से संपन्न होना भी जरूरी है इसी सम्पन्नता के लिए परिषद में कुछ नये विभागों को खोलने का प्रस्ताव है।

परिषद में नये विभागों का सृजन

1.1 शैक्षिक प्रशासन और नियोजन विभाग :

शैक्षिक नियोजन, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से केन्द्र के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विभाग की तरह प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन संबंधी एक नया विभाग राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा।

इस विभाग की भूमिका प्रदेश स्तर की शैक्षिक उपलब्धियों की संप्राप्ति में विशेष रूप से होगी। शैक्षिक प्रोद्योगिकी संबंधी विभिन्न पहलुओं पर योजनाओं के प्रतिरूप विकसित कर, नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन पक्ष को रेखांकित करते हुए, उसका सतत मूल्यांकन इस प्रकार करना कि शैक्षिक आयोजक एवं प्रबंधक अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर सूझ—बूझ के साथ कर सकें। विभाग के विस्तृत कार्यक्षेत्र को देखते हुए इसमें दस अनुभाग प्रस्तावित हैं, ताकि शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन को व्यावहारिक रूप दिया जा सके।

1.2 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग :

प्रगतिशील समाज में नित्य नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में देश, काल और समाज की आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षित पाठ्यक्रम और इसमें निरन्तर शोध एवं मूल्यांकन की व्यवस्था आवश्यक है। इसी उददेश्य की पूर्ति के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत पाठ्यक्रम शोध तथा मूल्यांकन विभाग की स्थापना प्रस्तावित है। पाठ्यक्रम संरचना तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरुपता की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग को भी इस नए विभाग में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

1.3 **व्यवसायपरक शिक्षा विभाग :**

शिक्षा तथा कार्य को एक साथ जोड़ने के महत्व को समझते हुए +2 स्तर (इण्टरमीडिएट) पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई हैं, जिसका उद्देश्य छात्र–छात्राओं को व्यवसाय दिलाने का न होकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देना और व्यवसाय विशेष में न्यूनतम क्षमता विकसित करना है, ताकि विशेष परिस्थितियों में वे स्वरोजगार द्वारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें, साथ ही ऐसे विद्यार्थियो को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सके, जो बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्यवसायपरक शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भावी नागरिकों में स्वयं को महत्ता, सम्मान और कार्य कुशलता की भावना को जागृत कर श्रम के निष्ठा एवं दायित्व की भावना का विकास है। अतः व्यवसायपरक पाठ्यक्रम निर्माण में सहभागिता देने,क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के संदर्भ में सर्वेक्षण करने तथा शोध एवं मूल्यांकन हेतु परिषद में व्यवसायपरक शिक्षा विभाग की स्थापना प्रस्तावित की गई है, ताकि व्यवसायीकरण के व्यवहार्य स्वरुपों को विकसित कर कुछ नए आयाम स्थापित किये जा सकें।

2.1 **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट :**

केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रारम्भिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न स्तर के शिक्षकों, कार्यकर्ताओं एवं अन्य कर्मियों के शैक्षिक और प्राविधिक स्तर में सुधार तथा उन्नयन के उददेश्य से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में डायट स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वास्तव में डायट की स्थापना शिक्षा के सार्वजनीकरण में एक अहम् कदम हैं क्योंकि ऐसे बच्चों तथा वयस्कों की शिक्षा का प्रबन्ध करना जो एक लम्बे अरसे से समाज का उपेक्षित वर्ग हैं, डायट का मूल्य उददेश्य हैं। इन संस्थानों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम तकनीकी तथा प्रबन्ध और नियोजन की शैक्षिक जानकारी, शोध अभिनव प्रयोग और समस्यामूलक शैक्षणिक सामग्रियों का निर्माण तथा नवीनतम उपलब्धियों को ऐसे ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने की संकल्पना की गई है जिन्हें इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं अथवा जो दूरस्थ होने के कारण अभी तक सुविधाओं से अपवंचित है।

2..2 **प्रमुख उद्देश्य :**

—प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार।

—ग्रामीण अंचलों तक अधुनातम शैक्षणिक संबोधों एवं तकनीकी विकास को पहुंचाना।

—शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य में सक्रिय योगदान।

—शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं तथा प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था करना।

—सेवाकालीन तथा पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रभावी नियोजन एवं सचालन।

2.3 **कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु डायट में निम्नलिखित शाखाएँ होंगी :**

—सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण।

—सेवारत प्रशिक्षण तथा प्रसार सेवाएं ।

—प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए जनपद संसाधन इकाई।

—नियोजन एवं प्रबंध ।

—शैक्षिक तकनीकी ।

—कार्यानुभव ।

—पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन ।

—प्रशासनिक शाखा ।

—पुस्तकालय अनुभाग ।

2.4 प्रदेश के सभी जनपदों में डायट स्थापना का कार्य तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण (1987–88) के अंतर्गत 20 जनपदों में से 11 जनपदों में डायट के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पुस्तकों तथा अन्य उपकरणों के क्रय की व्यवस्था की जा रही है। इस हेतु भारत सरकार से प्रथम किस्त के रूप में 5 करोड़ 36 लाख 46 हजार की धनराशि सम्प्रति उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हो चुकी है। द्वितीय चरण (1988–89) के 20 जनपदों में डायट स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इस हेतु 3 करोड़ 3 लाख 87 हजार की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तृतीय चरण (1989–90) के 23 जनपदों में डायट स्थापना के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) विज्ञान किट निर्माणशाला :

विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने की दृष्टि से भारत जर्मन परियोजना "इम्प्रूव्ड साइंस एजूकेशन इन प्राइमरी एण्ड मिडिल स्कूल्स आफ यू० पी० एण्ड एम० पी०" के अन्तर्गत परिषद के विज्ञान और गणित विभाग के प्रांगण में विज्ञान किट निर्माणशाला की स्थापना की गई है। कार्यशाला का भवन रुपया 14.91 लाख की लागत से निर्मित किया गया है। जर्मनी से प्राप्त आवश्यक मशीनें तथा सयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों के लिए इन्टीग्रेटेड किट के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। एम० सी० ई०आर०टी० द्वारा इस परियोजना का समन्वयन एवं अनुवीक्षण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 90–91 में होने वाले व्यय हेतु 4 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, भविष्य में विज्ञानशाला द्वारा प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध करा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी इस परियोजना का एक मुख्य भाग है। आशा है भविष्य में परियोजना द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अपेक्षित गुणात्मक विकास किया जा सकेगा।

(4) व्यावसायिक शिक्षा :

शिक्षा के व्यावसायीकरण और कार्योन्मुख शिक्षा को कारगर बनाने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा के संबंधित सर्वेक्षण तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंपा गया है।

व्यावसायिक शिक्षा स्वयं अपने में शिक्षा की एक विशिष्ट धारा होगी, जिसके अन्तर्गत शोध/सर्वेक्षण/प्रशिक्षण का कार्य परिषद द्वारा सम्पन्न की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में परिषद के पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रस्ताव भी है।

(5) शैक्षिक तकनीकी :

पिछले दो दशकों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नवीन तकनीकी विधाओं ने शिक्षण-अधिगम की नवीन प्रणालियों और विधाओं को रेखांकित किया हैं। परिषद द्वारा इनका उपयोग शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक सुधार की दिशा में शिक्षण और प्रशिक्षण के अन्तर्गत किया जा रहा है।

इनसेट परियोजना 1-बी के अन्तर्गत परिषद के शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा 5-8 तथा 9-11 वय-वर्ग के बाच्चों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका प्रसारण दिल्ली केन्द्र द्वारा किया जाता है। इसी योजनान्तर्गत गोरखपुर, आजमगढ, बस्ती के 898 प्राइमरी विद्यालयों में टी. वी. सेट उपलब्ध कराए गए हैं।

शैक्षिक तकनीकी की नवीन योजनान्तर्गत भारत सरकार की व्यय की 75% सहायता से सम्प्रति 1020 रंगीन टी०वी० सेट प्राइमरी विद्यालयों को तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत 16435 प्राइमरी विद्यालयों को टू-इन-वन रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर दिये जायेंगे। आशा है भविष्य में यह योजना एक सतत प्रक्रिया के रूप में नाए आयाम स्थापित करेगी।

(6) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा योजना :

प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को पहचान कर राष्ट्र की अमूल्य थाती के रूप में उनका शैक्षिक पोषण परिषद के प्रमुख दायित्वों में से एक है। राज्य स्तर पर इस योजना के व्यापक प्रचार और प्रसार का दायित्व परिषद के मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग का है। गत दो वर्षों में वर्ष 1988 में 73 तथा 1989 में 71 छात्रों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय रहा। आशा है भविष्य में निश्चित रूप से प्रदेश प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित होने में सफल होगा।

(7) वृहत् शिक्षक अभिनवीकरण-कार्यक्रम :

प्रदेश स्तर पर वृहत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एत. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली के तत्वावधान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 1986 से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अब तक प्राइमरी एवं माध्यमिक स्तर के लगभग 2,46,860 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(8) यूनिसेफ तथा यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं :

परिषद द्वारा संयोजित बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत शिशु शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम नवीनीकरण के प्रयास किए गए है, ताकि पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समग्र शिक्षा के रूप में विकसित किया जा सके। इन परियोजनाओं में पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण, सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता, पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम (केप) परियोजनाएं परिषद के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

NIEPA. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg, NewDelhi-110016
DOC. No.... D-5311.........
Date.......18-8-90.......

(9) परिषद का शैक्षिक जर्नल :

प्रदेश स्तर पर सामयिक शैक्षिक विषयों एवं गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से परिषद द्वारा एक त्रैमासिक शैक्षिक जर्नल प्रकाशित किया जाएगा—ताकि शैक्षिक चिंतन को सृजनात्मकता से जोड़ा जा सके ।

(10) स्टेट डेवलपमेंट ग्रुप की स्थापना: –

शिक्षा प्रबंध में नवाचार शोध और विकास का विशेष महत्व हैं । विकास के लिए आवश्यकतानुसार अधुनातन प्रौद्योगिकी की रेखांकित करते हुए उन क्षेत्रों की तलाश करनी होगी जो नवाचारों से संबंधित हो तथा जिनके द्वारा समस्याओं के विकल्प ढूंढ कर नये आयाम स्थापित किये जा सकें । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेशनल डेवलपमेंट ग्रुप की तरह प्रदेश स्तर पर वर्ष 1986 में स्टेट डेवलपमेंट ग्रुप की स्थापना की गयी है । यह ग्रुप एक इण्टर सेक्टोरियल मैकेनिज्म के रूप में कार्य करेगा और सामान्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा ग्राम विकास अन्य क्षेत्रों में नवाचार, शोध और विकास के कार्यो में समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और विकास के दूरगामी परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा, ताकि विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं और उनका उपयोग करने वाली प्रणालियों के बीच सहयोग, सहमति और आदान-प्रदान के अवसरों का लाभ उठाया जा सके ।

इन कार्यों के सम्पादन हेतु स्टेट डेवलपमेंट ग्रुप का सचिवालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में होगा । स्टेट डेवलपमेंट ग्रुप का गठन सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में किया गया है जिसके अन्य सदस्यगण निम्नवत् हैं —

1. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ एवं सचिवालय स्तर के एक उच्च अधिकारी ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ एवं सचिवालय स्तर के एक उच्च अधिकारी ।
3. सचिव, कृषि द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ एवं सचिवालय स्तर के अधिकारी ।
4. सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा मनोनीत एवं सचिवालय स्तर के उच्च अधिकारी ,
5. शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा ।
6. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।
7. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. शिक्षा निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा ।
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ।

संक्षेप में हमारा प्रयास है कि शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक उन्नयन की दिशा में अनुसंधान और प्रशिक्षण को हम केवल पारम्परिक विभागीय कार्य के रूप में न लेकर, उसे शैक्षिक संस्कार और कर्म के रूप में स्वीकार करते हुए शैक्षिक जगत की मानसिक ऊर्जा को सही दिशा दे सकें ।

NIEPA DC
D05311